Page No.1

राजस्थान विधान सभा का कार्य-विवरण

अङ्क ६] द्वितीय विधान सभा के नवम् सत्र, १६६० का २२वां दिवस [संख्या १५

सोमवार, १२ सितम्बर, १६६०

विधान सभा की बैठक म० पू० ११ बज कर ३ मिनट पर विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

[शिक्षा, सार्वजनिक निर्माण, समाज कल्याण, राजस्व, उद्योग, शक्ति, देवस्थान, खनिज, विकास एवं नियुक्ति-विभाग]

श्री अध्यक्ष : प्रश्न, श्री भैरोंसिंह।

प्राध्यापकों की नियुक्तियों में प्रशिक्षितों को प्राथमिकता

३०७. **श्री भैरोंसिंह** (श्री माधोपुर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(क) क्या यह सही है कि प्राध्यापकों की नियुक्तियों में प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाती है ?

(ख) क्या यह सही है कि हायर सेकन्डरी, मल्टीपर्पज़ स्कूलों, इन्टर, डिग्री तथा पोस्ट ग्रेजुएट कालेजों के प्राध्यापकों की नियुक्ति ३० वर्ष तक की आयु तक हो सकती है ?

(ग) यदि हां, तो क्या श्री गिरधारीलाल एम.एल.ए. (नोखा) के तारांकित प्रश्न ११६ (४६।सी.एम.) दिनांक २०फरवरी,१६५६ तथा मेरे तारांकित प्रश्न ३७ (२५।सी.एम.) दिनांक ११-८-५६ एवं २८६ (१३।सी० एम०) दिनांक ११ दिसम्बर, १६५६ से सम्बन्धित उत्तरों को ध्यान में रखते हुए यह बतलाने की कृपा करेंगे कि गवर्नमेन्ट टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेजों में २५ वर्ष के ऊपर की आयु वाले प्राइवेट विद्यार्थियों को प्रवेश क्यों नहीं दिया जाता ?

कृषि मन्त्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (क) जी हां। यदि वे और सब बोर्ड युनिवर्सिटी की न्यूनतम आवश्यकतायें, जैसे एम० ए० (सैकिण्ड क्लास) आदि पूर्ण करते हों।

(ख) जी हां।

Page No.2

(श्री नाथूराम मिर्धा)

(ग) जी हां। ट्रेनिंग कॉलेजों में २४ वर्ष से ऊपर की आयु वाले प्राइवेट विद्यार्थियों को प्रवेश नहीं दिया जाता क्योंकि इन कॉलेजों में जो ट्रेनिंग दी जाती है वह खास तौर से ग्रेजुएट व्यक्तियों के लिए ही होती है और ज्यादातर ग्रेजुएट विद्यार्थी ही इस ट्रेनिंग को प्राप्त करने के लिए प्रवेश लेते हैं। एम० ए० पास बहुत ही कम विद्यार्थी प्रवेश लेते हैं और उनमें से ज्यादातर पहले पहल सहायक अध्यापक के पद पर ही नियुक्त किये जाते हैं। अध्यापक का अनुभव प्राप्त करने के बाद ही उन्हें सीनियर अध्यापक के पद पर नियुक्त किया जाता है।

श्री भैरोंसिंह : प्रश्न (क) के उत्तर में आपने कहा, 'जी हां'; तो यह प्राथमिकता क्यों दी जाती है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : इसलिए कि वह ट्रेण्ड है।

श्री भैरोंसिंह : प्रश्न संख्या (ग) के उत्तर में आपने बताया कि २४ साल की उम्र तक के लोगों को इस प्रकार से एडमिशन दिया जाता है तो आपने जो कारण बताये तो आपने इसी प्रश्न के उत्तर में यह बताया था कि राज्य-सेवा में लेने के लिए २५ वर्ष की उम्र निर्धारित की हुई है इसलिए २४ वर्ष की आयु में इसलिए लेते हैं कि एक वर्ष बाद उनको राज्य-सेवा में लिया जा सके और २५वें वर्ष में विद्यार्थी को प्रशिक्षण के लिए एडमिशन नहीं दिया जाता; क्या यह भी एक कारण है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : २४ वर्ष वाले को लेते हैं। एक साल का ट्रेनिंग पीरियड हो जाता है। उनके एडमिशन और बाद में एक साल की ट्रेनिंग, यह ऐसा पीरियड रखते हैं कि वे ट्रेनिंग लेकर आयें तो उनको गवर्नमेन्ट सर्विस मिल जाये।

श्री भैरोंसिंह : आपने प्रश्न (ख) में भी बताया, 'जी हां,' तो मैं क्या यह समझूं कि २४वें वर्ष में एडमिशन लेकर २५वें वर्ष में गवर्नमेन्ट सर्विस को लेना चाहें तो ले लें और ३० वर्ष की आयु में नियुक्ति हो सकती है, इसमें क्या अन्तर है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : ३० वर्ष तक का यह है कि जो ट्रेण्ड टीचर्स मिलें इसलिए ग्रेजुएट क्लास जिनको ट्रेनिंग दे दी जाती है, ट्रेनिंग देने के बाद जैसा मैंने कहा कि २४वें साल तक लेते हैं, तो जैसे पहले से ही एजुकेशन डिपार्टमेन्ट में नौकर है और वह यदि २४ साल से ज्यादा का हो गया है और ट्रेनिंग में चला जाये तो उनको भी एब्ज़ोर्ब किया जा सकता है।

श्री भैरोंसिंह : प्रश्न (ख) के उत्तर में आपने, 'जी हां' कहा है, तो वह केवल गवर्नमेन्ट सर्विस में हों; ऐसे ही लोगों को ३० वर्ष तक लिया जा सकता है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : जी हां, यही मतलब है।

श्री मुरलीधर व्यास : तो २५ साल से ज्यादावालों को ट्रेनिंग नहीं दी जा सकती। दूसरी तरफ यह है कि ट्रेनिंग जहां दी जाती है तो ट्रेण्ड टीचर्स को ही एडमिशन दिया जा सकता है तो उस क्षेत्र में ट्रेनिंग लेते हैं तो उसके लिए क्या प्रबन्ध है ?

Page No.3

श्री नाथूराम मिर्धा : मतलब यह है कि आम तौर पर ट्रेनिंग २४ साल में ही दी जाती है और डिपार्टमेन्टवालों को बाद में भी ट्रेनिंग दी जा सकती है ।

श्री अध्यक्ष : रावराजा श्री सरदारसिंह ।

डूंगरपुर से पीट तक सड़क-निर्माण

३०.८ **रावराजा श्री सरदारसिंह** (उनियारा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि डूंगरपुर से पीट तक एक सड़क बनाई जा रही है ?

(२) क्या सरकार को विदित है कि ग्राम करवाई की जो राजस्थान की सरहद पर है, पीट से मिला देने से डूंगरपुर से सीधी सड़क वहां तक जा सकती है ?

(३) क्या पीट से धादेरिया तक सड़क बनाने से इन्टर स्टेट-कॉम्युनिकेशन हो जायेगा ?

(४) अगर हां, तो क्या सरकार उपरोक्त योजना को कार्यान्वित करने को तैयार है ? अगर नहीं, तो क्यों नहीं ?

सार्वजनिक निर्माण मन्त्री (श्री हरिश्चन्द्र) : (१) जी हां ।

(२) जी हां ।

(३) जी हां ।

(४) जी नहीं, अर्थाभाव के कारण ।

रावराजा श्री सरदारसिंह : आपने यह कहा, 'जी नहीं, अर्थाभाव के कारण,' तो मैंने पूछा था कि यह रोड बहुत ही इम्पोर्टेन्ट रोड है और बम्बई, पंचमाल से मिलाती हुई है और इसके साथ ही थोड़ा सा हिस्सा है जो बाकी है तो बम्बई वाले अपनी हद तक बना लें और राजस्थान पीट तक बना ले । मैं कहता हूं कि यह रोड बहुत ही इम्पोर्टेन्ट रोड है और इसलिए प्रायोरिटी देनी चाहिए ।

श्री हरिश्चन्द्र : पीट से सरथाना तो बन गई है और सरथाना से गुजरात की तरफ चली जायेगी ।

रावराजा श्री सरदारसिंह : कब जायेगी ? वह तो अर्थाभाव के कारण नहीं जायेगी । तृतीय योजना में खत्म हो जायेगी बन कर या चतुर्थ अथवा पंचवर्षीय योजना में बनेगी ?

श्री हरिश्चन्द्र : आपका प्रश्न तो दूसरा ही था । मैंने अर्ज किया कि पीट से सरथाना बन गई है उससे गुजरात से जायेगी । आपका प्रश्न यह नहीं था ।

रावराजा श्री सरदारसिंह : आपने कहा कि अर्थाभाव के कारण नहीं बनेगी, इसलिए मैंने पूछा है ।

श्री हरिश्चन्द्र : अर्थाभाव के लिए तो दूसरे के लिए कहा है । यह जो गुजरात में जायेगी वह पीट से सरथाना होकर जायेगी । आपका प्रश्न दूसरा था ।

श्री बालमुकुन्द (डूंगरपुर) : आपने प्रश्न के भाग (१) में बताया, 'जी हां,' तो यह सड़क कब से बन रही है ?

श्री हरिश्चन्द्र : अलॉटमेन्ट हो गया है और काम चालू हो जायेगा।

श्री बालमुकुन्द : डूंगरपुर से जो रोड बन रही है यह रोड कब से बन रही है।

श्री हरिश्चन्द्र : यह सूचना मेरे पास नहीं है।

रावराजा श्री सरदारसिंह : यह सच है कि जो रोड बनाई जा रही है यह पंचायत समिति के सुझाव पर बनाई जा रही है और पहले जो प्रोप्रोज़ल था उसको डाइवर्ट करके पंचायत समिति के सुझाव के माफिक दूसरी सड़क बनाई जायेगी ?

श्री हरिश्चन्द्र : पंचायत समिति बनने के पहले ही इसका अलॉटमेन्ट हो गया था।

श्री बालमुकुन्द : अध्यक्ष महोदय, मैं सूचना देना चाहता हूं कि इसको बनते हुए आज ८ साल हो गये हैं और यह नहीं बन पाई है। वह रास्ता इतना खराब है कि बारिश के दिनों में आवागमन बिल्कुल बन्द हो जाता है और उस पर तीन बड़े एक्सीडेन्ट्स हो चुके हैं और उसमें तीन की मृत्यु हो गई है और उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया गया है।

श्री हरिश्चन्द्र : यह दूसरा प्रश्न है, इसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है।

श्री अध्यक्ष : डूंगरपुर से पीट की सड़क है, उसकी बात कर रहे हैं माननीय सदस्य।

श्री हरिश्चन्द्र : उसकी मैं जानकारी करके बता दूंगा।

प्रश्न संख्या ३०९

श्री अध्यक्ष : श्री दयाकृष्ण विजय।

(अनुपस्थित)

निम्न के प्रकार जस्ता, वार्निश तथा अलसी के तेल की सार्वजनिक निर्माण विभाग को सप्लाई

३१०. **श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** (जौहरी बाजार, जयपुर) : Will the Minister for Public Works be pleased to state :-

(1) Is it a fact that tenders were invited in Nov., 1957 by Executive Engineer, City Division, Jaipur for supply of white sinc., Gopal varnish and D. B. Linseed oil ? If so, how many tenders were received and whose tender was accepted ?

(2) Is it a fact that the zinc, varnish and linseed oil supplied were of inferior quality as compared to the Indian Standard as found on test by the Alipore test Laboratory.

(3) Is it a fact that the Zinc, Varnish & Linseed supplied by William Jacks & Hoiles paints and Mr. B. P. Mathur was bound to be not upto the mark ? If so, why the same was accepted and payment made ?

(4) Is it a fact that Mr. B. P Mathur had tenders to supply Laxmi Brand Gopal varnish and D. B. Linseed oil of J. K. Paint Works,

Page No.5

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

Kanpur ? If so, did the Department send one drum to J. K. paint, Kanpur for verification ? If so, what reply has been received ?

(4) Is it a fact that Mr. B. P. Mathur was informed by the Department that his supplies were not according to specifications and they may be taken back ? If so, has the party taken away the supplied articles ?

सार्वजनिक निर्माण मन्त्री (श्री हरिश्चन्द्र): The tenders for the supply of White zinc., Gopal Varnish and D. B. Linseed Oil were invited during May, 58, 21 Nos. tenders were received. The order to the various firms was placed as per approval and requirements as under:-

(1) White paint stiff : (a) M/s William & Jacks & Co., Ltd., Bombay (b) M/s Johnson Nicholson, Calcutta, (c) M/s Shivrattan G. Mohatta, Jaipur,

(2) Gopal Varnish :- (a) Shri B. P. Mathur, Special Representative, J. K. Industries (b) M/s Shiv Rattan G. Mohatta, Jaipur (c) M/s British Paints (I) Ltd. Delhi,

(3) Double Boiled linseed Oil :-

(a) Mr. B. P. Mathur,

(2) Yes. Only in respect of the following parties :-

Name of firm.	Name of material
I. William Jacks & Co.	White Paint.
2. B. P. Mathur.	Gopal Varnish
3. B. P. Mathur.	Linseed Oil

(3) Yes. Looking to the demand of material for works under execution the goods were accepted and payment has been made at reduced rates.

(4) Yes. The matter remained under correspondence and no definite reply could be had.

(5) Shri B. P. Mathut was informed that the material supplied was not as per specifications but the party was not asked to take back the material, and as such the question of taking back of the supplied articles by the party does not arise.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : जब स्पेसिफिकेशन के हिसाब से उस पार्टी ने सामान सप्लाई नहीं किया और जब उसे अलीपुर टेस्ट लेबोरेटरी में भेजा तो उसे बिलो स्टैंडर्ड पाया गया तो; उस माल को एक्सेप्ट करने का क्या कारण है ?

श्री हरिश्चन्द्र : मैंने निवेदन किया कि फाइव पर्सेंट प्राइस में से काट कर पेमेंट किया गया, पूरा पेमेंट नहीं किया गया ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : जिस कॉन्ट्रैक्टर ने स्टैंडर्ड ऑफ स्पेसिफिकेशन के खिलाफ माल सप्लाई किया तो उस माल को एक्सेप्ट ही क्यों किया गया ? क्या आपने उसे ब्लैक लिस्ट किया है ?

[redacted]

श्री हरिश्चन्द्र : मेरे पास ब्लैक लिस्ट करने की सूचना तो नहीं है, लेकिन उसे फाइव पर्सेन्ट कट करके पेमेंट किया गया है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह ५ पर्सेन्ट कट किस आधार पर किया है ?

श्री हरिश्चन्द्र : यह तो मेटर ऑफ ओपीनियन है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, यह मामला बड़ा सीरियस है। एक कॉन्ट्रेक्टर ने टेंडर दिया और उसमें माल का स्पेसिफिकेशन दिया गया और जब माल सप्लाई हुआ तो उसे आपने अलीपुर टेस्ट लेबोरेटरी में भेजा और वहां की राय हुई कि माल बिलो स्टेंडर्ड है। जब माल अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिकेशन नहीं पाया गया तो आपने उसे एक्सेप्ट ही क्यों किया ? क्या इसका मतलब यह हुआ कि कोई भी कांट्रेक्टर अपने टेंडर के अनुसार माल सप्लाई नहीं करे तो आप उसका फाइव पर्सेन्ट कट करके पेमेंट कर देंगे और माल रख लेंगे ? हर एक माल को तो आप अलीपुर टेस्ट लेबोरेटरी में भेजते नहीं हैं, तो यह तो एक बड़ी अजीब बात हो जायगी कि कैसा भी माल सप्लाई हो जाय, आप ५ पर्सेन्ट कम करके पेमेंट कर देंगे। यह जो फाइव पर्सेन्ट कम किया, आखिर यह किस आधार पर किया गया ? यह तो डिस्क्रीशन हो गया।

श्री हरिश्चन्द्र : जैसे विलियम जैक्स का है, उसमें जो एनेलिसिस रिपोर्ट है उसमें १० स्पेसिफिकेशन्स हैं और १० ए ठीक था और १० बी नहीं था; जैसे zinc against the specific minimum of 99...

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या इसका मतलब यह है कि कोई भी ठेकेदार यदि स्पेसिफिकेशन के हिसाब से माल सप्लाई न करे तो भी आप फाइव पर्सेन्ट कट कर माल एक्सेप्ट कर लेंगे ?

श्री हरिश्चन्द्र : जी हां, अगर वह यूज़ में आ सकता हो तो मेरे ख्याल में कोई ऐतराज नहीं हो सकता। इसके साथ ही उस समय माल की इतनी शोर्टेज थी कि माल लेना जरूरी था।

श्री अध्यक्ष : लेकिन यह ऐतराज की बात तो है ही। एक कॉन्ट्रेक्टर टेंडर देता है और उसके दिए हुए स्पेसिफिकेशन के अनुसार माल सप्लाई नहीं होता है और टेस्ट लेबोरेटरी में भी वह बिलो स्टेन्डर्ड पाया जाता है तो this is not a light matter. This is a very serious thing and the least that you can do is that you can blacklist these people. लाखों रुपयों का माल खरीदा जाता है और उसे आप फाइव पर्सेन्ट कट करके पेमेंट कर देंगे ?

श्री हरिश्चन्द्र : ब्लेक लिस्ट भी हो सकता है लेकिन इसकी सूचना अभी मेरे पास नहीं है।

श्री अध्यक्ष : All that I wanted to tell is that you should take the matter very seriously. The matter is not to be dealt with so lightly.

श्री हरिश्चन्द्र : मैंने जो अर्ज किया

Page No.7

(श्री उपाध्यक्ष)

कि उसे फुल पेमेंट नहीं किया गया।

श्री अध्यक्ष : But five percent is nothing. It means nothing.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आपने फाइव पर्सेन्ट कट कर लिया तो उसे क्या पीनाल्टी मिली? उसने माल खराब दिया और उसका कुछ पैसा कट गया। माननीय अध्यक्ष, इसमें एक बात और पूछना चाहता हूं कि क्या डिपार्टमेंट ने गवर्नमेंट से इसके लिए सैंक्शन ली थी कि माल स्पेसिफिकेशन के अनुसार नहीं है और इसलिए फाइव पर्सेन्ट कट करके पार्टी से कम्प्रोमाइज़ कर लिया जाय, क्या इसके लिए विभाग ने गवर्नमेंट से सैंक्शन ली थी?

श्री हरिश्चन्द्र : मेरे पास इसकी सूचना नहीं है।

प्रश्न संख्या ३११

श्री अध्यक्ष : श्री लादूराम।

(अनुपस्थित)

श्री सूरजमल।

जोधपुर नगरपालिका क्षेत्र के गांव राजबाग में अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को पीने के पानी की व्यवस्था

३१२. श्री सूरजमल (फलोदी-सु०) : क्या समाज कल्याण मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देंगे :-

(१) क्या यह सही है कि जोधपुर नगरपालिका क्षेत्र के गांव राजबाग में अनुसूचित जातियों के लोगों को पीने के पानी की कमी है?

(२) क्या यह सही है कि वहां की जनता द्वारा समाज कल्याण विभाग, जोधपुर में पीने के पानी का प्रबन्ध करने के लिए कुछ धन-राशि की मांग की गई थी? यदि हां, तो कब कब और सरकार द्वारा उक्त गांव को पीने के पानी के प्रबन्ध करने के लिए आज तक क्या कार्यवाही की गई?

समाज कल्याण मन्त्री (श्री रिखबचन्द धारीवाल) : (१) जी हां।

(२) जी नहीं।

श्री सूरजमल : तो क्या यह सही है कि वहां के लोगों ने समाज कल्याण विभाग से कोई मांग-वांग नहीं की थी?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : एक व्यक्ति, जिसका नाम सूरजमल मेघवाल है, ने दो हजार की मांग की थी लेकिन नगरपालिका के अन्दर किसी व्यक्ति को व्यक्तिगत आधार पर सहायता नहीं दी जाती है, इसलिए नहीं दी गई।

श्री सूरजमल : श्री सूरजमल मेघवाल ने दो हजार की धनराशि की मांग बावड़ी बनाने के लिए की थी, तो क्या यह भी मांग की थी कि वह बावड़ी प्राइवेट बना रहा है इसलिए सहायता दी जाय?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : वहां पर एक बावड़ी पहले से ही डेवलपमेंट डिपार्टमेंट द्वारा बनाई हुई है। नगरपालिका के क्षेत्र के अन्दर किसी व्यक्ति को अलग से

Page No.8

(श्री रिखबचन्द धारीवाल)

कोई सहायता देने का प्रावधान नहीं है। समाज कल्याण विभाग द्वारा हरिजन बस्ती के अन्दर नगरपालिका के साथ कोई कार्य किया जाता है तो ५० प्रतिशत धन-राशि नगरपालिका देती है और पचास प्रतिशत समाज कल्याण विभाग देता है । चूंकि नगरपालिका ने ऐसी कोई रकम दी नहीं इसलिए कोई सहायता नहीं दी गई।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि समाज कल्याण विभाग से भी बावड़ी का निर्माण कराने के लिए अनुरोध किया गया था ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : मेरे पास ऐसी कोई सूचना नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : क्या वे व्यक्तिगत रूप से सहायता लेना चाहते थे ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : व्यक्तिगत आधार पर ही दरख्वास्त दी होगी।

श्री भैरोंसिंह : मैं यह पूछ रहा हूं कि बावड़ी व्यक्तिगत बना रहे थे या जनता के लिए बनाई जा रही थी कि जिसके लिए सहायता नहीं दी गई ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : मैंने निवेदन किया कि इसके लिए ऐसा नियम है कि पहले नगरपालिका पचास प्रतिशत दे। समाज कल्याण विभाग द्वारा तब तक सहायता नहीं दी जाती है जब तक कि नगरपालिका पचास प्रतिशत जमा न करा दे। किसी भी व्यक्ति को व्यक्तिगत तौर पर सहायता नहीं दी जा सकती है।

श्री सूरजमल : क्या यह सही है कि सूरजमल के अलावा और भी किसी सदस्य द्वारा आपके पास प्रार्थना-पत्र पेश किया गया था इस बावड़ी के लिए ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : मैंने आपसे पहले ही अर्ज किया कि यह सही है कि श्री सूरजमल मेघवाल ने दो हजार की सहायता के लिए दरख्वास्त दी थी, बाकी किसी की अर्जी नहीं आई।

श्री सूरजमल : माननीय अध्यक्ष, मैं आपकी जानकारी के लिए अर्ज करूं कि मैंने कितने ही प्रार्थना-पत्र पेश किए हैं। आज वहां पर जनता को पीने के पानी के लिए बड़ी परेशानी उठानी पड़ती है और वहां पर जो सूरजमल की बावड़ी है वह इसको जनता के उपयोग के लिए देने को तैयार है लेकिन सरकार की ओर से इस ओर कभी ध्यान नहीं दिया जाता कि वहां पर जनता को पीने का पानी मिलने में बड़ी कठिनाई हो रही है। आप कहते हैं कि व्यक्तिगत बावड़ी बनाना चाहते थे, वह फार्म जो समाज कल्याण विभाग द्वारा मिलता है वह फार्म बाकायदा भर कर गांव के मुखिया के दस्तखत करवाकर बिल्कुल कम्पलीट करके पेश किया था, माननीय अध्यक्ष महोदय, और आज मंत्री महोदय कहते हैं कि मकान के अन्दर बावड़ी बनाने का प्रार्थना-पत्र था। मकान के अन्दर बावड़ी बनाकर क्या कोई गिरेगा उसके अन्दर ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : मैंने माननीय सदस्य से निवेदन किया कि जो सहायता दी जाती है वह नगरपालिका को दी जाती है। अगर हरिजन बस्ती के अन्दर कोई कार्य

(श्री रिखबचन्द धारीवाल)

कराना होता है तो जब नगरपालिका पचास प्रतिशत सहायता दे देती है तब ही समाज कल्याण विभाग द्वारा सहायता दी जाती है। उनकी दो हजार की जो मांग थी उसके अलावा तो किसी की मांग आई नहीं और इस मांग के लिए भी नगरपालिका ने चूंकि पहले सहायता नहीं दी इसलिए समाज कल्याण विभाग द्वारा भी सहायता नहीं दी जा सकी।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह समझा जाय कि सरकार नगरपालिका क्षेत्र में सार्वजनिक काम के लिए बाला बाला कोई सहायता नहीं देती है?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : मैंने कहा कि नगरपालिका के क्षेत्र के अन्दर देते हैं वह इस शर्त पर कि ५० पर्सेन्ट के हिसाब से वह अपनी तरफ से करे।

श्री भैरोंसिंह : क्या जिन लोगों ने इस प्रकार की दर्ख्वास्त दी वे आपकी इस शर्त को पूरा करने को तैयार नहीं थे?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : नहीं थे।

श्री तनसिंह (बाड़मेर) : अभी आपने बताया है कि दर्ख्वास्त में यह बात लिखी है।

श्री सूरजमल : अगर सरकार यह चाहती है तो मैं रुपया बैंक में जमा कराने को तैयार हूं।

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय ने कहा है कि वह रुपया केवल नगरपालिका को ही दिया जाता है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : This is a specific question. यह पूछा गया था कि म्युनिसिपैलिटी के अलावा बावड़ीवाला और किसी को रुपया नहीं देते हैं क्या; तो मंत्री महोदय ने चक्कर काट कर जवाब दिया कि म्युनिसिपैलिटी कन्ट्रीब्यूशन देती है तो हम देते हैं।

श्री रिखबचन्द धारीवाल : म्युनिसिपैलिटी को ही दिया जाता है। म्युनिसिपैलिटी इस बात का वायदा कर लेती है कि ५० पर्सेन्ट हम अपना कन्ट्रीब्यूशन देंगे तो उसके अनुसार ५० पर्सेन्ट समाज कल्याण विभाग देता है।

श्री अध्यक्ष : आप साफ यह कहते हैं कि म्युनिसिपैलिटी क्षेत्र में अगर नगरपालिका देती है तो उसको देते हैं वर्ना किसी भी आदमी को किसी भी कन्ट्रीब्यूशन में कोई सहायता नहीं दी जा सकती है।

श्री रिखबचन्द धारीवाल : आप नगरपालिका से कहें।

श्री सूरजमल : नगरपालिका कोई ध्यान नहीं दे तो क्या मर जायं?

श्री अध्यक्ष : आप म्युनिसिपैलिटी को कहें कि वह बावड़ी के लिए सहायता दे।

श्री सूरजमल : अध्यक्ष महोदय, सैकड़ों बार कहा है लेकिन कहां सुनवाई करते हैं। हजारों एप्लीकेशन्स दी हैं। मंत्री महोदय चाहें तो रिसीटें बतला दूं, वे मेरे पास हैं? हम लोग सब तैयार हैं, लेकिन वे सुनवाई करने को तैयार नहीं हैं। उस बावड़ी को एक्स मिनिस्टर साहब ने भी देखा था।

Page No.10

श्री तनसिंह : माननीय अध्यक्ष, अभी अभी मंत्री महोदय ने स्पष्ट बात कही थी, लेकिन वे वापिस उससे मुकर रहे हैं और सवाल के जवाब को बदल रहे हैं। यह पूछा गया था कि क्या यह सही है कि नगरपालिका क्षेत्र में बिना नगरपालिका की स्वीकृति से सरकार द्वारा कोई भी इस प्रकार के कार्य के लिए सब्सिडी देने के लिए या लोन देने के लिए किसी भी तरह से सरकार तैयार है या नहीं ?

श्री रिखबचन्द्र धारीवाल : इस बारे में मैंने कहा कि हमारे यहां रूल्स हैं कि नगरपालिका क्षेत्र में म्युनिसिपैलिटी को देते हैं। जैसे किसी हरिजन बस्ती के अन्दर इलेक्ट्रिसिटी लगाना हो या नल लगाना हो तो अपना कन्ट्रीब्यूशन जब तक वह नहीं देंगे हम कोई रकम नहीं देते हैं।

श्री तनसिंह : मेरा सवाल अध्यक्ष महोदय, बिल्कुल साफ है।

श्री अध्यक्ष : माननीय मन्त्री महोदय का उत्तर भी साफ है कि वे केवल म्युनिसिपैलिटी को देते हैं। वे नहीं कह सकते हैं कि रूल्स का उल्लंघन करके किसी को दिया है या नहीं। वह कहना सम्भव नहीं है, लेकिन रूल यह है वह निश्चित तौर से कह रहे हैं।

श्री सूरजमल : क्या यदि उस राजबाग की बावड़ी को बनवाने के लिए अपने हिस्से की धनराशि अगर आपके द्वारा बैंक में जमा करा दी जाय तो आप देने को तैयार हैं ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : मैंने यह निवेदन किया कि जो कुछ भी करना है वह आप रुपया म्युनिसिपैलिटी से जमा करवा दें। अगर म्युनिसिपैलिटी लिख देगी तो हमारी ओर से भेज देंगे।

श्री पुरूषोत्तमलाल शर्मा (किशनगढ़): सरकार रुपया लेकर म्युनिसिपैलिटी को दे दे, इसमें क्या हर्ज है ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री भैरोंसिंह।

रामनिवास बाग में लगे सर्कस में दिये गये साइकल स्टेन्ड ठेके में अनियमितता

३१३. श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) रामनिवास बाग में जो सर्कस लगा था उसमें साइकल स्टेन्ड का ठेका किसको और कितने रुपयों में दिया गया ?

(ख) इस ठेके के सम्बन्ध में कितने लोगों की दरख्वास्तें थीं और किनने कितने ठेके की ऑफर थी ?

(ग) किन किन लोगों का कितना कितना एडवान्स इस ठेके के लिए जमा कराया गया ?

(घ) इस ठेके के लिए आवेदन-पत्र मांगने के लिए कौन सी तारीख निश्चत की गई थी और किस किस दिन इसकी विज्ञप्ति निकाली गई तथा कब और किसके द्वारा यह ठेका मन्जूर किया गया ?

(ङ) क्या यह सही है कि यह ठेका दिये जाने में अनियमितता बरती गई जिसके कारण सरकार को घाटा हुआ ?

Page No.11

(श्री भैरोंसिंह)

(च) क्या यह सही है कि इस मामले की जांच एन्टीकरप्शन विभाग द्वारा की जाकर जांच का नतीजा सी. ई. के पास भेज दिया है ? यदि हां, तो क्या और उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री(श्री हरिश्चन्द्र): (क) ठेका किसी को भी नहीं दिया गया।

(ख) पांच व्यक्तियों के प्रार्थना-पत्र आये थे। इनमें ऑफर किसी ने भी नहीं दी थी! ११ ठेकेदारों ने बोली बोली थी।

(ग) ११ व्यक्तियों ने, जिनकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है, फी व्यक्ति २५) जमा कराया था।

(घ) टेन्डर नोटिस १६-७-५६ को जारी किया गया और बोली २२-७-५६ को वार्डन सुपरिन्टेन्डेन्ट की उपस्थिति में पुकारी गई थी। किन्तु बोली किसी के नाम मन्जूर न की गई, क्योंकि हाइएस्ट बिडर ने रकम जमा नहीं की।

(ङ) इसकी जांच की जा रही है।

(च) जी हां। रिपोर्ट सरकार के विचाराधीन है।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

श्री भैरोंसिंह : जब यह ठेका किसी को नहीं दिया गया तो जांच किस बात की की जा रही है ?

श्री हरिश्चन्द्र : ऐसी एक रिपोर्ट आई थी कि उसमें शायद सरकार को कुछ नुकसान हुआ है, तो उसकी जांच की जा रही है।

श्री भैरोंसिंह : क्या एन्टीकरप्शन विभाग ने जो इस प्रकार की शिकायत की थी उसी की पुष्टि की है ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, डॉ० चन्द्रकला।

तृतीय श्रेणी में उत्तीर्ण विद्यार्थियों को एवं अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों को प्रवेश देने के बाबत सरकारी नीति

३१४. डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाजार, जयपुर) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) इस वर्ष १९६० की हाई स्कूल, प्रीयुनिवर्सिटी, इन्टर और बी. ए. तथा तीन वर्षीय डिग्री कोर्स की परीक्षाओं का परिणाम कितने प्रतिशत रहा ? इस वर्ष इन परीक्षाओं में कितने विद्यार्थी तृतीय श्रेणी में उत्तीर्ण हुए ?

(ख) क्या सरकार ने अपनी नीति निर्धारित की है कि तृतीय श्रेणी में पास होने वाले विद्यार्थियों को अगली कक्षा में तथा अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों को उसी कक्षा में प्रवेश न दिया जाय ? यदि हां, तो क्यों ?

(ग) ऐसे विद्यार्थियों की पढ़ाई अथवा भविष्य निर्माण एवं जीवन-विकास की दृष्टि से क्या कार्यक्रम सोचा गया है ?

कृषि मन्त्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (क)

(श्री नाथूराम मिर्धा)

परीक्षा	परिणाम प्रतिशत, १९६०	तृतीय श्रेणी सेपास हुए विद्यार्थियों की संख्या
हाई स्कूल	४३.०९	५,४९९
हायर सेकिन्ड्री	४०.०५	१,१२७
इन्टर–आर्ट्स	४५.०४	१,८६४
इन्टर–साइन्स	३५.०३	२३६
इन्टर–कॉमर्स	४८.००	७४५
इन्टर–कृषि–भाग १	४०.१२	निल
इन्टर–कृषि–भाग २	६०.०९	२
प्रीयुनिवर्सिटी		
आर्ट्स	३६.००	३६८
साइन्स	३१.०६	६४
कॉमर्स	३३.००	२०७
तीन वर्षीय डिग्री कोर्स		
प्रथम वर्ष–आर्ट्स	४१.०५	
प्रथम वर्ष–साइन्स	३०.०३	
प्रथम वर्ष–कॉमर्स	३२.०१	
द्वितीय वर्ष–आर्ट्स	४१.०३	
द्वितीय वर्ष–साइन्स	६८.०९	
द्वितीय वर्ष–कॉमर्स	७३.०८	
बी० ए०	४५.६२	१,२३९

(ख) विज्ञान की पूर्व विश्वविद्यालय एवं तीन वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम में तृतीय श्रेणी में उत्तीर्ण छात्रों को प्रवेश न देने का निर्णय सब कॉलेजों के आचार्यों की सहमति से आचार्य सम्मेलन में किया गया था। जहां तक अन्य विषयों का प्रश्न है कॉलेजों में स्थान निश्चित है और विद्यार्थियों का प्रवेश उनकी योग्यतानुसार उनमें किया जाता है। यदि किसी कॉलेज में यथेष्ट स्थान है तो तृतीय श्रेणी में उत्तीर्ण छात्रों को भी कला व वाणिज्य में प्रवेश मिल जाता है। जहां तक अनुत्तीर्ण छात्रों का प्रश्न है क्योंकि इस वर्ष इन्टर कक्षाएं समाप्त कर दी गई हैं अतः जो छात्र इन्टर कक्षा में अनुत्तीर्ण हो गये हैं उनके लिये भी कक्षाएं खोल दी गई हैं; उनमें उनको प्रवेश किया जाता है। भारत के सभी शिक्षा शास्त्रियों एवं प्राध्यापकों का मत है कि जहां तक विज्ञान की कक्षाओं का प्रश्न है जो छात्र तृतीय श्रेणी में पास हैं उनको प्रवेश न दिया जाय क्योंकि वे अपना समय तथा धन का सदुपयोग राष्ट्र के सीमित साधनों के अन्तर्गत करने में असमर्थ रहते हैं। अतः विज्ञान में तृतीय श्रेणी में पास होनेवाले छात्रों को प्रवेश देना उनके हित में ठीक नहीं है। कला व वाणिज्य में तृतीय श्रेणी में उत्तीर्ण विद्यार्थियों को प्रवेश आसानी से मिल जाता है।

(ग) उपरोक्त नीति ऐसे विद्यार्थियों के भविष्य निर्माण एवं जीवन के लिये ही अपनाई गई है।

डॉ० चन्द्रकला : लेकिन जब उनको एडमिशन नहीं मिलता है और यह मान लिया गया है कि वे आगे पढ़ने के लिए

Page No.13

(डॉ० चन्द्रकला)

ठीक नहीं हैं जैसा कि सरकार ने लिखा है तो उनके लिए कोई न कोई व्यवस्था करनी चाहिए सरकार को।

श्री नाथूराम मिर्धा : क्या व्यवस्था करनी चाहिए ?

श्री अध्यक्ष : वे आर्ट्स एन्ड कॉमर्स में ले सकते हैं अपना एडमिशन।

डॉ० चन्द्रकला : साइन्स को छोड़ कर आर्ट्स एन्ड कॉमर्स पढ़ने लग जायं, यह मतलब है तो फिर सरकार विज्ञान की कक्षाओं में ऐसा क्यों नहीं करती है कि प्रथम और द्वितीय श्रेणी ही रखे, तृतीय श्रेणी नहीं रखे ?

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) : जहां पर कॉलेजों में छात्रों की संख्या कम है, जैसे क्लास में ४० छात्र चाहिए और क्लासों में ७ ही हैं तो ज्यादा पर्सेन्टेज थर्ड क्लासवालों को लेने में क्या असुविधा है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : इसमें सुविधा या असुविधा का सवाल नहीं है, यह नीति का प्रश्न है। थर्ड क्लास साइन्स का स्टूडेन्ट आगे जाकर अपने जीवन में कामयाब नहीं हो पाता है और न ही स्टेडीज़ को प्रोपरली मेन्टेन कर सकता है। उनका उपयोग आगे जिन लाइन्स में जाकर करने का है वह मकसद पूरा नहीं होता है।

श्री मुरलीधर व्यास : क्या थर्ड क्लास स्टूडेन्ट आगे ठीक तरह से पढ़ाई करके सेकण्ड क्लास नहीं ला सकता ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्री रामचन्द्र (डग-सु०) : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक प्रश्न है इस विषय में। मंत्री महोदय ने जो रिज़ल्ट बतलाया थ्री ईयर्स डिग्री कोर्स के लिए तो सैकिण्ड ईयर का रिज़ल्ट वह फर्स्ट ईयर के रिज़ल्ट के मुकाबले में बहुत अच्छा है, इसका क्या कारण है ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट क्वेश्चन, श्री लक्ष्मीचन्द।

जालोर जिले के पसायतेदारान को मुआवजे की अदायगी

३१५. **श्री लक्ष्मीचन्द** (सांचोर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

क्या राजस्थान में पसायतेदारान को अलग जागीरदार माना गया है और क्या मुआवजा उनको दिया जायेगा ? यदि हां, तो जालोर जिले के पसायतेदारान को अभी तक मुआवजा न दिये जाने के क्या कारण है ?

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास): A similar question has been replied on the last turn.

श्री लक्ष्मीचन्द : वह प्रश्न दूसरा था और यह दूसरा है।

श्री दामोदरलाल व्यास : If you like I can give you that.

Page No.14

(श्री दामोदरलाल व्यास)

(क) जी हां । पसायतेदारान को अलग जागीरदार माना जाकर मुआवजा दिया जायगा ।

जालोर जिले के पसायतेदारान ने अपने दावे समय पर प्रस्तुत नहीं किये । अब सरकार द्वारा दावे तैयार कराये जा रहे हैं और जहां तक संभव होगा शीघ्र ही फाइनल कर दिये जायेंगे ।

श्री लक्ष्मीचन्द : जिसकी आमदनी ५००) रु. से नीचे है उनके दावे तैयार कराने की जिम्मेदारी सरकार की है । ऐसे दावे तैयार कराने में क्यों देरी की जा रही है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : सरकार अपनी जिम्मेदारी को पूरा कर रही है ।

लालसोट से दूदू राज-मार्ग का अपूर्ण निर्माण

३१६. **श्री प्रभुलाल पुरोहित** (लालसोट) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) क्या यह सच है कि लालसोट से दूदू जानेवाले राज–मार्ग का निर्माण प्रथम पंचवर्षीय योजना में पूर्ण हो जाना चाहिये था ?

(ख) क्या इस मार्ग पर ठेकेदारों की लापरवाही के कारण अनेक स्थानों पर सड़क का निर्माण पूरा नहीं हुआ ? यदि हां, तो कहां कहां का व किस कारण से ?

(ग) क्या यह सच है कि चाकसू स्टेशन से फागी जानेवाली छः मील की सड़क का ठेका शिवबिहारी तिवाड़ी को दिया गया था और बाद में उक्त मार्ग को विभाग ने अपने जिम्मे ले लिया ? यदि हां, तो यह कार्य अब तक क्यों नहीं पूर्ण हुआ तथा अब कब पूरा हो जायगा ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री हरिश्चन्द्र) : (क) जी नहीं ।

(ख) ७१ मील में से ६१॥ मील का कार्य पूर्ण हो चुका है, बाकी ९॥ मील का कार्य चालू है ।

चाकसू–फागी रोड : १ मील से ३

कैथून–लालसोट : मील ५ से १०

कैथून–लालसोट : मील १० से १३

(ग) जी हां ।

यह कार्य दो भागों में विभक्त था । मील ०:० से ३:० तक जिसमें से १॥ मील का कार्य पूर्ण हो चुका है और १॥ मील में कार्य चालू है । दूसरे भाग का कार्य मील ३:० से ६:० तक का भी आशा है इसी वित्तीय वर्ष में पूर्ण हो जायगा ।

प्रान्त की बन्द पड़ी हुई सूती मिलों को चालू करवाना

३१७. **श्री मुरलीधर व्यास** (बीकानेर सिटी) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) राजस्थान में कितनी सूती मिलें कब से और क्यों बन्द पड़ी हैं ? इन मिलों

Page No.15

(श्री मुरलीधर व्यास)

के बन्द हो जाने से कितने मजदूर बेकार हुए हैं ?

(ख) इन मिलों को चालू करवाने के लिए सरकार ने अब तक क्या कदम उठाये हैं ?

उद्योग मन्त्री (श्री रिखबचन्द धारीवाल) : (क) निम्नलिखित चार मिलें उनके समक्ष प्रदर्शित किये हुए सन् से बंद पड़ी हैं :

१. महादेव कॉटन मिल्स, भीलवाड़ा—सन् १६५६

२. विजय कॉटन मिल्स, विजयनगर—सन् १६५६

३. श्री गोपाल मिल्स, कोटा—सन् १६५७

४. महाराजा किशनगढ़ मिल्स, किशनगढ़-सन् १६५७।

उपरोक्त मिलों की मशीनरी पुरानी व बेकार होने के कारण इनका इकोनोमिकल वर्किंग संभव नहीं था। कितने मजदूर बेकार हुए, इसके आंकड़े इस विभाग में उपलब्ध नहीं हैं।

(ख) महादेव कॉटन मिल्स भीलवाड़ा, विजयनगर कॉटन मिल्स, महाराजा किशनगढ़ मिल्स को पुरानी मशीनरी के साथ चलाना असम्भव था इसलिये इनको भारत सरकार द्वारा बेकार (स्क्रेप) घोषित कर दिया गया और इनके एवज में किशनगढ़ और भवानीमंडी पर नई मिलें आधुनिक मशीनों के साथ लगाने के लिये लाइसेन्स दिये जा चुके हैं।

भीलवाड़ा में एक नई स्पीनिंग मिल लगाने के लिये भारत सरकार को सिफारिश की गई है। श्री गोपाल मिल्स, कोटा में भी पुरानी मशीनरी हटा कर नई मशीनें लगाई जा रही हैं।

श्री मुरलीधर व्यास : जो मिलें बंद पड़ी हुई हैं वे कितने समय तक बन्द पड़ी रहीं ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : माधव कॉटन मिल करीब साल भर बंद रही। किस सन् में बंद हुई यह ऊपर बताया गया है। विजय कॉटन मिल कुछ दिन चली, बाद में बंद हुई; इस तरह से रेगुलरली चली नहीं। पुरानी मशीनरी होने से इकोनोमिकली चल नहीं सकती थी इसलिये इसको स्क्रेप घोषित कर दिया गया।

श्री मुरलीधर व्यास : मेवाड़ टैक्सटाइल मिल कितने समय तक बंद रही ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : मेवाड़ टैक्सटाइल का दूसरा सवाल है। यह ४-५ महीने बंद रही बाद में गवर्नमेंट द्वारा टेक-ओवर कर ली गई और अब चल रही है।

श्री मुरलीधर व्यास : चार मिलें सन् ५६ में बंद हुई; उनके मजदूरों को काम पर लगाने के लिये सरकार ने क्या व्यवस्था की ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : सरकार क्या व्यवस्था करती ? रातों-रात तो कोई मिल चल नहीं सकती। कुछ वीवर्स थे उनको पॉवर लूम्स दिये गये हैं।

Page No.16

श्री किशनाराम (रतनगढ़) : मशीनरी खराब थी उसकी जांच किस इंजीनियर से कराई गई ? पूरी की पूरी मशीनरी तो खराब नहीं होती। कुछ पुर्जे बिगड़ जाते हैं तो उनको रिप्लेस कर लिया जाता है। मशीनरी खराब होने का मतलब सारी मिल से तो नहीं होना चाहिये।

श्री रिखबचन्द धारीवाल : टैक्सटाइल कमिश्नर ने जांच करके रिपोर्ट दी थी। बंद रही, यही एक बहुत बड़ा सुबूत है कि वह चल नहीं सकती थी।

पाली व जोधपुर जिले में शिकमी काश्तकारों को खातेदारी हक

३१८. **श्री तेजाराम गहलोत** (सोजत) : क्या राजस्व मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:-

(१) पाली जिले व जोधपुर जिले में तहसीलवार निम्न प्रकार के कितने कृषक दिनांक १५. १०. ५५ को कितनी जमीन पर काबिज थे :

(क) शिकमी काश्तकार,

(ख) कृषक जो १५. १०. ५५ को बगैर पर्चे के काबिज थे ?

(२) उक्त कृषकों में से ३०. ६. ६० तक तहसीलवार कितने शिकमी काश्तकारों को खातेदार दर्ज किया गया व कितनी जमीन पर ?

(३) १५. १०. ५५ को बगैर पट्टे खुद प्रश्न नं. (१) व (२) में दर्ज काबिज कृषकों में से ता. ३०. ६. ६० तक तहसीलवार कितनों को खातेदार दर्ज किया व कितनी जमीन पर दर्ज किया गया ?

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, इसका जवाब नहीं आ सका है। इस बारे में मैं यह अर्ज करना चाहता हूँ कि १,८०० गांवों का खसरा तैयार कराया जाकर सारी इन्फोर्मेशन कलेक्ट करने में it will take a lot of time. सन् ५५ से लेकर ६० तक के दर्मियान हकतलफी के इन्द्राजात की सूचना चाह रहे हैं कि कौन टिनेन्ट्स हैं, कौन सब-टिनेन्ट्स हैं, कौन कौन ट्रेसपासर्स हैं; इसलिये 1800 villages are involved in this question. मैं समझता हूं इसमें टाइम लगेगा।

श्री तेजाराम गहलोत : मैंने केवल दो तरह के फिगर्स मांगे हैं; एक तो यह कि कितने शिकमी काश्तकार हैं और दूसरे बगैर पर्चे के कितने काश्तकार काबिज थे। शिकमी काश्तकारों के फिगर्स आर. एम. साहब के पास मौजूद हैं। टिनेन्सी बिल पेश किया था उस समय जिलावार फिगर्स मंगाये थे। इसके अलावा कितने काश्तकार ऐसे थे जिनके पास पर्चे नहीं हैं, ये फिगर्स मांगे हैं।

श्री दामोदरलाल व्यास : माननीय सदस्य बता दें कि कहां पर रखे हैं, मैं फौरन तलाश करके आज ही पेश कर दूँगा।

श्री पी. के. चौधरी (फुलेरा) : सेक्शन ६ में आपने अमेन्डमेन्ट किया Khatedari rights on those who are there prior to 15th. Oct.; उसके अन्दर आपने इन्स्ट्रक्शन्स इश्यू किये थे, उसके अनुसार क्या मंथली रिपोर्ट आपके पास आती है कि इस कानून

(श्री पी. के. चौधरी)

के पास होने के बाद कितने आदमियों को खातेदारी पर्चे दिये हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने यह भी अर्ज किया था कि ये कलेक्ट हो रहे हैं।

श्री पी. के. चौधरी (फुलेरा) : आपने कहा था कि अप्रेल में पेश कर देंगे।

श्री दामोदरलाल व्यास : लैंड कमीशन की रिपोर्ट डिस्कस हो रही थी उस समय मैंने कहा था कि ३० अप्रेल तक जारी कर देंगे इसके लिये इन्स्ट्रक्शन्स दे दिये हैं।

श्री तेजाराम गहलोत : आपने यह कहा था कि ३० अप्रेल तक खातेदारी के पर्चे दे देंगे इसके लिये इन्स्ट्रक्शन्स दे दिये हैं; लेकिन अब तक एक-चौथाई काम भी नहीं हुआ है, इसका क्या कारण है ?

श्री मोहरसिंह (चुरू) : अब तक जगह जगह खातेदारी के पर्चे देने का काम पेन्डिंग है और यहां पर गोलमाल जबाब दे दिया जाता है कि हमारे पास आंकड़े नहीं हैं। प्रश्न ही इस बारे में पूछा गया है फिर आपके पास आंकड़े क्यों नहीं हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : I think my reply is quite clear, Sir. Without going through Khasra statements the answer is not possible.

श्री अध्यक्ष : आपके पास कोई स्टेटमेंट नहीं आता क्या ?

श्री दामोदरलाल व्यास : कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं है जिससे कह सकें कि सन् ५५ के बाद कितने ट्रेसपासर्स हैं।

श्री अध्यक्ष : You may limit the question to sub-tenants...

श्री दामोदरलाल व्यास : He wants list of tresspassers and it will take time, Sir. It is not ready in any Office.

श्री तेजाराम गहलोत : मंत्रीजी फरमा रहे हैं कि ट्रेसपासर्स के फिगर्स नहीं हैं लेकिन मेरा मतलब ट्रेसपासर्स के फिगर्स से नहीं है। १५. १०. ५५ को जब जागीरें रिज्यूम हुई थीं उनके बाद जो खातेदारी टिनेंट्स हुए उनमें से ऐसे कितने काश्तकार बाकी हैं जिनको पर्चे डिस्ट्रिब्यूट नहीं हुए ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट क्वेश्चन।

तृतीय पंचवर्षीय योजना में शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युतिकरण

३१६. **श्री मोहब्बतसिंह (सिरोही)**: Will the Minister for Power be pleased to state :—

(1) Whether the Government is contemplating to provide urban and rural electrification in Sirohi District during the third five year plan ?

(2) If so, has the survey for the same been ordered ?

(3) What is the provision kept for this electrification for Sirohi District while formulating the Third Plan ?

(श्री मोहब्बतसिंह)

(4) Does the Government realise that without power agriculture and Industry in this disctrict cannot flourish ?

सार्वजनिक निर्माण मन्त्री(श्री हरिश्चन्द्र): (1) This will depend on the load survey results of the area.

(2) The Survey and Investigation Division of the Project Circle of the Rajasthan State Electricity Board will be conducting the survey of the localities.

3. There is a specific proposal in the States' Third Five Year Plan to argument the Sirohi Power House by adding to it one Diesel set of 100 KW. There is a provision of Rs. 139.70 lakhs in the Plan Proposals for putting up of new small Diesel Stations in the State to cater to small Industrial and Rural loads, where the same could not be met from the main Hydel or Thermal Grids. There is a further lump-sum provision of Rs. 100 lakhs for sub-transmission and distribution in addition to the provision of Rs. 5 crores under Bhakra & Chambal for the same purpose. If these proposals are ultimately approved by the Planning Commission it would be possible to electrify all stations with a population of 5,000 and above. It may also be possible to electrify places with lesser population, but falling within economic reach of the transmission systems or thermal stations.

4. This is true for all potential areas in the State.

श्री अध्यक्ष : श्री बेनाराम गहलोत ।

पाली जिले के जागीरदारों को भिन्न भिन्न आधारों पर का भुगतान

३२०. श्री बेनाराम गहलोत(खारची): क्या राजस्व मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :-

(१) क्या यह सही है कि पाली जिले के कुछ जागीरदारों को मुआवजा लटाई बेसिस पर दिये जाने के फैसले जागीर कमिश्नर द्वारा हो चुके हैं ? यदि हां, तो किन किन को ?

(२) क्या यह सही है कि उसी जिले के कुछ जागीरदारों को मुआवजा रेन्टल इन्कम पर दिया जाने का फैसला हुआ है ? यदि हां, तो किन किन को ?

(३) एक ही जिले में दो प्रकार से मुआवजा दिये जाने के क्या कारण हैं ?

राजस्व मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : (१) जी हां जागीरदारान सिरयारी एवं चाणोद को ।

(२) जी हां । जागीरदारान चेलावास, घणाला, बूसी, जूनी, जोरावास, सापुणी, मीटवा, अखलिया, सिणाला, भूपेलाव,

Page No.19

(श्री बेनाराम गहलोत)

मणियारा रायर एवं बलवान आदि का।

(३) रिज़म्प्शन के समय जो जागीर ग्राम सेटल्ड होते हैं उन्हें सेटल्ड आय का मुआवजा एक्ट की धारा ६ के अधीन दिया जाता है और जो ग्राम अन्सेटल्ड होते हैं उन्हें धारा ७ के तहत ग्रामों की माली आय लटाई के आधार पर किया जाता है।

श्री शंकरलाल (रायपुर) : आपने सिरियारी एवं चाणोद का बताया कि लटाई के आधार पर दिया गया। क्या ये अनसेटल्ड थे ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जी हां। गवर्नमेंट ने ऑर्डर निकाल दिया है कि जिन गांवों की लटाई हो चुकी है, पर्चे हो चुके हैं, उनको अनसेटल्ड माना जाय।

श्री शंकरलाल : बहुत गांव थे, जिनका सेटलमेंट हो चुका है, जो पहले खालसा के गांव थे। क्या आपने इनक्वायरी की कि बहुत से खालसा के गांव थे, जिनका सेटलमेंट हो चुका है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : यह इन्क्वायरी जागीर कमिश्नर ने की है ?

श्री तेजाराम गहलोत (सोजत): चेलावास, घणाला के जागीरदारों को लटाई के आधार पर मुआवजा नहीं दिया गया है और उनको कैश रेंट के आधार पर दे दिया है। इस प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन क्यों किया गया है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : डिस्क्रिमिनेशन सरकार नहीं करती है। जागीर कमिश्नर जुडीशियल ऑफिसर्स हैं, वे करते हैं और गवर्नमेंट भी उनके खिलाफ अपील करती है।

श्री शंकरलाल : अपील कब की गई और कहां की गई ?

श्री दामोदरलाल व्यास : माननीय सदस्य वकील हैं और आप जानते हैं कि अपील बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में होती और कहीं नहीं होती।

श्री अध्यक्ष : श्री मुरलीधर व्यास।

बीकानेर नगर में अपूर्ण पड़े हुये निर्माण कार्य

३११. **श्री मुरलीधर व्यास** (बीकानेर सिटी) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) सार्वजनिक निर्माण विभाग, बीकानेर सिटी को कौन कौन से निर्माण कार्य को गत वित्तीय वर्ष में बीकानेर शहर में पूरा करने का उत्तरदायित्व दिया हुआ था ?

(ख) उसमें से कौन कौन सा कार्य पूरा हुआ और कौन कौन सा कार्य पूरा नहीं हुआ ?

(ग) कार्य पूरा न होने का क्या कारण था ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री हरिश्चन्द्र): (क) सूची (क) प्रस्तुत है।

(ख) सूची प्रस्तुत है।

(ग) सूचना सूची (ख) में दी गई है।

(कृपया परिशिष्ट २ देखिए)

श्री मुरलीधर व्यास : इसमें दिया गया है, वेटरनरी कॉलेज के लिए कि करीब २३ लाख रुपया खर्च होना था उसमें से ६ लाख रुपया खर्च हुआ और दूसरे जो काम हैं वे सारे के सारे रह गये। इसका क्या कारण है ?

श्री हरिश्चन्द्र : जितना प्रोविज़न था, उतना खर्च होगा।

श्री मुरलीधर व्यास : प्रोविज़न उतना ही था !

श्री हरिश्चन्द्र : केरीड फॉर्वर्ड हो जायगा, थर्ड फाइव ईयर प्लान में।

श्री मुरलीधर व्यास : २३ लाख का प्रोग्राम था उसमें से ६ लाख रुपया खर्च हुआ, जब कि आपकी लिस्ट के अन्दर दिया गया है वह खर्च नहीं हुआ है।

श्री हरिश्चन्द्र : बीकानेर जिले के अन्दर एक डिफीकल्टी मैटीरियल की आती है, कोयले की आती है, इससे थोड़ा वर्क वहां स्लो है। कोशिश की जायगी कि जल्दी से जल्दी इस काम को खत्म किया जाय।

श्री मुरलीधर व्यास : मैटीरियल के लिए काम रुकता नहीं है, दूसरे काम होते हैं। सवाल यह है कि सरकारी अधिकारियों को यह ख्याल नहीं कि यह निर्माण का काम है और वेटरनरी कॉलेज राजस्थान में एक है, जिसके लिए कहा जाता है कि एशिया में सबसे बड़ा कॉलेज है। उस कॉलेज में कुछ चीजें बनाने के लिए २३ लाख रखते हैं और सिर्फ ६ लाख की चीजें बनती हैं। वहां पर कितनी असुविधा होती है ? जो होस्टल छात्रों के लिए बनाना था, उसमें ईंटों की जरूरत थी, चूने की जरूरत थी, जो जामसर में खूब मिलता है। उसमें कोयले की जरूरत नहीं थी। फिर ऐसी चीजों का निर्माण क्यों नहीं हुआ ?

श्री अध्यक्ष : श्री भैरोंसिंह।

श्री मुरलीधर व्यास : अध्यक्ष महोदय, यह सवाल ऐसा है कि बहुत से काम प्लानिंग में निश्चित किये गये हैं, वे हुए नहीं हैं। जो एस्टीमेट बनाया है वह सोच कर बनाया है। अगर वे काम नहीं होते हैं ....

श्री हरिश्चन्द्र : सारे के सारे काम सेकिंड प्लान में कम्प्लीट करने नहीं थे। जैसा आप फर्मा रहे हैं वे सारे काम सेकंड प्लॉन में कम्प्लीट हो जायं, यह बात नहीं थी।

श्री अध्यक्ष : श्री भैरोंसिंह।

श्री मुरलीधर व्यास : यह नहीं कह रहा हूं....

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट क्वेश्चन।

श्री मुरलीधर व्यास : जो काम १९५९-६० में होने थे वे क्यों नहीं हुए ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट क्वेश्चन, श्री भैरोंसिंह।

बम्बई निवासी श्री बृजलाल वासन्तीलालजी को नाथद्वारा टेम्पल बोर्ड की सदस्यता से पदच्युत करना

३२२. **श्री भैरोंसिंह** (श्रीमाधोपुर): क्या देवस्थान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या यह सही है कि बम्बई के श्री बृजलाल बासन्तीलालजी नाथद्वारा टेम्पल बोर्ड के सदस्य हैं ?

(ख) क्या यह सही है कि कस्टम विभाग द्वारा श्री बृजलाल वासन्तीलालजी तथा उनके पुत्र श्री हिम्मत बृजलाल सेठ को २४,०००) रु० के लगभग के सोने के पाउडर के तस्कर व्यापार करने के आरोप में बम्बई में गिरफ्तार किया गया ?

(ग) क्या सरकार इसको उचित समझती है कि एक तस्कर व्यापारी को नाथद्वारा जैसे सम्पन्न एवम् पवित्र मंदिर के बोर्ड का सदस्य रखा जावे ? यदि हां, तो क्यों ? यदि नहीं, तो उनको सदस्यता से क्यों नहीं हटाया जाता है ?

देवस्थान मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : (क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) नाथद्वारा एक्ट, १६५६ की धारा ७ की उपधारा (१) व (२) में सदस्यों को हटाने का प्रावधान है उसके अनुसार जब तक श्री बृजलाल वासन्तीलालजी के मामले में उनको दोषी करार दिया जाकर सजा नहीं दी जाती उस वक्त तक उनको सदस्यता से हटाने का प्रश्न नहीं उठता।

श्री भैरोंसिंह : क्या उनकी इस प्रकार की गिरफ्तारी उनकी इन्टीग्रेटी को टैस्ट करने के लिए सरकार पर्याप्त नहीं समझती है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जी नहीं।

प्रश्न संख्या ३२३

श्री अध्यक्ष : श्रीमती गौरी पूनिया।

(अनुपस्थित)

श्री लक्ष्मण हीरात।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत उदयपुर जिले की तहसीलों में आनेवाली सड़कों का सर्वेक्षण

३२४. **श्री लक्ष्मण हीरात** (गोगुन्दा-सु०) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) उदयपुर जिले के कोटड़ा, गोगुन्दा, फलासिया एवं खैरवाड़ा तहसीलों के अन्तर्गत द्वितीय पंचवर्षीय योजना में आनेवाली सड़कों की सर्वे हुई अथवा नहीं ?

(ख) क्या कई सड़कों की सर्वे बाकी है ? यदि हां, तो क्यों ?

(ग) सर्वे के पश्चात् किन किन सड़कों का कार्य करवाया गया और उन पर कितनी कितनी रकम खर्च हुई ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री हरिश्चन्द्र) : (क) सब सड़कों की सर्वे हो चुकी है।

Page No.22

(श्री हरिश्चन्द्र)

(ख) जी नहीं। प्रश्न नहीं उठता।

(ग) सरूपगंज-कोटड़ा रोड - १,७५, ३७३) रु०

(२) खेरवाड़ा-कोटड़ा रोड – २,१२, २५२) रु०

(३) गोगुन्दा–पिन्डवाड़ा रोड, ठेकेदार का बिल नहीं आया है।

(४) उदयपुर-गोगुन्दा रोड - ५,६०, ३४६) रु०

(५) उदयपुर से सोमजांडोल कोलियारी व फलासिया १०,२७१) रु०

(६) गोगुन्दा–कोटड़ा रोड – १५,४५३) रु०

(७) कम्पलीटिंग खेरवाड़ा–कोटड़ा रोड-२,५४,३८३) रु०

श्री लक्ष्मण हीरात : क्या यह सही है कि कुछ सड़कों की अभी तक सर्वे नहीं हुई है - जो सोमजाडोल से गोगुन्दा तक दूसरे प्लॉन में है, उसकी सर्वे नहीं हुई है ?

श्री हरिश्चन्द्र : मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि प्लॉन प्रोविज़न सेकिंड फ़ाइव इयर प्लॉन में है। इसका मतलब यह नहीं है कि यह सेकिंड प्लान में पूरा हो जाय, it may be carried forward to the next Plan.

श्री लक्ष्मण हीरात : क्या यह उचित नहीं कि सरकार सर्वे करा ले और दूसरे प्लॉन में बनाये, लेकिन सर्वे अभी तक नहीं हुई है ?

श्री हरिश्चन्द्र : काम सब जगह चालू हो रहा है; कम्प्लीशन का सवाल है, they will have to be taken in the Third Plan.

श्री लक्ष्मण हीरात : सर्वे के पहले काम कैसे शुरू होगा ?

श्री हरिश्चन्द्र : सर्वे सब जगह हो चुकी है।

श्री अध्यक्ष : श्री मुरलीधर व्यास।

पलाना खान विकास योजना का क्रियान्वयन

३२५. श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

पलाना खान के विकास सम्बन्धी योजना को प्रारम्भ कर दिया गया या नहीं ? यदि हां, तो क्या काम प्रारम्भ किया गया है और यदि नहीं, तो क्यों ?

कृषि मन्त्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : हां। विकास योजना प्रारंभ कर दी गई है। पलाना के आस-पास के क्षेत्र में प्रोस्पेक्टिंग का कार्य चालू किया गया है।

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : दूसरी योजना में क्या विकास करने की योजना थी ?

श्री नाथूराम मिर्धा : दूसरी योजना में यह विकास करना था कि ओपन कास्ट

Page No.23

(श्री नाथूराम मिर्धा)

माइनिंग सिस्टम करने के लिए सर्वे करके, कितनी नीची जमीन में कोयला है, उसका अन्दाज करके ओपन कास्ट की व्यवस्था की जाय; उसके लिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाई जाय। वह बन गई है और भारत सरकार ने मन्जूर कर ली है। कितना नीचे कोयला है, उसके लिए प्रोस्पेक्टिंग बहुत सा किया गया है, बहुत सा चालू है।

श्री भीमसेन : क्या यह सही है कि दूसरी योजना में पलाना खान के विकास के लिए दो करोड़ रुपये का प्रावधान था ?

श्री नाथूराम मिर्धा : जी हां।

श्री भीमसेन : सरकार ने कितना खर्चा किया है उसके विकास के लिए ?

श्री नाथूराम मिर्धा : प्रोस्पेक्टिंग का काम हो रहा है, उसके लिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनानी चाहिए। वह रिपोर्ट तैयार हुई है। वह भारत सरकार के विचाराधीन काफी दिनों तक रही, अब भारत सरकार ने एप्रूव कर ली है।

श्री अध्यक्ष : श्री प्रभुलाल पुरोहित।

श्री भीमसेन : इतनी देर क्यों की गई ?

श्री नाथूराम मिर्धा : इतने बड़े काम में देर लग ही जाती है।

श्री अध्यक्ष : ३२६ !

वर्तमान पाली कलेक्टर द्वारा आयोजित बैठकों से जनता को असुविधा

३२६. श्री प्रभुलाल पुरोहित (लालसोट) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) वर्तमान पाली कलेक्टर ने पाली में आने के बाद से जनवरी, १९६० तक कुल कितनी ऐसी मीटिंगों का आयोजन किया जिसमें सरकारी अधिकारियों को निमन्त्रित किया गया है ? ये बैठकें कब कब बुलाई गई और उनके कौन कौन अधिकारी उपस्थित रहे ?

(ख) इन बैठकों के आयोजन में सरकार का खर्चा टी. ए. आदि का कुल कितना हुआ ?

(ग) क्या सरकार को विदित है कि इन बैठकों के कारण रोजमर्रा का काम ठप्प होता है और जनता को भारी परेशानी उठानी पड़ती है ?

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार इस प्रकार की बैठकें आगामी समय में भी चालू रखने का विचार रखती है ?

राजस्व मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : (क) ऐसी कुल ८ बैठकें हुई। तिथि व नाम सूची में संलग्न हैं।

(ख) करीब २,०००) रु० खर्च हुए।

(ग) जी नहीं। बैठकों के दिन निर्धारित होने के कारण अधिकारीगण इस समय अपना कोई कार्यक्रम नहीं रखते और इससे

(श्री दामोदरलाल व्यास)

जनता को कोई परेशानी नहीं उठानी पड़ती।

(घ) जी हां।

(कृपया परिशिष्ट ३ देखिये)

श्री अध्यक्ष : श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी।

भरतपुर में निर्मित होनेवाले बिजली-घर से भरतपुर खास के अतिरिक्त स्थानों को बिजली की उपलब्धि

३२७. श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी (डीग) : क्या मन्त्री, विद्युत विभाग यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) भरतपुर में बननेवाला बिजली-घर कब तक पूरा हो जायगा और उसमें कितनी बिजली पैदा होगी ?

(ख) भरतपुर के अतिरिक्त इस बिजली घर से और किन किन स्थानों तक बिजली पहुँचाने की व्यवस्था की गई है ?

(ग) उक्त स्थानों को कब तक बिजली प्राप्त कराई जा सकेगी ?

विद्युत् मन्त्री (श्री हरिश्चन्द्र) : मार्च, १९६१ तक संभावना है ३,००० किलोवाट।

(ख) डीग तक।

(ग) मार्च, १९६१ तक संभावना है।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : यह कितने किलोवाट बताया ?

श्री हरिश्चन्द्र : तीन हज़ार।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : मुझे जहां तक स्मरण है, अध्यक्ष महोदय, इससे सम्बन्धित मन्त्री महोदय ने चार हज़ार किलोवाट का यहां आश्वासन दिया था, वह अब तीन हज़ार रह गया है। वह करेक्ट कर लें, मन्त्री महोदय ने शायद चार हज़ार का कहा था।

श्री हरिश्चन्द्र : एक प्लान स्टेन्ड बाई रहता है।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : क्या रहता है ?

श्री हरिश्चन्द्र : एक प्लान स्टेन्ड बाई रहता है।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : कुल चार हज़ार किलोवाट पैदा करेगा ?

श्री हरिश्चन्द्र : तीन हज़ार।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : जब हाइड्रो इलेक्ट्रिक आयेगी उसमें क्या होगा, उसमें और एड हो जायगा ?

श्री हरिश्चन्द्र : मेरा ख्याल है एड हो ही जाना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा।

जिला अजमेर के एस० डी० ओ० के कार्यालय में चारागाह की जमीन मुकर्रर कियेजाने अथवा उसमें वृद्धि करने हेतु आये प्रार्थना-पत्रों पर कार्यवाही

३२८. श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा

(श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा)

(किशनगढ़) : क्या राजस्व मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देंगे:—

(१) क्या जिला अजमेर के सब-डिविज़नल ऑफिसर के कार्यालय में किन्हीं ग्रामों में चारागाह की जमीन मुकर्रर किये जाने या चरागाह की जमीन कम है वहां मवेशियों के आधार पर चारागाह की जमीन में वृद्धि करने के लिए प्रार्थना-पत्र पेश हुए हैं या तहसीलों से आये हैं ?

(२) अगर हां, तो किन किन ग्रामों के प्रार्थनापत्र आये हैं और उनमें क्या २ कार्यवाही हो रही है ?

राजस्व मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : (१) खन्ड केकड़ी : कोई प्रार्थना-पत्र चारागाह की जमीन में वृद्धि करने के लिए प्राप्त नहीं हुआ है । तहसील सरवाड़ के ६ ग्रामों के चारागाह के कागजात जेरे कार्यवाही हैं । तहसील केकड़ी के १०६ ग्रामों से चारागाह कायम करने की कार्यवाही जारी है ।

खण्ड ब्यावर : कोई प्रार्थनापत्र चारागाह की जमीन में वृद्धि करने के लिये प्राप्त नहीं हुए हैं । ८ ग्रामों में चारागाह कायम करने की कार्यवाही चल रही है ।

खण्ड किशनगढ़ : निम्न ग्रामों में चारागाह कायम करने व वृद्धि करने की कार्यवाही जारी है:—

मोजा हरमाला तिलोनियां ।

रामपुरा खातीली उदयपुर कलां ।

कुचील बोदर सीधरी नोहरया ।

वरणा जोरावरपुर नोलीयाना ।

खण्ड अजमेर : ७० ग्रामों में चारागाह कायम करने की कार्यवाही चल रही है ।

(२) इस सम्बन्ध में कोई प्रार्थना-पत्र एस. डी. ओ. कार्यालय में पेश नहीं हुए हैं ।

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर): किशनगढ़ सब-डिविज़न में केस हुए, उनका क्या हुआ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने बताया है कि वहां चारागाह कायम करने व वृद्धि करने की कार्यवाही की जा रही है ।

डॉ० बहादुरसिंह : वह कब से है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जब से दरख्वास्त आई तब से है । इसमें जमीन को देखना पड़ता है और यह भी शुमार करना पड़ता है कि कितने मवेशी हैं और कौनसी जमीन उनके लिए निकाली जावे ।

श्री शंकरलाल (रायपुर) : अन ऑक्युपाइड लैन्ड को गोचर भूमि में परिवर्तित क्यों नहीं करते ?

श्री दामोदरलाल व्यास : वह गोचर भूमि डिक्लेअर नहीं की जा सकती ।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट ।

जोधपुर डिविजन में समाज कल्याण विभाग के तहत धन-राशि का लैप्स हो जाना

३२६. श्री अनूपसिंह (बालोतरा) :

Page No.26

(श्री अनूपसिंह)

क्या समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे: —

(क) क्या यह सही है कि जोधपुर डिविज़न में समाज कल्याण विभाग के तहत हर साल धनराशि लैप्स हो जाती है ? यदि हां, तो क्यों और ऐसी तीन वर्षों में कितनी रकम लैप्स हुई ?

(ख) पिछले तीन वर्षों में कुल कितनी धन-राशि जोधपुर डिविज़न में वितरित की गई ? जिलावार आंकड़े मद सहित सदन की मेज पर रखें। कर्ज दी जाने वाली रकम का क्या आधार व नियम है ?

समाज कल्याण मन्त्री (श्री रिखबचन्द धारीवाल) : (क) जी नहीं।

(ख) पिछले तीन वर्षों में जो धनराशि जोधपुर डिविज़न में वितरित की गई उसके जिलेवार आंकड़ों की सूची (अ) और (ब) सदन की मेज पर रख दी गई है। इस विभाग में कर्ज देने की कोई योजना नहीं है।

(कृपया परिशिष्ट ४ देखिये)

श्री अनूपसिंह : क्या ऐसी भी योजना है कि जिसके द्वारा समाज कल्याण के द्वारा गृह निर्माण के लिए योजना बनाई गई है और उसके लिए धनराशि अलग रखी गई है।

श्री रिखबचन्द धारीवाल : घरों के लिए सब्सिडी देते हैं, लोन नहीं देते हैं।

श्री अनूपसिंह : पिछले तीन वर्षों में गृह निर्माण के लिए कितनी सब्सिडी दी गई ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : आपने प्रश्न लोन के लिए पूछा था, सब्सिडी के लिए नहीं पूछा। अगर सब्सिडी के लिए पूछेंगे तो उसके लिए भी बता दूंगा कि जोधपुर में हाउसिंग के लिए क्या सब्सिडी दी जाती है।

एक माननीय सदस्य : क्या यह सही है कि किसी को भी जोधपुर में सब्सिडी नहीं दी गई, इस कार्य के लिए ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : मैंने कहा कि इसके लिए आप अलग से प्रश्न पूछिये। मैं आपको उसका जवाब दूंगा। आंकड़े मंगा कर बता दूंगा।

श्री शंकरलाल (रायपुर) : जब ऐसा आरोप है तो माननीय सदस्य का, तो इसके लिए जांच कराई जानी चाहिये।

श्री अध्यक्ष : यह जो स्टेटमेंट है उसमें यह बताया गया है कि किन किन को सहायता दी गई है।

(विराम)

नेक्स्ट।

गर्ल्स हाई स्कूल, किशनगढ़ में नवीन कमरे का शीघ्र निर्माण करवाना

३३०. **श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा** : (किशनगढ़) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या यह सत्य है कि गर्ल्स स्कूल,

Page No.27

(श्री पुरूषोत्तनलाल शर्मा)

किशनगढ़ में जो नवीन कमरा बन रहा है उसका कार्य आज-कल बन्द है ?

(ख) अगर हां, तो क्यों व अब कब तक यह कमरा बन कर तैयार हो जायगा ?

सार्वजनिक निर्माण मन्त्री (श्री हरिश्चन्द्र) :

(क) जी नहीं, कार्य चालू है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता । आशा है चालू वित्तीय वर्ष में ।

एक माननीय सदस्य : चालू नहीं है । शीघ्र चालू करा दें ।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट ।

गलिया कोट, जिला डूंगरपुर का विकास

२३१. **श्री भोगजी भाई** (बांसवाड़ा) : क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) क्या यह सत्य है कि गलिया कोट, जिला डूंगरपुर का एक दूसरे नम्बर का कस्बा होने के उपरान्त भी वहां न तो तहसील हैडक्वार्टर है, न ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिस है और न अभी तक चौमासे में आवागमन की व्यवस्था ही है ? यदि हां, तो क्यों ?

(ख) क्या यह सत्य है कि गलिया कोट की जनता ने इसके बारे में कई बार सरकार का ध्यान आकर्षित किया है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

कृषि मन्त्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (क) जी हां । किन्तु आवागमन के लिये सागवाड़ा से गलिया कोट तक जिसकी दूरी ११ मील है सड़क बनाने की स्वीकृति दे दी गई है । ३ मील तक सड़क का निर्माण हो चुका है और बाकी का कार्य चालू है । मोरन नदी पर पुल बनाने के लिये स्वीकृति दी जा चुकी है । उदयपुर गलिया कोट के मार्ग के लिये बस पर्मिट दिये जा चुके हैं ।

(ख) जी हां । आवागमन का प्रबन्ध करने के सम्बन्ध में कार्यवाही चालू है ।

श्री भोगजी भाई : क्या यह सही है कि चमनवाड़ा ३० मील दूर है और सागवाड़ा नजदीक है जैसे आपने बताया ; मगर फिर विकास के सेन्टर वहां क्यों रखे हैं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : ठीक है आपका बताना ।

श्री भोगजी भाई : हैड क्वार्टर सागवाड़ा में नजदीक होता है । वह ११ मील है । चमनवाला ३० मील दूर है, फिर आपने उसको हैडक्वार्टर क्यों बनाया, क्या कारण है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : यह विकास खंड का काम पंचायत समिति और जिला परिषद् करते हैं, उनसे पूछें ।

श्री मुरलीधर व्यास : क्या यह सही नहीं है कि जो विकास खंड जिस तहसील में हो उसके ऑफिस उसी तहसील के हैडक्वार्टर पर ही हों ?

श्री नाथूराम मिर्धा : यह कोई जरूरी

(श्री नाथूराम मिर्धा)

नहीं है कि विकास खंड का हैडक्वार्टर तहसील हैडक्वार्टर पर ही हो।

श्री भोगजी भाई : विकास खंड का ऑफिस वहां से ११ मील दूर सागवाड़ा में न रख कर दूसरी जगह, जो दूर है रखने का क्या कारण है; जहां पर कोई आवागमन के साधन नहीं है इसका क्या कारण है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : अब तो पंचायत समितियों की राय से और जिला परिषद् की राय से विकास खंड के हैडक्वार्टर तय होते हैं। पहले जो ब्लॉक्स जिस समय बने थे वे बी० डी० ओ० और कलेक्टर ने जहां कहां वहीं पर उनका हैडक्वार्टर रहा। अब उसमें परिवर्तन हो सकता है, इसके लिये आप पंचायत मन्त्री से पूछें।

श्री भोगजी भाई : क्या यह सही है कि जनता ने सरकार से जो मांग की है वह सरकार के विचाराधीन है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : अब तो परिवर्तन होगा वह पंचायत समितियों की राय से और पब्लिक की राय से ही होगा।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री लक्ष्मण होरात; प्रश्न संख्या ३३२।

३३२. श्री लक्ष्मण होरात (गोगुन्दा-सु०) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(१) जिला उदयपुर के कोटड़ा एवं गोगुन्दा तहसील के भूमिहीन किसानों को भूमि सन् ५७ से ६० तक किन किन शर्तों पर दी गई ?

(२) जिनको भूमि दी गई है उनके खातों पर पहले से कितनी कितनी भूमि थी ?

(३) भूमिहीन किसानों की दर्ख्वास्तें कितने अर्से से पेन्डिंग है और किन किन कारणों से ?

(४) उपरोक्त दोनों तहसीलों में चरणोट किस हिसाब से और कहां कहां कितनी कितनी हैं ? कृपया विगतवार आंकड़े बतायें।

(५) चरणोट कायम करते वक्त क्या गांववालों की राय ली गई थी ? यदि हां, तो किस किस गांव की ?

राजस्व मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : अध्यक्ष महोदय, इसकी पूरी सूचना नहीं आई है; इसलिये इसका उत्तर अभी नहीं दिया जा सकता है।

प्रश्न संख्या ३३३

श्री अध्यक्ष : श्रीमती गौरी पूनिया।

(अनुपस्थित)

नेक्स्ट, श्री भैरोंसिंह।

डीवाइ० एस०, पी० श्री मिश्रा व एस० आई०, श्री भीखाराम के विरूद्ध हुई रिश्वत की शिकायतों की जांच

३३४. श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर) :

(श्री भैरोंसिंह)

क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या यह सही है कि तत्कालीन डीवाई० एस० पी०, श्री मिश्रा तथा एस० आई० श्री भीखाराम के विरूद्ध श्री गंगानगर जिले में अफीम को गिरफ्तार करके रुपये लेकर छोड़ने की शिकायत एन्टीकरप्शन विभाग अथवा पुलिस विभाग को मिली थी ? यदि हां, तो शिकायत का विवरण सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ।

(ख) क्या यह सही है कि इन शिकायतों की एन्टीकरप्शन अथवा पुलिस विभाग द्वारा जांच करवाई गई है ?

(ग) यदि हां, तो यह जांच कब २ आरम्भ हुई तथा कब २ समाप्त हुई तथा विभागों की जांच का क्या परिणाम रहा है ?

(घ) क्या यह सही है कि सेन्ट्रल सी० आई० डी० एवं कस्टम्स विभाग के अधिकारियों ने भी इस सम्बन्ध में सरकार को लिखा है ? यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई ?

कृषि मन्त्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (क) इस विषय की शिकायत सरकार के पास आई थी । शिकायत में यह आरोप लगाया गया था कि श्री भीखाराम, भूतपूर्व सब इन्सपेक्टर, सदर श्री गंगानगर व श्री पी.सी. मिश्रा भूतपूर्व सहायक सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस ने चोरी से अफीम लाने के मामले में श्री मनीराम तारड से ३०,०००) रुपये रिश्वत के लिये ।

(ख) जी हां, इस शिकायत की प्राथमिक जांच भ्रष्टाचार विरोधी विभाग द्वारा कराई गई ।

(ग) यह जांच १–९–५७ को आरम्भ की गई थी और मई, ५८ में समाप्त हुई । इस जांच के फलस्वरूप सरकार ने दोनों उक्त अधिकारियों के विरूद्ध विभागीय जांच करवाई । जांच अधिकारी की रिपोर्ट पर विचार किये जाने पर सरकार ने निर्णय किया कि उक्त अधिकारियों के विरूद्ध जो आरोप लगाये गए वे प्रमाणित नहीं हुए इसलिये उनके विरूद्ध मामले को समाप्त किया जाय ।

(घ) जी नहीं ।

श्री भैरोंसिंह : क्या इस प्रकार का निर्णय लेने से पहले जिस व्यक्ति ने शिकायत की थी उसको भी सूचना दी गई कि तुमने जो शिकायत की थी इसके कन्टेन्ट्स पूर्ण नहीं हुए हैं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : उसको सुबूत का मौका दिया गया और उसके बाद ऐसा करने की आवश्यकता नहीं थी ।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि जिस समय इन्क्वायरी हो रही थी उस समय उसको यह कहा गया कि इतना सुबूत ही पर्याप्त है, और आगे कोई सबूत देने की आवश्यकता नहीं है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : ऐसी कोई सूचना हमारे पास नहीं है ।

श्री भैरोंसिंह : क्या इस प्रकार की

Page No.30

(श्री भैरोंसिंह)

कोई शिकायत मनीराम ने सरकार के पास की है कि उसको यह कहा गया कि अब और सुबूत की जरूरत नहीं है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : यह जानकारी हमारे पास नहीं है।

प्रश्न संख्या ३३५.

श्री अध्यक्ष : श्री नाथूलाल करोल।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ३३६.

श्रीमती गौरी पूनिया।

(अनुपस्थित)

नेक्स्ट, श्री शिवचरणदास।

मौजा भेरणीया खेड़ा, तहसील रायपुर के काश्तकारों की जमीन रद्दोबदल कर खाते में नहीं लिया जाना

३३७. श्री शिवचरणदास (मांडल) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) मौजा भेरणीया खेड़ा, तहसील रायपुर, जिला भीलवाड़ा—साबिक पट्टे देवगढ़ में कितने ऐसे काश्तकार हैं जिनको संवत् २००८ से २०१० तक ठिकाने से कृषि भूमि के पट्टे किये गये ? नामवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(ख) क्या यह सही है कि उक्त सालों में जिन जिन किसानों ने पट्टे करवाये उनको अब तक रद्दोबदल कर खाते में नहीं लाया गया ? यदि हां, तो क्यों और यदि नहीं, तो कब किस तारीख को ?

(ग) क्या पटवारियों द्वारा हर साल उपरोक्त किसानों से रद्दोबदली के नाम से पांच-पांच रुपये फी किसान से लिये जाते रहे हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

(घ) क्या इन किसानों के रद्दोबदल की कार्यवाही तहसील में भी चल रही है ? यदि हां, तो कब से और उनमें क्या निर्णय दिया गया और कब तक ?

राजस्व मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : (क) निम्नलिखित ८ व्यक्तियों को जागीरदार ने पट्टे दिये हैं:—

(१) छोगा वल्द नरिम जाट

(२) सवाईराम वल्द वरदा जाट

(३) डालु वल्द चतुरभुज नाथ

(४) चतुरभुज मनरूप गंगाराम कुम्हार

(५) प्रताप पिता घोमा जाट

(६) हरलाल वल्द माना जाट

(७) बनेराम वल्द श्रीराम जाट

(८) चम्पा वल्द गुला जाट।

(ख) जी हां, जागीरदार द्वारा दिये गये पट्टों की सत्यता की जांच की जा रही है। साबिका में रेकॉर्ड से तहसील में कार्यवाही को नहीं पाया जाता इसलिये अब तक उपरोक्त आसामियान की ? आराजी खाते में दर्ज नहीं हुई। दिनां १४-४-६० से इन आराजीयान

(श्री दामोदरलाल व्यास)

को नाजाइज़ कब्जे के रजिस्टर में पटवारी ने इन्द्राज कर लिया है। सम्बन्धित इन्सपेक्टर इस सम्बन्ध में जांच कर रहे हैं तथा इस संबंध में सम्बन्धित तहसीलदार द्वारा आगामी कार्यवाही की तिथि दिनांक १४.६.६० निश्चित की गई है।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री शिवचरणदास : क्या यह सही है कि तहसील में जो पट्टे ठिकानों से काश्तकारों को दिये गये थे और कराये हैं उनकी रद्दोबदली के इन्तकाल को २००८ से खोल दिया है?

श्री दामोदरलाल व्यास : जो मिल्कियत के पट्टे दिये गये हैं उनकी सच्चाई को देखने और उसकी जांच करने के लिये यह किया जाता है कि आया जो पट्टा दिया गया है वह जागीर रिज़म्पशन के पहले का है या नहीं? हमारे यहां ऐसी शिकायतें आई हैं कि जागीरदारों ने जमीन के पट्टे जागीर रिजम्पशन के बाद बहुत कर दिये हैं। उसकी जांच की जा रही है।

श्री शिवचरणदास : यह जांच कितने अर्से में पूरी होगी? जब आपने २००८ के पट्टे के इन्तकाल को खोल दिया है और जैसा मैंने अपने प्रश्न (ग) में पूछा है कि हर साल उपरोक्त किसानों से रद्दो-बदली के नाम से पांच-पांच रुपये फी किश्त से लिये जाते हैं और कहीं कहीं १०) तक लेते हैं।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्री ने इसके लिये इन्कार किया है।

श्री शिवचरणदास : यह जो कहा जाता है कि पट्टों की जांच हो रही है; १० वर्षों तक की जांच हो रही है, अब तक नहीं होने का क्या कारण है?

श्री दामोदरलाल व्यास : दस साल से जांच नहीं हो रही है। २००८ से पट्टे पेश किये। इन पट्टों की जांच हो रही है कि २००८ के हैं या १७ के हैं।

श्री शिवचरणदास : कब पेश किये?

श्री दामोदरलाल व्यास : तारीख तो मेरे पास नहीं है।

श्री शिवचरणदास : मैंने पूछा ही प्रश्न में यह है। दरख्वास्तें उसी वक्त काश्तकारों ने २००८ में पेश कर दीं और जांच नहीं हुई तो इसका क्या कारण है?

श्री दामोदरलाल व्यास : यह जांच हो रही है कि पट्टे सही हैं या नहीं। जांच पूरी हो जायेगी तो कार्यवाही होगी।

श्री शिवचरणदास : अध्यक्ष महोदय, २००८ के संवत् में काश्तकारों ने पट्टे और दरख्वास्तें पेश कर दी हैं। मेरे प्रश्न के अनुसार तारीख बताना चाहिये था कि कब से जांच हो रही है।

श्री अध्यक्ष : श्री भीमसेन।

श्री दामोदरलाल व्यास : अध्यक्ष महोदय, ऐसे प्रश्नों पर निर्णय होना चाहिये!

Page No.32

(श्री दामोदरलाल व्यास)

ये मामले जुडिशियल नेचर के हैं; एकोर्डिंग टू लैंड रेवेन्यू एक्ट कार्यवाही होती है। सूचना के अलावा मेरिट्स पर मैं कुछ नहीं कह सकता।

श्री शिवचरणदास : पटवारी और सम्बन्धित कर्मचारी काश्तकारों को गुमराह करते हैं। दस साल तक खातों की रद्दोबदली नहीं होती। काश्तकारों ने दरख्वास्तें देकर दस साल पहले इत्तला दे दी थी। तारीख पूछी तो यह बताया कि मेरे पास तारीख नहीं है; तो यह सब छिपाने की बात है, अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा कुछ नहीं है।

श्री अध्यक्ष : श्री भीमसेन।

तृतीय पंचवर्षीय योजना में जिला बीकानेर की सड़क योजना

३३८. श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : Will the Minister-in-charge of Public Works Department be pleased to answer the following question:-

1- Whether road plan of Bikaner District has been formulated ?

2. If so, what roads are being taken up during Third Plan ?

3. Have the public representative bodies been consulted so far in formulating the above Plan? If yes, which body was consulted and when ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री हरिश्चन्द्र) : (1) III Plan has not been finalised.

(2) Question does not arise.

(3) Yes. The Zila Parishad was consulted in June, 1960.

श्री भीमसेन : क्या प्रोपोजल्स बना दिये गये?

श्री हरिश्चन्द्र : प्रोपोज़ल्स आये हैं।

श्री भीमसेन : कौन २ से प्रोपोज़ल्स हैं।

श्री हरिश्चन्द्र : वे मेरे पास नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष : श्री अनूपसिंह।

जोधपुर स्थित जसवन्त सराय में खाली पड़ी जमीन के अतिक्रमण करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही

३३९. श्री अनूपसिंह (बालोतरा) : क्या देवस्थान मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देंगे :—

(१) क्या यह सही है कि जोधपुर स्थित जसवन्त सराय में आम रास्तों को कुछ प्राइवेट पार्टीज़ को दूकानें बनाने के लिए दे दिया गया? क्या ऐसा सरकारी आज्ञानुसार हुआ है? अगर हां, तो क्या यह नियम विरुद्ध नहीं है?

(२) क्या सरकार को विदित है कि सराय के अन्दर जो खाली जमीन पड़ी है उस पर कई व्यक्तियों ने अतिक्रमण कर

(श्री अनूपसिंह)

बिना आज्ञा भवन निर्माण कर लिये हैं जिन्हें होटल की तरह चलाया जाता है ?

(३) क्या जसवन्त सराय के अहाते में लोड ट्रक्स को खाली करने का अड्डा बनाया गया है ? क्या ट्रस्ट की जमीन को पब्लिक स्टेन्ड के काम लिया जाना नियम विरुद्ध नहीं है ?

(४) क्या जिन्होंने अतिक्रमण किया है उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही करने का सरकार विचार रखती है ?

देवस्थान मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : (१) जसवन्त सराय की कई पोलें व रास्तों में से दो पोलें व एक गली किराये पर दे दी थी। उनको दूकानों में परिणत करने का आदेश कभी नहीं दिया गया था और जिन लोगों ने इनको दूकानों के रूप में परिणत कर दिया उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही करने की तजवीज़ है। एक टैस्ट केस बना कर अदालत मजाज में बेदखली का दावा कर दिया गया था और कॉम्पिटेन्ट कोर्ट से खारिज होने पर अपील की कार्यवाही दर पेश है।

(२) जसवन्त सराय के अहाते में खाली जमीन पर अतिक्रमण का केवल एक केस पाया गया जिसके खिलाफ अदालत मजाज में कार्यवाही चल रही है।

(३) जी नहीं। केवल कुछ फल व सब्जी के व्यापारियों को १) रु० फी ट्रक के हिसाब से किराया देने पर खुली जमीन के कुछ हिस्से पर ट्रक खड़ी करने व खाली करने की इजाजत दी गई थी। सराय की जमीन ट्रस्ट की जमीन नहीं है बल्कि सरकारी जमीन है और देवस्थान विभाग के कब्जे में है। इसको पब्लिक स्टैन्ड के तौर पर नहीं बरता जाता है।

(४) जी हां। अदालत मजाज में कार्यवाही चल रही है।

श्री अनूपसिंह : पार्ट १ के जवाब में फरमाया था कि जो अतिक्रमण किया गया तो उसके विरुद्ध कार्यवाही हो रही है तो वह कार्यवाही कब से शुरू हुई और अतिक्रमण कब से शुरू हुआ ?

श्री दामोदरलाल व्यास : अतिक्रमण का सवाल नहीं है। नं० (२) का जवाब यह था कि एक केस ट्रैसपासिंग का है। (१) के सम्बन्ध में बताया कि पोल वगैरह में तब्दीली कर ली तो उसके लिए कॉम्पिटेन्ट कोर्ट में कार्यवाही चल रही है। अपील दर पेश है।

श्री अनूपसिंह : खबर आपको कब मिली ?

श्री दामोदरलाल व्यास : अतिक्रमण का केस एक ही पाया गया। जब इसकी इत्तिला असिस्टेन्ट कमिश्नर को हुई तो तो कॉम्पिटेन्ट कोर्ट में केस दायर किया गया।

श्री अनूपसिंह : इस प्रश्न के पूछने से पहले से यह हुआ या बाद में यह कार्यवाही की गई ?

श्री दामोदरलाल व्यास : यह मुझे नहीं मालूम है। मेरे पास यही सूचना है

Page No.34

(श्री दामोदरलाल व्यास)

कि अदालत मजाज में कार्यवाही चल रही है।

श्री अध्यक्ष : श्री पी० के० चौधरी ।

सिरोही में मनादार जागीर का पुनर्ग्रहण नहीं होना

३४०. श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा): Will the Revenue Minister be pleased to state :—

(i) Is it correct that in Sirohi there is a Jagir called Msnadar Jagir ?

(ii) Is it correct that this Jagir has an annual income of over Rs. 1, 00,000/-?

(iii) Is it also correct that this Jagir is not yet rerumed by the Government ? If so, will the Govern ment state the reason for it's non-resumption ?

राजस्व मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास): 1.Yes.

2. The total annual income of Manadar Jagir is only Rs. 22,370/-

3. There are three Patties in this Jagir. Of the three, two patties have been resumed. Patti No. I is in the personal property of HisHighness the Maharja of Sirohi.his Highness has submitted objection to its resumption under the Rajasthan Land Reforms and Resumption of Jagir Act, 1958 and the case is under consideration of the Government.

श्री पी० के० चौधरी : Since when the case is under consideration of the Government ?

श्री दामोदरलाल व्यास : A number of Rulers are involved in this case. Whether they should be resumed under this Act or a separate Act should be enacted by this House; this is under cousideration. Mr. Jai Kirt Singh, Administrator of the Property of His Highness the Maharaja of Jodhpur has also put an objection and all these cases are under consideration and a decision shall be taken in consultation with the States Ministry.

श्री अध्यक्ष : श्री मोहरसिंह ।

भाखरा केनाल एरिया में खेतों के रास्ते किसानों द्वारा अपनी भूमि में से छोड़े जाने विषयक

३४१. श्री मोहरसिंह (चुरू) : क्या राजस्व मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :-

(१) क्या यह सही है कि बीकानेर डिविज़न में गंग कैनाल एरिया में खेतों के रास्ते किसान की जमीन में शुमार नहीं होते थे ?

(२) क्या यह सही है कि अब भाखरा कैनाल एरिया में रास्ते किसानों को ही अपनी जमीन में से छोड़ने पड़ रहे हैं ?

(३) अगर हां, तो ऐसा क्यों ?

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास): (१) जी हां।

(२) जी हां।

(३) भालरा क्षेत्र के गांवों के रास्ते का रकबा किसानों के रकबे में से काटा गया है और यह राजस्थान कॉलोनाइज़ेशन (जनरल कॉलोनी कन्डीशन्स), १६६ की कन्डीशन नं० ८ के अन्तर्गत किया गया है।

श्री मोहरसिंह : तीन का जवाब फिर से बतायें, सुना नहीं गया।

श्री दामोदरलाल व्यास : भालरा क्षेत्र के गांवों के रास्ते का रकबा किसानों के रकबे में से काटा गया है और यह राजस्थान कॉलोनाइज़ेशन (जनरल कॉलोनी कन्डीशन्स), १६६ की कन्डीशन नं० ८ के अन्तर्गत किया गया है।

श्री अध्यक्ष : श्री अनूपसिंह।

बायतू रेलवे स्टेशन से कोलू, गिंडा (पुलिस स्टेशन) परेऊ होती हुई पाटोदी ग्राम तक सड़क निर्माण

३४२. **श्री अनूपसिंह** (बालोतरा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि एक सड़क जिला बाड़मेर में बायतू रेल्वे स्टेशन से कोलू, गिंडा (पुलिस स्टेशन) परेऊ होती हुई पाटोदी ग्राम तक सन् १९६०–६१ तक बनाने की योजना थी, जिस पर कार्यारम्भ भी हो चुका था? अगर हां, तो इस सड़क पर कहां तक काम हो चुका और बाकी सड़क कब तक बन जायगी?

(ख) इस सड़क पर कितनी धन-राशि खर्च होगी और अब तक कितनी हो चुकी है?

(ग) क्या यह सही है कि इस सड़क पर काम की प्रगति बहुत धीमी है?

(घ) क्या निर्माण विभाग के किसी उच्चाधिकारी ने इस काम की जांच पड़ताल की है? यदि हां, तो इनकी क्या रिपोर्ट है?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री हरिश्चन्द्र) : (क) जी नहीं। प्रश्न नहीं उठता बायतू से सड़क कनोद गिंडा, परेऊ होती हुई पाटोदी जाती है न कि कोलू होती हुई।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग, घ) प्रश्न नहीं उठता।

श्री अनूपसिंह : क्या १९६०–६१ में इसके खत्म होने का अन्दाज नहीं था?

श्री हरिश्चन्द्र : कौनसा सवाल?

श्री अनूपसिंह : उस सड़क का कि जो ६०–६१ में समाप्त होने को थी।

श्री हरिश्चन्द्र : सड़क कोलू नहीं जाती है।

श्री अनूपसिंह : परेऊ जाती है तो क्या उसको ६०–६१ में खत्म करने की स्कीम नहीं थी?

श्री हरिश्चन्द्र : आपने दूसरा प्रश्न पूछा था कोलू का।

श्री अनूपसिंह : राउन्ड बताया था। कोलू तो बाईफर्केशन है।

Page No.36

श्री हरिश्चन्द्र : सेनी आती है, जीरा होती हुई परेऊ जावेगी, कोलू नहीं जाती है।

श्री अनूपसिंह : सर्किल तो वही रहा है। कितनी उस पर धन--राशि खर्च हुई, वह सड़क कितनी बन चुकी है; अध्यक्ष महोदय, मैं इसका जवाब चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्री महोदय बता चुके हैं। कोलू का प्रश्न जानकर उन्होंने सूचना दी। कितनी धन राशि खर्च होगी आदि, यह जानकारी उनके पास नहीं है।

श्री अनूपसिंह : कोलू का बाइफर्केशन है, परेऊ ही जाती है।

श्री अध्यक्ष : यह मेन्शन नहीं किया था। इसलिए नहीं कहा गया।

दिनांक २ अगस्त, १९६० के स्थगित प्रश्न।

श्री तेजाराम गहलोत।

ग्राम बागावास, तहसील सोजत, जिला पाली के कृषकों को सेटलमेन्ट विभाग द्वारा लगान की वसूली

५१. श्री तेजाराम गहलोत (सोजत) : क्या राजस्व मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(१) जिला पाली, तहसील सोजत के ग्राम बागावास में महकमा बंदोबस्त द्वारा कितने पर्चे लगान कितनी जमीन के कृषकों को नहीं बांटे गये ?

(२) उक्त जमीन पर कृषकों का कब्जा कितने वर्षों से नहीं है ? खरेवार सूचित करावें।

(३) क्या यह सही है कि कृषक पर्चा लगान मन्जूर करने के बाद ही जमीन का लगान देने का अधिकारी है तथा केवल बन्दोबस्त में दर्ज होने से व भूमि पर कब्जा न होने से कृषक लगान देने को बाध्य नहीं किया जा सकता ?

(४) क्या यह भी सही है कि बागावास में कृषकों से उनका कब्जा भूमि पर न होते हुए बन्दोबस्त के पर्चे लगान उनको बिना दिये ही लगान वसूल किया गया ? अगर हां, तो किन किन से व कितना कितना लगान वसूल किया ?

(५) उक्त कृषकों में से कितनों के विरुद्ध राजस्थान टीनेन्सी एक्ट की धारा (४) व ६१ के अन्तर्गत कार्यवाही की गई ?

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास): (१) ग्राम बागावास के १८५ पर्चे लगान ६,८५३ बीघा के बन्दोबस्त द्वारा कृषकों को नहीं बांटे गये।

(२) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(३) जब तक नियमानुसार भूमि त्याग न दे कृषक लगान देने का उत्तरदायी होता है। भूमि पर कब्जा बनाये रखने की जिम्मेदारी कृषक पर ही है।

(४) लगान जमाबन्दी के आधार पर वसूल किया जाता है। उसी प्रकार बागावास

Page No.37

(श्री दामोदरलाल व्यास)

में भी वसूल किया गया। जो रेकॉर्ड में खातेदार दर्ज हैं लगान के लिए उत्तरदायी हैं ; चाहे भूमि पर कब्जा रखे या छोड़ दे। जिन काश्तकारों का कब्जा नहीं है एवं जिनसे लगान वसूल किया उनकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(५) किसी के विरुद्ध कार्यवाही नहीं की गई।

सूची अति विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री तेजाराम गहलोत : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मन्त्री महोदय ने बताया १८५ आदमियों को पर्चे नहीं बांटे गये लेकिन लैंड रेवेन्यू एक्ट की धारा १६४ के तहत पर्चे बांटना लाजिमी है। उसके बाद कृषक को अधिकार है कि उनको वह एक्सेप्ट करे या न करे या रिजेक्ट करदे उसके बाद वह लगान देने का एन्टाइटल्ड है। १८५ को जो पर्चे नहीं बांटे गये उनसे लगान किस अधिकार पर वसूल किया जा रहा है, वे किस तरह से लगान देने के अधिकारी हैं जब कि उनको कानून द्वारा प्रोटेक्शन दिया हुआ है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : प्रोटेक्शन है तो वे इस बारे में अदालत द्वारा रेमेडी-सीक कर सकते हैं लेकिन जो स्थिति थी वह मैंने आपके सामने रख दी। जिनको पर्चे तकसीम नहीं होते, खतूनी के अन्दर खातेदारी जिनकी दर्ज कर रखी थी वे लगान देने के जिम्मेदार हैं। अगर वे अपने आपको जिम्मेदार नहीं समझते हैं तो कानूनी कार्यवाही कर सकते हैं। फैक्ट्स जो आपने चाहे थे वे मैंने बता दिये १८५ को पर्चे नहीं बांटे गये।

श्री महेन्द्रसिंह पंवार (अजमेर-पूर्व): क्या यह आवश्यक नहीं कि जिनको तकलीफ है उसके बारे में पर्सनल कार्यवाही करके कानून के तरीके से रेमेडी सीक करे ? क्या हुकूमत राहत नहीं दे सकती, क्या उसके लिए यह जरूरी नहीं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : I have understood the Hon'ble Member, Sir. माननीय सदस्य की जानकारी के लिए निवेदन कर दूं कि कलेक्टर्स को पर्चे भेज दिये गये हैं आज और कल से उनका वितरण हो रहा है।

श्री तेजाराम गहलोत : जब कि कलेक्टर्स को अब पर्चे भेजे गये वैसी हालत में उनका जमीन पर कब्जा नहीं, वैसी हालत में उनसे जबर्दस्ती लगान वसूल किया जा रहा है, यह किस हद तक जायज़ है और उसी लगान के आधार पर आपने जागीरदारों को मुआवजा दिया है, हालांकि उनका कब्जा उस पर नहीं है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : यह एक साधारण बात है कि नये पर्चे जब तक नहीं दिये जाते हैं तब तक पुराने कायदे के अनुसार जिनके नाम खतूनी में होते हैं उनसे लगान वसूल किया जाता है। उनका अगर कब्जा नहीं है तो Let him ordinarily surrender his land; कब्जा नहीं है तो पुराने कागजातों में दर्ज है, उसे आधार मान कर सरकार लगान वसूल करती है। ट्रेसपासर्स हैं तो उनके लिए तो दावा करें और उनसे वसूल करें।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

Page No.38

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति के व्यक्तियों को कानूनी सहायता

३५२. श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा): Will the Minister for Social Welfare be pleased to state:—

(1) Since the publication of Rajasthan Legal Assistant (Scheduled Castes and Scheduled Tribes) Rules, 1958, how many persons have so far applied to the State Government or Collectors or Social Welfare Department for legal Assistance under these rules ? The names of the applicants may be given in a istrict-wise list showing the dates on which they first applied for such assistance ? How many among them have so far received legal assistance and on what dates ?

समाज कल्याण मंत्री (श्री रिखबचन्द धारीवाल) : 1. As per information collected from bivisional Officers of Social Welfare Department and Collectors 15 persons applied for legal assistance.

A istrictwise list showing the names of the applicants and date on which they first applied has been placed on the table of the House.

No body has been granted legal assistance under the existing rules.

(कृपया परिशिष्ट ५ देखिये)

श्री पी० के० चौधरी : १६५८ से किसी एक आदमी को भी लीगल असिस्टेन्स नहीं मिला और कुल १५ एप्लीकेशन्स ही आई हैं, इसका क्या कारण है ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : जो रूल्स बने हुये हैं उनके अन्दर प्रोसीजर इस किस्म का होता है कि लीगल असिस्टेन्स आसानी से नहीं मिल सकती । इस वास्ते १६५६ में एक कमेटी मुकर्रर की है उसके द्वारा कुछ सजेशन्स आये हैं जो सरकार के विचाराधीन हैं; उन रूल्स को सिम्प्लीफाई करना चाहते हैं ताकि लोगों को जल्दी से जल्दी असिस्टेन्स मिल सके ।

श्री पी० के० चौधरी : कब तक रूल्स को फाइनेलाइज़ कर लेंगे ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : बहुत जल्दी ।

बांसवाड़ा जिले में कार्य करने वाले मैट्रिक की ग्रेड वाले अध्यापकों का फिक्सेशन

१८६. श्री मोगजी भाई (बांसवाड़ा) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) ३१-३-५० को बांसवाड़ा जिले में कितने अध्यापक मैट्रिक की ग्रेड की पोस्ट पर कार्य कर रहे थे व उनमें से कितने अध्यापक मैट्रिक उत्तीर्ण थे ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(ख) क्या यह सत्य है कि शिक्षा विभाग बांसवाड़ा द्वारा मैट्रिक की ग्रेडवाले अध्यापकों का फिक्सेशन १ अप्रेल, १६६० में किया गया था ? यदि हां, तो फिक्सेशन

Page No.39

(श्री मोगजी भाई)

महालेखापाल कार्यालय द्वारा स्वीकृत क्यों नहीं हुआ ?

(ग) क्या यह सत्य है कि शिक्षा विभाग द्वारा ऐसा कोई आदेश जारी किया गया था कि अध्यापकों की पोस्टिंग उनकी योग्यता अनुसार ग्रेडों में की जाय ? यदि हां, तो तत्संबन्धी क्या कार्यवाही हुई ?

कृषि मन्त्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (क) ३१ अध्यापक कार्य कर रहे थे एवं सभी अध्यापक मैट्रिक अथवा मैट्रिक की समकक्ष योग्यता रखते थे । सूची सदन की मेज पर रख दी है ।

(ख) जी हां, प्रोवीज़नल डिपार्टमेंट के फिक्सेशन को महालेखापाल ने स्वीकृत नहीं किया क्योंकि यह फिक्सेशन पोस्ट के आधार पर न करके योग्यता के अनुसार कर दिया गया था जिसको महालेखापाल ने मान्यता प्रदान नहीं की एवं सब का फिक्सेशन दिनांक ३१–३–५० की वेतन श्रृंखला की यु० पी० एस० की तत्सम्बन्धित वेतन श्रृंखला में किया गया ।

(ग) जी नहीं ।

श्री मोगजी भाई : क्या यह सही है कि महालेखापाल ने पोस्ट के आधार को न मानकर योग्यता को आधार माना है; तो फिर १–४–५० को मैट्रिक की योग्यतावाले जिन अध्यापकों का फिक्सेशन महालेखापाल ने किस आधार पर मान्यता नहीं की ? जैसे कि सूची में ५,६,७,८ हैं ये मैट्रिक की योग्यता वाले नहीं हैं इनको रखने का क्या कारण था ?

(कृपया परिशिष्ट ६ देखिये)

श्री नाथूराम मिर्धा : यह जो फिक्सेशन किया गया था; वह पहले डिपार्टमेंट द्वारा किया गया था जिस आधार पर उसके रूल्स बने थे उसके बिल्कुल विपरीत था और रूल्स के अनुसार फिक्सेशन न होने की वजह से महालेखापाल ने उसकी स्वीकृति नहीं दी; अब रूल्स के अनुसार फिक्सेशन करके भेज रहे हैं ।

श्री मोगजी भाई : सन् ४६ से उदयपुर डिविज़न में जो अध्यापक काम कर रहे थे उनका रेकॉर्ड मंगाकर मैट्रिक और मैट्रिक तक की योग्यता रखने वालों को फिक्स कर दिया गया जिसको महालेखापाल ने स्वीकृत नहीं किया । सन् ५० में जो किया गया, मैट्रिक वालों को तो छोड़ दिया गया और नॉन मैट्रिक वालों को ले लिया गया । मैट्रिक वालों को न लेने का क्या कारण है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : इसमें नॉन मैट्रिक है तो नहीं । सब फिक्सेशन जो पहले डिपार्टमेंट ने रूल्स के बगैर कर दिये थे उनको महालेखापाल ने मन्जूरी नहीं दी । अब शिक्षा विभाग रूल्स बना कर फिक्सेशन कर रहा है ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए ।

(१२. २० म० प०)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

जयपुर के आसपास के बीड़ों की भूमि का खुदकाश्त हेतु अलॉटमेन्ट

१. **श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) :**

(श्री भैरोंसिंह)

क्या राजस्व मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(क) क्या यह सही है कि निम्नलिखित बीड़ों की भूमि (जयपुर) खुदकाश्त करने के लिए अलॉट कर दी गई थी ? यदि हां, तो कब ?

बगराना, झोटवाड़ा, बीड तकिया, जैसला, गोविन्दपुरा, झालाना बिजेसागर, गोनेर और माधोराजपुरा ।

(ख) क्या यह सही है कि इनमें से कुछ बीड़ खुदकाश्त के लिए अलॉटमेंट करने के लिए खुदकाश्त कमिश्नर के हवाले कर दिये गये थे ? यदि हां, तो कौन २ से तथा कब २ और इन बीड़ों में प्रत्येक में कितनी २ भूमि है या थी ?

(ग) इन बीड़ों में से कितने जागीरदारान को कितनी २ भूमि खुदकाश्त के लिये दी गई ; कितने जागीरदारों की और क्यों दरख्वास्तें खारिज की गई ?

(घ) क्या इन बीड़ों में से भूमि जागीरदारों को न देकर किन्हीं अन्य लोगों को दी गई है ? यदि हां, तो किस श्रेणी के किन २ व्यक्तियों को और कब २ ?

उत्तर

(क) निम्नलिखित बीड़ खुदकाश्त अलॉटमेंट के लिए सन् १९५६ में निश्चित किये गये थे:—

(ख) झोटवाड़ा, जैसला, गोविन्दपुरा, विजयसागर व गोनेर।

लेकिन बाद को केवल बीड़ झोटवाड़ा के अलावा बाकी बीड़ ऐसे अलॉटमेंट करने के लिए नहीं छोड़े गये।

(ग) प्रश्न के उत्तर में अंकित बीड़ों को खुदकाश्त के लिए अलॉट करने के बारे में जो आदेश सन् १९५६ में हुए उसकी सूचना कमिश्नर खुदकाश्त लैंड्स को भी दी गई। प्रत्येक का रकबा निम्न प्रकार था:—

१. झोटवाड़ा	६०० बीघा
२. जैसला	४०० बीघा
३. गोविंदपुरा	५८३ बीघा
४. विजयसागर	४६३ बीघा
५. गोनेर	५७० बीघा

इन बीड़ों में से जागीरदारान को निम्नलिखित भूमि खुदकाश्त के लिए दिये जाने के आदेश कमिश्नर खुदकाश्त ने दिये:—

१. झोटवाड़ा	२७ जागीरदार	४७८ बीघा
२. गोविन्दपुरा	१६ जागीरदार	५४० बीघा
३. जैसला	१६ जागीरदार	२४० बीघा
४. गोनेर	७ जागीरदार	१७० बीघा

नोट:— उपरोक्त अंकित बीड़ों में जो अलॉटमेंट कमिश्नर खुदकाश्त ने किये उसमें सिवाय बीड़ झोटवाड़ा की भूमि के अन्य बीड़ों में अलॉटमेंट कार्यान्वित नहीं हुआ क्योंकि बाद में ये बीड़ नहीं छोड़े गये । जिन १६ जागीरदारों को जैसला बीड़ में खुद-

(श्री राजस्व मंत्री)

काश्त के लिए भूमि अलॉट की गई उन्हें झोटवाड़ा में परिवर्तन किया गया।

(झोटवाड़ा के २७ जागीरदारों में जैसला के १६ भी शामिल हैं)

(ग) किसी भी जागीरदार की दख्र्वास्त इस बिना पर खारिज नहीं की गई कि ये अमुक बीड़ के लिए दख्र्वास्तें हैं और आमतौर से दख्र्वास्तें बीड़ के नाम न तो दी गई और न बीड़ के नाम की वजह से ही भूमि देना या न देने का फैसला हुआ।

(घ) इन बीड़ों में से खुदकाश्त के लिए निर्धारित भूमि में से खुदकाश्त के अलावा दूसरों को भूमि नहीं दी, गई अलबत्ता बीड़ जैसला में निर्धारित भूमि के बाहर तीन व्यक्तियों को ४५ बीघा भूमि दिये जाने के आदेश हुए। तीन व्यक्तियों में से दो भूत-पूर्व सैनिक हैं व एक भूमिहीन काश्तकार।

देवस्थान विभाग की ओर से १६५६-६० में सहायतार्थ दी गई धन-राशि

२. **श्री भीमसेन** (लूणकरणसर) : क्या देवस्थान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(क) देवस्थान विभाग की ओर से १६५६-६० में कितनी २ धनराशि व्यक्तिगत तौर पर सहायतार्थ प्रत्येक जिले में दी गई ?

(ख) बीकानेर जिले में किन किन लोगों को कितनी धन-राशि मासिक या वार्षिक सहायता देवस्थान विभाग की ओर से दी गई ? सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत की जावे।

सूची 'ए' संलग्न है।

सूची 'बी' संलग्न है।

(कृपया परिशिष्ट ८ देखिये)

लूणकरणसर इत्यादि से विभिन्न मार्गों के लिये सड़क निर्माण सम्बन्धी जनता की मांगें

३. **श्री भीमसेन** (लूणकरणसर) : Will the Minister-in-charge of Public Works be pleased to answer:-Whether the Government is aware regarding the Public demand of the following roads:—

1. Lunkaransar to Ram Singhpur or Vijaynagar via Kumbhana.

2. Lunkarnsar to Sardarshahar via Kalu.

3. Malkisar Station to Garbdesar via Kapurisar-Shekhasar.

4. Bikaner to Punarasa via Runia Bas Sereran.

5. Bikaner to Karmisar approach road.

6. Mahajan Station to Mahajan village approach road.

7. Bikaner to Pugal. ?

उत्तर

(उत्तर अधिक विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

Details enclosed.

Page No.42

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : मेरा एक पोस्टपोन्ड क्वेश्चन रह गया है।

श्री अध्यक्ष : वह बाद में आयगा, अभी उसकी सूचना नहीं आई है।

स्थगन प्रस्ताव

तीन स्थगन प्रस्ताव हैं। श्री भीमसेन ने एक तथा श्री किशनाराम सदस्य, विधान सभा ने दो स्थगन प्रस्तावों की सूचना दी है। चुरू, बीकानेर, सीकर–जिले में टिड्डी दल से हुई हानि पर विचार करने हेतु। इसके अलावा श्री मुरलीधर व्यास का भी एक स्थगन-प्रस्ताव घग्गर नदी में बाढ़ आ जाने से हनुमानगढ़ शहर में हुई हानि से सम्बन्धित है। ये मामले इतने सार्वजनिक महत्व के नहीं हैं कि जिससे निश्चित कार्यक्रम को स्थगित किया जाय। इसलिये मैं इन स्थगन प्रस्तावों को प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं देता हूं। लेकिन इस सम्बन्ध में राजस्व मन्त्रीजी से चाहूंगा कि वे स्थिति का स्पष्टी-करण करते हुए, जब भी सुविधा हो, इस पर एक वक्तव्य दें।

कब दे सकेंगे ?

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री): मैं १४ को दे सकूंगा।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) : अध्यक्ष महोदय, मैं बताऊं वहां आज क्या हालत हो गई है बाढ़ से ? हनुमानगढ़ बाढ़ के पानी से घिर गया, वहां रेलवे लाइन पानी में पूरी डूब गई। लोग हैरान हैं। एक-एक, दो-दो फीट नहीं, पांच-पांच फीट पानी आ गया और फिर भी इस प्रकार मेरे स्थगन प्रस्ताव के लिए आप कहते हैं कि परसों जबाब दूंगा। अगर इसको माना नहीं गया, तो न सही, पर आज तो जबाब मिल जाना चाहिये था। यह ऐसा मसला तो नहीं था कि जबाब के मामले में ऐसा विलम्ब हो।

श्री दामोदरलाल व्यास : आप अगर पहले कहें तो जो जानकारी इस समय है वह दे दूंगा।

श्री मुरलीधर व्यास : आज तक की जानकारी ही दे दें। बाकी की आप तब दे देना।

श्री दामोदरलाल व्यास : हनुमानगढ़ में, जितने भी उधर के सदस्य हैं, वे जानते होंगे कि वहां हर साल बारिश में नाला चलता है। इस साल उसमें पानी ज्यादा आ गया पंजाब के फ्लड की वजह से और इतना आया कि....

श्री महेन्द्रसिंह पंवार (अजमेर-पूर्व) : मन्त्रीजी अपना वक्तव्य देने को तैयार हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : तीन सड़कें हनुमानगढ़ में मुख्य रूप से हैं। एक शहर की तरफ जाती है, दूसरी कॉलोनी की तरफ और तीसरी गंगानगर को जाती है। इनमें से दो सड़कें घग्गर नदी के पानी में इतनी डूब गई कि उस पर दो-दो फीट पानी हो गया, रास्ता चलना मुश्किल हो गया। अब पानी आने से पहले ही कॉलोनाइज़ेशन विभाग और इरिगेशन विभाग ने अपनी पूरी कोशिश इस बात की की थी कि पानी को बान्ध कर रोका जाय, पर रोक नहीं सके। और एक तरफ रेलवे लाइन की वजह से और दूसरा कोई आउट लेट नहीं होने से

(श्री दामोदरलाल व्यास)

सारी की सारी कॉलोनी में और हनुमानगढ़ के एरिया में भी काफी पानी आ गया। यह कहना चाहिये कि वहां आबादी को भी खतरा आ गया; खास कर कॉलोनी जो नीची सतह पर बसी हुई है उसे काफी खतरा हो गया। अब रेलवे की लाइन में से आउट लैट निकाला गया है। पानी उसमें से निकल रहा है और इस तरह कम हो रहा है।

जहां तक रिलीफ मेजर्स का सवाल है; कमिश्नर, कलेक्टर खुद एवं कॉलोनाइज़ेशन के अधिकारी, इरिगेशन के सारे इन्जीनियर्स, सुपरिन्टेंडिंग इन्जीनियर आदि पानी को उतारने के प्रबन्ध में लगे हुए हैं। इस तरह जो कुछ हर मुमकिन किया जा सकता है वह किया जा रहा है। यह सूचना है जो मेरे पास थी वह मैंने अर्ज कर दी। इसके अलावा माननीय सदस्य चाहें तो मैं और बता दूंगा।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी): खास करके यह आपने जैसे फरमाया। पहले तो हमेशा पानी आता था, दो-तीन फीट का था: अब पांच फीट तक पानी हो गया। मैं कहता हूं कि पूरे सूरतगढ़ तक में पानी हो गया है। पूरा सूरतगढ़ ही इसमें आ गया है, कॉलोनी ही नहीं सारे सूरतगढ़ के डूबने की सम्भावना हो गई है। क्योंकि इसका लेवल नीचा है, सारे सूरतगढ़ के ही डूबने की सम्भावना है, आम लोगों का आना-जाना बन्द हो गया है। इसके सम्बन्ध में भी बताना चाहिये कि सरकार क्या कर रही है। सूरतगढ़ का रशियन फार्म जो है उसकी भी हालत खराब है, सारी फसल उधर की खराब हो गई है। तो फसल की क्या स्थिति है, क्या नहीं है इसका भी कोई जिक्र नहीं। तो स्थिति तो सारे इलाके की खराब हो गई है। आपको इन सारे मुद्दों पर स्पष्टीकरण करना चाहिये।

श्री दामोदरलाल व्यास: मैंने स्थिति स्पष्ट की। हनुमानगढ़ का रेल्वे एरिया और कॉलोनी का एरिया पानी से भर गया है और इस पानी को कम करने के लिये और लोगों को राहत पहुँचाने के लिये हर सम्भव कार्यवाही की जा रही है।

श्री महेन्द्रसिंह पंवार (अजमेर-पूर्व): सवाल यह है कि इस नेचुरल कैलेमिटी को टालने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है? इस वक्त तुरन्त क्या किया जा रहा है?

श्री दामोदरलाल व्यास: यह तो माननीय सदस्य खुद भी जान सकते हैं कि सबसे जरूरी चीज है रुके हुए पानी को निकालने की और नया पानी आने से एक की। वह रुका पानी निकालने का प्रयत्न किया जा रहा है, इसके लिये आउट लैट रेल की पटरी की जगह से बनाया जा रहा है। यह मैंने अर्ज किया, फिर यह तो नेचुरल कैलेमिटी है। इसके सिवाय और कोई तरीका नहीं पानी निकालने का।

श्री महेन्द्रसिंह पंवार: नेचुरल तो सभी चीज है।

श्री अध्यक्ष: ऑर्डर प्लीज़! ऑर्डर!! Please listen to Hon'ble Minister.

श्री महेन्द्रसिंह पंवार: I am listening, Sir.

श्री दामोदरलाल व्यास : यह आउट लैट इसलिए भी निकाला जा रहा है ताकि घग्घर नदी से इस प्रकार का पानी और ज्यादा बढ़े तो उससे बचा जा सके।

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : जिस तरह से....

श्री महेन्द्रसिंह पंवार : आकस्मिक कारण जो कुछ भी हों, मैं पूछना चाहता हूं कि क्या हुकूमत की इसमें कोई जिम्मेदारी नहीं है; हुकूमत क्या कर रही है वह अपनी बात करे।

श्री दामोदरलाल व्यास : हुकूमत की जिम्मेदारी पूरी की जा रही है। वही तो मैंने अर्ज किया। सुनें आप पूरा। हर मुमकिन कार्यवाही की जा रही है पानी को रोकने की।

श्री महेन्द्रसिंह पंवार : क्या किय जा रहा है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : लोगों को राहत पहुँचाने का काम किया जा रहा है।

श्री महेन्द्रसिंह पंवार : राहतप हुँचाने का क्या काम किया जा रहा है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : पहले पानी को डाइवर्ट किया जा रहा है ताकि पानी घरों में नहीं जावे।

रावराजा श्री सरदारसिंह (उनियारा): जैसा वे बोलते हैं इसको भी कन्ट्रोल करने का नहीं है ?

श्री भैरोंसिंह : कुछ दिन पहले सरदारशहर में मकान बह गये थे तो राजस्व मन्त्री वहां दौड़ कर गये थे। तो क्या आज वे वहां स्वयं जाकर सारी स्थिति का अवलोकन करेंगे ? और फिर उस प्रकार का रिलीफ उनको देने की व्यवस्था करेंगे जैसा उनको वहां जाने पर विदित हो।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं माननीय सदस्य की जानकारी के लिये निवेदन कर दूं कि सिंचाई मन्त्री, चौधरीजी वहां पहुंच गये हैं। चार रोज से वे इसी काम में लगे हुए हैं। राहत का काम जो भी होगा वे पूरा करेंगे।

श्री तनसिंह (बाड़मेर) : आप शायद स्विमिंग नहीं जानते होंगे ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं सब जानता हूं, केवल डूबना नहीं जानता।

श्री मुरलीधर व्यास : तो सूचना उन्हें और देनी चाहिये थी कि क्या रिलीफ वर्क उन्होंने किया, क्या नहीं किया....

श्री अध्यक्ष : जो इन्फोर्मेशन थी वह दे दी; बाकी परसों और दे देंगे।

श्री दामोदरलाल व्यास : आप पूछना चाहेंगे तो और दे दूंगा।

अनुपस्थिति के लिये अनुमति

श्री अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही प्रारम्भ होने से पूर्व मैं सदस्यों को सूचित करता हूं कि श्री मूलचन्द डागा ने २८ अगस्त, १९६० से सत्र के अन्त तक विधान सभा की बैठक से अनुपस्थित रहने की आज्ञा के लिये प्रार्थना की है। क्या सदन की यह अनुमति है कि उन्हें अनुपस्थित रहने की आज्ञा प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई। "अनुपस्थिति हेतु अनुमति"

Page No.45

राजस्थान बिक्री कर (तृतीय संशोधन) विधेयक, १६६० (पुरःस्थापन)

श्री अध्यक्ष : राजस्थान सेल्स टैक्स (थर्ड अमेन्डमेंट) बिल, १६६० ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वास्थ्य मंत्री) : मैं राजस्थान सेल्स टैक्स (थर्ड अमेन्डमेंट) बिल, १६६० को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिये प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैं विधेयक को पुरस्थापित करता हूं ।

राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम, १६५६

(नियमों में संशोधन सम्बन्धी प्रस्ताव)

श्री अध्यक्ष : राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम, १६५६ के अन्तर्गत बनाये गये नियमों में संशोधन । श्री पी० के० चौधरी और श्री भीमसेन ने अपने संशोधन दिनांक १८ दिसम्बर, १६५६ को प्रस्तुत कर दिये थे, अगर वे बोलना चाहें तो बोलें ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वास्थ्य मंत्री) : मैं इस सम्बन्ध में आपकी आज्ञा हो तो एक निवेदन करूं कि यह जो पंचायत समिति और जिला परिषद् अधिनियम, १६५६ के अन्तर्गत बनाये गये नियमों में संशोधन मूव किया गया है उन पर हमारी सबोर्डिनेट लेजिस्लेशन कमेटी में हमारे डिपार्टमेंट के चीफ सेक्रेटरी और दूसरे अधिकारियों ने बैठ कर विचार किया है और उस पर माननीय सदस्यों ने, जो कमेटी में हैं, अपनी राय दी है, उस पर जो भी रायें आई वे भी माननीय सदस्यों के पास पहुँच गई हैं। अगर माननीय सदस्य इस राय से इत्तफाक करते हैं तो मैं गवर्नमेंट की ओर से यह कहने को तैयार हूं कि सबोर्डिनेट लेजिस्लेशन की बात मान ली जावे तो मान सकती है सरकार । इससे बहुत सा समय यहां बहस का सदन का बच जावेगा, यह मेरा सुझाव है । गवर्नमेंट को सबोर्डिनेट लेजिस्लेशन कमेटी की सिफारिशें मान लेने में कोई आपत्ति नहीं होगी ।

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : फिर भी डिसकशन यहां होना चाहिये ।

श्री अध्यक्ष : एक घंटा है । पांच-दस मिनट में आप बोल लें कि आपका संशोधन क्या है, किसको आप प्रैस करते हैं ।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : अध्यक्ष महोदय....

श्री मुक्तिलाल मोदी (बैराठ) : एक घंटा तो ये ही ले लेंगे ।

श्री अध्यक्ष : एक घंटा नही लेंगे माननीय सदस्य ।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : अध्यक्ष महोदय, मेरा जो संशोधन है उनमें से मैं प्रैस करूंगा संशोधन नम्बर १, २ व संशोधन नम्बर ३ के पार्ट्स (३) व ५ व संशोधन नम्बर ४ ।

(श्री पी, के. चौधरी)

सबसे पहले जो संशोधन है वह है स्टेन्डिंग कमेटी के चुनाव किस प्रकार से होंगे। अध्यक्ष महोदय, जब इसका एक्ट यहां बन रहा था तो इसी के सम्बन्ध का एक अमेन्डमेन्ट मैंने रखा था। इसके चुनाव के लिये रखा था कि इसका चुनाव will be done in a prescribed manner यह प्रैस्क्राइब्ड मैनर सरकार पर छोड़ दिया गया था। तो मेरा उस समय यह अमेन्डमेन्ट था कि इसका चुनाव प्रोपोर्शनल रिप्रेज़ेन्टेशन के मार्फत बाई सिंगल ट्रान्सफरेबल वोट से हो। पर उस समय मन्त्री महोदय ने यह कहा था कि चुनाव किस पद्धति से हो, यह गवर्नमेंट सोच कर प्रैस्क्राइब करेगी। इसलिये मैंने वह अमेन्डमेंट विदड्रा भी किया था।

इसके बाद अध्यक्ष महोदय, यह जो स्टेन्डिंग कमेटी है पंचायत समिति की, जो आज पिछले एक साल के एक्सपीरियेन्स से हम देख रहे हैं कि उनका एग्ज़िक्यूटिव काम जितना है स्टेन्डिंग कमेटी की मार्फत होता रहता है। इनकी फाइनेन्स की, एग्रीकल्चर की, स्कूल्स की, एजुकेशन को सोशियल सर्विस की अलग अलग स्टेन्डिंग कमेटीज़ हैं। कई स्टेन्डिंग कमेटीज़ के नाम हैं, खास करके प्रोडक्शन प्रोग्राम के लिए रहता है, Animal Husbandry, Social services including rural water aupply, Gramdan etc. यानी तीन को तो एक्ट में ही प्रैस्क्राइब किया है; इसके अलावा पंचायत समिति को अधिकार है कि वह अलग अलग काम के लिए अलग अलग स्टेन्डिंग कमेटी बना सकती है। अब स्टेन्डिंग कमेटीज़ का चुनाव कैसे होता है ? ज्यादातर पंचायत समिति में यह देखा है कि जो पंचायत समिति में २० या २५ आदमी हैं उनमें से १३ आदमी एक तरफ के होते हैं तो वे १३ आदमी मिल कर सारी स्टेन्डिंग कमेटीज़ को अपने मैजोरिटी वोट से बनाते हैं और उसका नतीजा यह होता है कि जो मैजोरिटी ग्रुप होता है चाहे उसको ग्रुप कहिये या फ्रेक्शन कहिये या पार्टी कहिये या किसी भी नाम से कहिये जो मैजोरिटी पार्टी बन गई है वह मैजोरिटी पार्टी, अपने ही आदमी सारी स्टेन्डिंग कमेटीज़ में रखती हैं और अध्यक्ष महोदय, स्टेन्डिंग कमेटीज़ को उनको डेलीगेशन ऑफ पॉवर भी है। पंचायत समिति एक्ट के सेक्शन २० सब–क्लॉज़ (६) में लिखा है :

" Every standing committee shall in relation to the subjects assigned to it exercise such powers and perfrom such functions of the Panchayat Samiti as it may from time to time delegate to such standing committee."

तो स्टेन्डिंग कमेटी के चुनाव के बाद उनको पूरे अधिकार भी दे देते हैं कि स्टेन्डिंग कमेटी जो फैसला देगी यह फाइनल होगा। नतीजा यह हुआ है कि अध्यक्ष महोदय, कुछ इलाकों में हमने देखा है कि इस प्रकार से बनी हुई स्टेन्डिंग कमेटी जैसे एग्रीकल्चर की स्टेन्डिंग कमेटी है वह सारे तकावी लोन का डिस्ट्रीब्यूशन करती है, पंचायत समिति को इसके लिए पूछने की कोई जरूरत नहीं है। स्कूल का लोकेशन कहां होता है, वह सोशियल सर्विस की स्टेन्डिंग कमेटी बनती है वह कर लेती है और पंचायत समिति को इसे रेफर करने की जरूरत नहीं रहती है। इस तरह से जो तमाम विकास के काम हैं वे उसमें एक पर्टिकुलर ग्रुप जो मैजोरिटी में

(श्री पी. के. चौधरी)

नहीं आया या जिन्होंने प्रधान को वोट नहीं दिया था इन सारे लोगों की कोई वोइस नहीं होती है। जैसा कि लोकतंत्रीय विकेन्द्रीकरण का ढांचा अपनाया है उसको अपनाने का खास कारण यही था कि विकास के जो काम हैं उनमें पीपल्स पार्टीसिपेशन करेंगे यानी गांव के जितने लोग हैं हर एक कॉम्युनिटी और हर एक सेक्शन को उसमें कोओपरेशन रहेगा, उनका पार्टीसिपेशन रहेगा और उनकी जो फैल्ट नीड है उनके माफिक काम करेंगे। लेकिन आज जो ४६ पर्सेन्ट वालों की फैल्ट नीड है वह स्टेन्डिंग कमेटीज़ में एक्सप्रेस नहीं होती है। अध्यक्ष महोदय, हालांकि पंचायत समिति का काम एग्ज़ीक्यूटिव है लेकिन हमने पंचायत समितियों का वर्किंग देखा है और वह यह है कि तमाम एग्ज़ीक्यूटिव पॉवर्स पंचायत समिति की स्टेन्डिंग कमेटी में डेलीगेट हो जाती हैं कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। वहां तो बस पंचायत समिति की मीटिंग एक महीने में एक होती है; जैसे हमारे यहां विधान सभा की बैठक होती है। महत्वपूर्ण काम जितने भी होते हैं वे स्टेन्डिंग कमेटीज़ में ही होते हैं। इसलिए जो विकेन्द्रीकरण का मकसद है वह पूरा नहीं हो पाता है। इसलिए मैं चाहता हूं कि स्टेन्डिंग कमेटीज़ का चुनाव सिंगल ट्रान्सफरेबल वोट से होना चाहिए ताकि हर सैक्शन को, हर ग्रुप को रिप्रेज़ेन्टेशन मिल सके। कम से कम इस बात पर निर्णय लेने के लिए कि तकावी लोन किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट हो, या कुंआ किस जगह पर खुदना चाहिए या स्कूल किस जगह खुलना चाहिए तो इसमें कम से कम उनकी जो वोइस है वह रिफ्लैक्ट होगी। इसलिए मैंने यह रखा था। कोई यह भी कह सकता है कि पंचायत समितियों में कोई पार्टी नहीं है। असेम्बली या पार्लियामेन्ट में तो पोलिटिकल पार्टीज़ हैं और लोगों को सभी को रिप्रेज़ेन्टेशन मिलना चाहिए। इसलिए यहां तो स्टेन्डिंग कमेटीज़ में प्रोपोर्शनल रिप्रेज़ेन्टेशन रखा है और पंचायत समितियों में न तो पार्टी पोलिटिक्स का चुनाव होता है लेकिन आप उनको पार्टी न कहिये। आप उनको ग्रुप कहिये या मैजोरिटी पार्टी कहिये या उनका फ्रैक्शन कहिये। लेकिन जो असेम्बली की पार्टी पोलिटिक्स है वह अपोज़ेशन की भी है तो उनके क्षेत्र को भी आउट लुक नहीं करते लेकिन वहां पर ग्रुप बन जाता है तो उनका आउट लुक कम लिबरल है; इसलिए यह जो दलील दी जाती है कि पंचायत समितियों में पार्टी नहीं है इसलिए प्रोपोर्शनल रिप्रेज़ेन्टेशन की जरूरत नहीं है, यह बात मुझे तो ठीक नहीं लगती। सबोर्डिनेट लेजिस्लेशन कमेटी का आपने जिक्र किया तो मैं आपको बताऊं कि उसकी रिपोर्ट में साफ लिखा है कि गवर्नमेंट के जो रिप्रेज़ेन्टेटिव्ज़ हैं वह इस सुझाव को अनुपयुक्त नहीं मानते, अनसटेबल नहीं मानते बल्कि इसको ठीक ही मानते हैं। आपने कहा कि इलेक्शन का जो प्रोसेस है वह कॉम्पलीकेटेड है और अगर गवर्नमेंट को इसी में दिक्कत आती है तो पंचायत समितियों का जो वोटर है वह मामूली पढ़ा-लिखा वोटर नहीं है। वोटर बाकायदा सरपंच है और वह आज एडमिनिस्ट्रेशन चलाते हैं। He is leader of quite a substantial block of people there.

तो यह जो आर्ग्यूमेन्ट्स हैं कि उस कॉम्पलीकेटेड सिस्टम ऑफ वोट को फालो

(श्री पी. के. चौधरी)

नहीं कर पायेंगे, मैं तो इसको ठीक नहीं मानता हूं। दूसरा सवाल यह हो सकता है कि जो प्रधान है वह इलेक्शन कन्डक्ट नहीं कर पायेगा लेकिन हम अपने यहां पर भी स्टेन्डिंग कमेटीज़ का चुनाव करते हैं उसमें चुनाव का प्रोसेस क्या है; १,२,३,४ या काउन्टिंग का सिस्टम क्या हो वह तो विकास अधिकारी को मालूम ही होता है। क्योंकि वह साल में ६-६ दफा तो सेमीनार में जाते हैं। चुनाव पद्धति कैसी होती है; इसकी आसानी से दो दिन में भी आप उसको ट्रेनिंग दे सकते हैं। तो यह जो आर्ग्युमेंट था कि प्रोसेस में कॉम्पलीकेशन है इसलिए उसको माना नहीं जाये, यह गवर्नमेंट का आर्ग्युमेंट मुझे उचित नहीं महसूस होता है और इससे साफ जाहिर है और गवर्नमेंट के प्रतिनिधि ने भी सबोर्डिनेट लेजिस्लेशन कमेटी के सामने अपनी राय जाहिर की थी कि वह इसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है और उसको ऐतराज नहीं है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि एक अच्छा वातावरण इस देश में बन सकता है। अपनी जो डीसेन्ट्रेलाइज़ेशन की मशीनरी है वह ज्यादा इफेक्टिव बने और ज्यादा लोगों का कोऑपरेशन प्राप्त हो सके तो सिर्फ कॉम्पली-केटेड इलेक्शन की वजह से रिजेक्ट करें, यह उचित नहीं होगा क्योंकि जहां तक वोटर्स का ताल्लुक है उनके लिए कॉम्पलीकेशन्स नहीं हैं। यह जो प्रोपोर्शनल रिप्रेज़ेन्टेशन १,२,३,४ की प्रणाली है इसको एडॉप्ट करना चाहिए और इसको सब जगह के अधिकारी दो दिन के रिफ्रेशर्सकोर्स में ट्रेनिंग ले लेंगे। आखिर वे भी आर० ए० एस० ऑफिसर्स हैं। उनको यह इलेक्शन का काम दिया जायेगा तो वे जल्दी इसे पिक-अप कर लेंगे। यहां हमारा रिटर्निंग ऑफिसर सेक्रेटरी होता है लेकिन इलेक्शन डिपार्टमेंट से कुछ एक्सपर्ट्स को बुला लेते हैं, यह प्रोसीजर बताने के लिए।

तो रिटर्निंग ऑफिसर जो भी हो प्रोसीजर बतलाने के लिए विकास अधिकारी भी है, वह भी प्रोसीजर बतला सकता है।

दूसरा मेरा जो अमेंडमेंट है इसके ऊपर, रूल नं० ४५ में फाइनेंशियल अकाउन्ट के बारे में....

श्री सोहनलाल भटनागर (सलूम्बर) : माननीय अध्यक्ष, इसमें एक ही घंटा है और समय काफी हो गया है।

श्री अध्यक्ष : केवल पांच मिनट आपके लिए और रहे हैं।

श्री पी. के. चौधरी : I am talking on all the amendments.

श्री अध्यक्ष : You have only five minutes more.

श्री पी. के. चौधरी : It will be very difficult, अध्यक्ष महोदय, unless I explain it. अध्यक्ष महोदय, जो रूल ४५ है फाइनेन्शियल अकाउन्ट का, उसमें रीपेमेंट ऑफ लोन्स का प्रावधान है। उसमें लिखा है।

"Repayment of loans-Loans granted to the Panchayat Samiti by the State Government will be the first charge on the Fund and the Panchayat Samiti shall make Pay-

(श्री पी. के. चौधरी)

ments of instalments regularly on the due dates failing which the State Government may adjust the amount due out of the grant-in-aid payable to it or take other suitable steps to recover the money." इसमें जो अमेंडमेंट है वह सिर्फ इन शब्दों को हटा देने के लिए है: "adjust the amount due out of the grant-in-aid payable to it or" अध्यक्ष महोदय, पंचायत समिति की जो ग्रान्ट इन एड है वह किसी स्पेसिफिक स्कीम के लिए दिया जाता है। जैसे कुंआ खोदने के लिए ग्रान्ट-इन-एड दिया जाता है या कोई पाठशाला खोलने के लिए ग्रान्ट-इन-एड दिया जाता है और किसी स्पेसिफिक जोब के लिए या कोई सीड फार्म के लिए ग्रान्ट-इन-एड दिया गया है, जो लोन ड्यू होता है उस लोन को ग्रान्ट-इन-एड से रिकवर करना ठीक नहीं समझता हूं। उसकी रिकवरी तो जो पंचायत समिति का खुद का फंड है, लैंड रेवेन्यू कलेक्शन में से जो २५ नया पैसा आप उनको हिस्सा देते हैं और उनके पास जो और भी फंड्स हैं जो वह अपने खुद के टैक्सेज़ से रेज़ करते हैं, जहां तक लोन का सवाल है उचित तो यह होगा कि उस लोन को पंचायत समिति का जो खुद का फंड है, जो उनको लैंड रेवेन्यू का हिस्सा प्राप्त होता है या खुद अपने टैक्सेज़ से फंड रेज़ करते हैं तो लोन की मनी, जो लोन पेमेंट नहीं करे तो उससे रिकवर कर सकते हैं ; दुबारा पंचायत समिति लोन लेती है तो उससे रिकवर कर सकते हैं। ग्रान्ट-इन-एड तो किसी स्कीम के लिए या किसी स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए मिलती है उससे आप मनी डिडक्ट करते हैं "adjust the amount due out of the grant-in-aid payable to it or" आपका डेवलपमेंट काम होता है, अलग अलग कामों के लिए आप लोन देते हैं, जिस किसी काम के लिए आपने लोन दिया और वह काम पूरा नहीं हुआ, मान लीजिए कि सीड डेवलपमेंट के लिए आपने लोन सैंक्शन किया और उसका मनी रिकवरी के लिए रोक लिया तो उससे क्या होगा, जो वहां के डेवलपमेंट वर्क्स हैं, जिस बैलेंस से वे डेवलपमेंट करना चाहते हैं उसमें नुकसान पहुँच सकता है। आप अमुक अमुक स्कीम के लिए उसको इम्पलीमेंट करने के लिए ग्रान्ट-इन-एड देंगे, आप ही नहीं देंगे सेंटर की भी एड आएगी, उसको आप पिछले लोन की रिकवरी में रोक लें तो जो जिस स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए, जिस स्पेसिफिक स्कीम के लिए ग्रान्ट-इन-एड दिया गया वह पर्पज़ खत्म हो जायेगा। इसलिए उसको किसी दूसरे फंड से रिकवर कर सकते हैं और उससे करना चाहिए।

(समय-समाप्ति सूचक घंटी)

एक मिनट, नहीं दो मिनट, मैं अभी कम्प्लीट करता हूं। एक है आपका कंडक्ट ऑफ बिज़नेस रूल्स, १९५९ में रूल्स हैं ४ और ६। अध्यक्ष महोदय, कंडक्ट ऑफ बिज़नेस रूल्स के रूल में लिखा है: "All the meetings of the Panchayat Samitis/Zila Parishads shall be open to the Public provided the presiding member may, in any particular case, direct that the public generally or any particular person shall withdraw." उसमें मेरा अमेंडमेंट ऐसा है: "All the meetings of the Panchayat Samitis/

(श्री पी. के. चौधरी)

Zila Parishads shall not b e open to the Public; provided the presiding member may, in any particular case, direct that the public generally or any particular person may witness the proceedings of the meeting." और स्टेंडिंग कमेटी के जो बिज़नेस रूल्स हैं अध्यक्ष महोदय, उनके अन्दर भी है:–

"Subject to the provisions contained in the foregoing rules, the provisions contained in the Rajasthan Panchayat Samitis and Zila Parishads (Conduct of Business) Rules, 1959, shall, so far as may be applicable, apply mutatis mutandis to the conduct of business of a Standing Committee."

अध्यक्ष महोदय, यह जो प्रावधान रखा है सबको अलाऊ करने का मीटिंग में, उसके लिए मेरा निवेदन है कि उसको आप कानून के मातहत नियम बना कर उस मीटिंग को, स्टेंडिंग कमेटी और पंचायत समिति की मीटिंग को जब ओपन टू पब्लिक रखते हैं तो पंचायत समिति जो एक्ज़ीग्युटिव स्टेंड लेना चाहती है, जब मीटिंग ओपन टू पब्लिक होती है तो वह एग्ज़ीक्युटिव डिसीज़न नहीं ले पाती है और इसके लिए मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूं। सी. एम. ने एक बार जबाब दिया था उसकी तरफ ध्यान आकर्षित करता हूं। सी. एम. ने, मुख्य मंत्री ने एक बार यह जबाब दिया था, प्राइवेट मेम्बर रिजोल्यूशन्स के वक्त में कि हम जिला परिषदों को, जो पचास प्रतिशत वर्क डिपार्टमेंटली होता है उसे उनको देना उपयुक्त नहीं समझते हैं क्योंकि पंचायत समिति या जिला परिषदें किसी निर्णय पर नहीं पहुँच पाती हैं। जैसे किसी पंचायत समिति को चार स्कूल खोलने के लिए कहा तो पंचायत समिति पन्द्रह की लिस्ट भेज देती है. खुद निर्णय नहीं लेती कि फलां फलां जगह पर चार स्कूल खोल दो या फलां फलां जगह भी खोल देना है। वे तो अपनी चार्ज्ड डिमान्ड भेज देते हैं कि पन्द्रह स्कूल खोलने हैं और उनके नाम भेज देते हैं। इसका कारण क्या है? इसकी जांच करने की कोशिश नहीं करते हैं। इसका कारण यह भी है कि पंचायत समिति की या स्टेंडिंग कमेटी की जो मीटिंग है वह हमने ओपन टू पब्लिक रखी है। वहां मीटिंग में सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं। जितने स्कूल मांगने वाले लोग हैं वे भी वहां आ जाते हैं। उस समय उनके सामने मेम्बर्स लोग अपने यहां के लिए मना कर नहीं पाते हैं और इसलिए कोई डिसीज़न नहीं ले सकते हैं। इसी प्रकार स्टेंडिंग कमेटी की मीटिंग में भी सारे लोग मौजूद रहते हैं। इसलिए पब्लिक जब सामने रहती है तो एक्ज़ीक्यूटिव डिसीज़न नहीं हो सकता है।

अध्यक्ष महोदय, समझ लीजिए कि केबिनेट है उसकी मीटिंग भी पब्लिक के लिए ओपन रख दें तो उनको भी किसी प्रकार का डेफिनिट डिसीज़न लेने में दिक्कत हो सकती है। अगर आपको चार इंडस्ट्रीज़ खोलना है तो आप पन्द्रह की लिस्ट सेंटर को भेज देंगे, लेकिन चार इंडस्ट्रीज़ कहां पर खोलना है यह डिसीज़न नहीं ले सकेंगे। इसलिए मेरा सुझाव था कि पंचायत समिति की या आउट स्टेंडिंग कमेटी की जो

(श्री पी. के. चौधरी)

मीटिंगें हों उनके लिए कम्पलसटिली ओपन टू पब्लिक न रखा जाय । वैसे पंचायत समिति जिसे चाहे देखने के लिए अलाऊ कर सकती है लेकिन कम्पलसटिली ओपन टू पब्लिक रखने में उनको एक्ज़ीक्यूटिव डिसीज़न लेने में दिक्कत हो जाती है और इसलिए मैंने यह अमेंडमेंट रखा है ।

श्री अध्यक्ष : You have already taken your time.

श्री पी० के० चौधरी : दूसरा, एक ही है । पासिंग रेफरेंस दे देता हूँ । रूल १४ कंडक्ट ऑफ बिज़नेस रूल,' 'Decision of questions by majority of votes."

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य ने काफी समय ले लिया है ।

श्री पी० के० चौधरी : Just a minute. Otherwise the members may not know, what is the amendment.

श्री अध्यक्ष : They have the amendments with them.

श्री पी० के० चौधरी : रूल २१ में दिया हुआ है कि अर्जेन्ट रिज़ोल्युशन पंचायत समिति में किस प्रकार से लाया जाय, तो रूल २१ के सब रूल (५) में दिया हुआ है :—

"The presiding member, if he is of opinion that the motion is in order shall read the same to the Panchayat Samiti/Zila Parishad and ask the Panchayat Samiti/Zila Parishad if it gives leave. If three-fourths, of the members present and voting signify their assent, the presiding member shall announce that the motion will be taken up in that meeting.''

अध्यक्ष महोदय, मेरा संशोधन यह है, if he asks them whether the matter be taken intoconsideration, and if 1/10th of them say 'yes'. तो it may be taken intoconeideration. तब जाकर उस रिज़ोल्यूशन को पंचायत समिति में डिस्कशन के लिए अलॉट कर देना चाहिए ! क्योंकि जो डिस्कशन है किसी भी एक अर्जेन्ट बात पर किसी भी एक मेम्बर को करना है और प्रधान उपयुक्त समझता है और उसकी बात का क्वेश्चन पुट करता है तो उसमें ३।४ मेजोरिटी के रेज़ करने के ऊपर डिस्कशन के लिए मीटिंग में रखता है । तो मैं समझता हूं कि it is a very hard and stringent condition. यदि प्रधान उपयुक्त समझता है तो उसने क्वेश्चन पुट कर लिया and if one-tenth of the members say that it should be taken into consideration, then it should be taken up for consideration. That will be more liberal and more reasonable.

इसलिए मैंने संशोधन रखा है कि ३।४ की जगह पर १।१० कर दिया जाय । बाकी के अमेंडमेंट पर नहीं बोलना चाहता हूं ।

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : अध्यक्ष महोदय, मैंने दो संशोधन प्रस्ताव रखे हैं । एक Rajasthan Panchayat Samitis (Elec-

(श्री भीमसेन)

tion of Chairman of Standing Committee) Rules, 1959, में और दूसरा Rajasthan Panchayat Samitis (Election of Members of Standing Committee) Rules, 1959, में।

अध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले राजस्थान पंचायत समिति इलेक्शन ऑफ मेम्बर्स ऑफ स्टेंडिंग कमेटीज़ के बारे में जिस पर कि मेरा संशोधन प्रस्ताव है, उसके बारे में निवेदन करना चाहता हूं। मैं ज्यादा डिटेल में न जाकर सिर्फ इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि जो रूल्स में प्रोविज़न किया गया है, रूल ६ के सब-रूल (२) के पार्ट (ए) और (बी) में जो प्रोविज़न किया गया है वह राजस्थान पचायत समिति तथा जिला परिषद् एक्ट में जो प्रोविजन है उसके बिल्कुल अगेन्स्ट में जाता है। जो प्रोविज़न एक्ट के अन्दर है उसके अगेन्स्ट में रूल फ्रेम करना स्टेट गवर्नमेन्ट का राइट नहीं है। इसलिए यह जो है वह पंचायत समिति एक्ट के सेक्शन १७ के कॉन्ट्रावेन्शन में है। इसलिए यह जो रूल गवर्नमेन्ट ने बनाया है वह अल्ट्रावायर्स है। इसलिए वह लाएबल टू बी अमेंडेड है। इसलिए मैंने यह संशोधन प्रस्ताव रखा है।

दूसरा, इसके बारे में निवेदन यह भी है कि मानलें कि चेयरमैन क्लॉज़ ८ के अन्दर मेम्बर के प्रस्ताव को रिजेक्ट कर देता है तो उसका इफेक्ट क्या होता है। यह भी देखने की बात है। वह इफेक्ट सेक्शन १६ में दिया हुआ है कि अध्यक्ष के पास में अपील करके मेम्बर को वहां से हटाया जा सकता है। इसलिए जो इल्लिगेलिटी है यानी जो अधिकार सरकार को नहीं था उसके अल्ट्रा वायर्स में रूल बनाये हैं उनके बारे में निवेदन था कि इसमें संशोधन कर दिया जाय।

दूसरा, मेरा संशोधन प्रस्ताव इलेक्शन ऑफ दी चेयरमैन ऑफ दी स्टेंडिंग कमेटी के बारे में प्रोसीजर को सिम्पल करने का है। इस इलेक्शन के लिए जो भी तरीका दिया गया है वह बहुत लम्बा है और उसमें काफी एक्सपेन्सेज़ भी होते हैं। अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले स्टेन्डिंग कमेटीज़ के मेम्बर्स मिल कर प्रिसाइडिंग मेम्बर्स का इलेक्शन करते हैं तो चार दिन का नोटिस देकर सारी पंचायत समिति के सदस्यों को इकट्ठा करके प्रिसाइडिंग मेम्बर का इलेक्शन होता है। उसके बाद मेम्बर्स का इलेक्शन करने के लिए ७ दिन का नोटिस देकर सारे हाउस को इकट्ठा करके स्टेंडिंग कमेटीज़ के मेम्बर्स का इलेक्शन होता है, इसके बाद में स्टेंडिंग कमेटी के चैयरमेन का इलेक्शन करवाया जाता है। तो इस तरह से इस प्रोसीजर में कम से कम एक महीने का समय लग जाता है, और यह काफी खर्चीली व्यवस्था है। चेयरमैन के इलेक्शन के बारे में जो तरीका दिया हुआ है उसको कट-शोर्ट करने के लिए मेरा संशोधन प्रस्ताव है। स्टेंडिंग कमेटी का इलेक्शन जिस दिन होता है उस दिन सारे स्टेंडिंग कमेटीज़ के मेम्बर्स इकट्ठे होते हैं, इसलिए शोर्टर प्रोसीजर एडॉप्ट किया जाय कि ७ दिन का नोटिस न देकर ४ दिन का ही नोटिस दिया जाय, क्योंकि सारी स्टेंडिंग कमेटीज़ के मेम्बर्स इकट्ठे होते हैं पंचायत समिति के ऑफिस में तो वहीं पर उनको नोटिस सर्व कर दिया जाय कि चेयरमैन के लिए इलेक्शन के लिए फलां दिन सदस्यों की मीटिंग होगी। तो मैं

(श्री भीमसेन)

समझता हूँ कि यह तरीका शोर्टर और लैस एक्सपेन्सिव है और ज्यादा नहीं लगता है। इसलिए प्रेक्टिकल व्यू पॉइन्ट के ख्याल से यह मेरा प्रस्ताव मैंने पेश किया है और सबोर्डिनेट लेजिस्लेशन कमेटी ने रिकमन्ड किया है कि इस बात को मान लिया जाय। तो मैं निवेदन करूंगा कि मेरे संशोधनों को स्वीकार कर लिया जाय।

रावराजा श्री सरदारसिंह (उनियारा): अध्यक्ष महोदय, मेरा रिज़ोल्युशन इस प्रकार है:–

"The House resolves that in pursuance of sub-section (2) of section 79 of the Rajasthan Panchyat Samitis and Zila Parishads Act, 1959, the following amendment be made in the Rajasthan Panchayat Samitis (Terms and Conditions of Deputation of Vikas Adhikaris, Extension Officers and other Officers) Rules 1959, laid on the table on the 22nd August, 1960, namely:—

'Add the comma and words, "in consultation with the Pradhan of the Panchayat Samiti" at the end of Rule 9.'

अध्यक्ष महोदय, इसकी जो तीन क्लॉजेज़ हैं उसमें यदि किसी विकास अधिकारी या दूसरे ऑफिसर को हटाना या ट्रान्सफर करना है तो उसमें प्रधान के कन्सल्टेशन से किया गया है। यहां जो (सी) है उसमें प्रधान के कन्सल्टेशन का नहीं रखा गया है कि जब सरकार चाहे उसको वहां से कहीं हटा भी सकती है, प्रोमोशन पर भी भेज सकती है और डिग्रेड भी कर सकती है। माननीय अध्यक्ष, एक जगह यह लिखा है कि उसको अगर कहीं भेजा जायगा तो प्रधान की कन्सल्टेशन से और या और ऑफिसर्स हैं उनको इधर-उधर ट्रान्सफर किया जायगा या कहीं प्रोमोशन पर भेजा जायगा तो उसके मुताल्लिक प्रधान से कन्सल्टेशन का रखा है और यहां (सी) के अन्दर उसका यह रखा है, उसका क्या कारण है ? समझ में नहीं बैठता है। इससे कन्ट्रोवर्सी होती है। एक जगह तो प्रधान से कन्सल्ट कर रहे हैं और प्रधान के पास काम करने वाले ऑफिसर्स हैं उनके मुताल्लिक उससे कन्सल्ट नहीं करते हैं तो प्रधान का क्या कन्ट्रोल रहेगा और प्रधान फिर कैसे काम कर सकेगा ? इसलिए मैं कहता हूं कि सरकार को हमेशा एक ही नीति अपनानी चाहिये। और आखिर जाकर इसका परिणाम बहुत भंयकर निकलता है। इसमें विकास अधिकारी और ऑफिसरों में हमेशा तनातनी रहती है। इसलिए एक तो मेरा यह है कि उसको हटाया भी जाय, अगर ट्रान्सफर किया जाय वहां के ऑफिसरों का तो प्रधान से कन्सल्ट किया जाय, जैसा कि ऊपर क्लॉज़ में, एक्ट में कन्सल्टेशन को अनिवार्य रखा गया है, इसमें नहीं रखा गया है। शायद आप गल्ती से भूल गये होंगे, इसलिए नहीं रखा होगा। एक तो यह है।

दूसरा मेरा अमेंडमेंट है:–

१ म० प०

"This House resolves that in pursuance of sub-section (2) of Section 79 of the Rajasthan Panchayat

(रावराजा श्री सरदारसिंह)

Samitis and Zila Parishads Act, 1959, the following amendment be made in the Rajasthan Panchayat Samitis (Loans) Rules, 1960, re-laid on the Table on the 22nd August, 1960:—

'In sub-rule (6) (a) (2) (i) of rule 5 insert the word and comma, 'sheeps,' between the words. 'camels,' and 'cows.'

मेरी समझ में नहीं आता है कि तकावी का जो लोन है वह कैटल ब्रीडिंग, केमल ब्रीडिंग, होर्स ब्रीडिग, सब के लिए रखा है तो शीप को क्यों छोड़ा गया है ? समझ में नहीं बैठता कि शीप्स से क्या नाराज़गी है....

श्री दलीपसिंह (बारां) : है उसमें।

रावराजा श्री सरदारसिंह : नो, नो, इसमें नहीं है। शीप के वास्ते भूल गये। शायद गल्ती से रह गया होगा। क्योंकि इसमें लोगों को भ्रम होता है कि एक जगह शीप का रखा है और तकावी लोन के अन्दर शीप का नहीं रखा है। शायद सरकार को देना नहीं हो तो एक जगह कह सकते हैं कि नोटिफिकेशन में शीप का नाम नहीं है, और किसी को देना है तो एक्ट के अन्दर शीप्स का भी नाम है, इसलिए दे दें। मैं कहता हूं कि इस प्रकार की कन्ट्रोवर्सी नहीं होनी चाहिये। रूल बारबार नहीं बनते हैं, एक दफा ही बनते हैं। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि 'शीप' वर्ड वाजिब है और आपको मान लेना चाहिये। इसलिए मेरा निवेदन है कि 'शीप' का वर्ड भी, जो दूसरे फार्म्स हैं, केटल होर्स ब्रीडिंग फार्म, इसमें यह भी जोड़ दिया जाय। यही मेरी प्रार्थना है।

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : माननीय अध्यक्ष, श्री पी० के० चौधरी, फुलेरा से आने वाले माननीय सदस्य ने जो सुझाव प्रस्तुत किया है उसमें से एक सुझाव जिसके आधार पर स्टैंडिंग कमेटी के इलेक्शन में प्रोपोर्शनल रिप्रेज़ेन्टेशन के बेसिस पर चुनाव कराने की बात कही है, उसका मैं समर्थन करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, सबोर्डिनेट लेजिस्लेशन कमेटी की रिपोर्ट के पृष्ठ २ को पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि कमेटी ने इसके ऊपर काफी गम्भीरता से विचार किया है और कमेटी ने इस विचार के साथ साथ सरकारी अधिकारियों के भी विचार सुने हैं। इस सारी रिपोर्ट को पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि कमेटी को इस सिद्धान्त से कोई विरोध नहीं है। सिद्धान्त अच्छा है, इसको भी उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से माना है। कहीं भी इस सिद्धान्त को उन्होंने बुराई नहीं की और न कहीं अपना मत प्रकट किया। अपना मत प्रकट करने के लिये उन्होंने सरकारी अधिकारियों द्वारा जो दिक्कत बताई गई उनको एप्रिशिनेट किया है। एडीशनल चीफ सेक्रेटरी ने बताया उस सुझाव के विपरीत कुछ कहा नहीं जा सकता। इसका मतलब यह है कि सुझाव की मान्यता पर किसी को किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। लेकिन प्रश्न यह है कि इसको अमली रूप दिया जा सकता है या नहीं ? जैसा कि उन्होंने बताया इसको अमली रूप देने में कई कॉम्प्लीकेशन्स आ सकती हैं। कमेटी

(श्री भैरोंसिंह)

ने विधान सभा की कार्यवाही देखी और इसके बाद उन्होंने यह भी उल्लेख किया है कि सदन ने इसको स्वीकार नहीं किया। मैं समझता हूँ, यह बात सही थी; लेकिन यदि सदन इसको स्वीकार करता तो कमेटी के पास यह मामला जाने की नौबत ही नहीं आती। जिस समय सदन ने इस प्रस्ताव को विचारार्थ लिया था उस समय अधिकांश सदस्यों ने इस बात के लिए जोर दिया था कि जब हम पंचायतों के द्वारा विकास का सारा काम कराना चाहते हैं तो हर प्रकार के लोगों की ओपीनियन मिल सके, इस प्रकार की व्यवस्था करनी चाहिये। पंचायत समिति बनाने के कारण या जिला परिषद् का निर्माण करने के कारण ही सारा काम ठीक प्रकार से चलेगा, ऐसी भावना बनाना गलत है। हमें देखना पड़ेगा कि हमने जिन समितियों का निर्माण किया है उनके अन्दर पंचायत समितियां या जिला परिषद् में सारी जनता का रिप्रज़ेन्टेशन आता है या नहीं। यह सही है कि पंचायत के सरपंच कमेटी का गठन करेंगे। लेकिन अध्यक्ष महोदय, अनुभव अजीब प्रकार का आया है। आज कई पंचायत समितियों की हालत इस प्रकार की हुई है कि पंचायत समिति के प्रधान का चुनाव जीतना है इसलिए समझौता किया गया और जिन लोगों ने विजय प्राप्त की उन्होंने मिल कर बंटवारा किया। यह सही है कि काम का बंटवारा किया लेकिन कुछ कन्डीशन्स के साथ बंटवारा किया। कन्डीशन्स इस बात की कि आप प्रधान बनेंगे तो सोशियल वैलफेयर कमेटी के प्रधान ये बनेंगे और एग्रीकल्चर कमेटी के प्रधान वे बनेंगे या अमुक अमुक व्यक्ति अमुक अमुक कमेटी के प्रधान या कन्वीनर बनेंगे। अब सूक्ष्म रूप से देखा जाय तो यह ठीक नहीं है कि इस तरह से बंटवारा किया जाय।

पहली बात तो यह है कि हम प्रोपोर्शनल रिप्रेज़ेन्टेशन के बेसिस पर चुनाव क्यों नहीं कराना चाहते ? इसका कारण यह है कि जो पार्टी या गुट मेजोरिटी में आते हैं उनकी मान्यता रहती है, बाकी की कोई मान्यता नहीं रहती, उनकी कोई सुनवाई नहीं होती और उनकी एक दुर्भाग्य की सी स्थिति रहती है। बहुमत ने जो कुछ कर दिया सो कर दिया। प्रजातंत्र में बहुमत जो कहता है उसी की सुनवाई होगी। ऐसी स्थिति में हमें कोई रास्ता निकालना पड़ेगा कि कोई भी व्यक्ति जो प्रतिनिधि का कैरेक्टर रखता है उसकी वोइस हो, वह भी वेटेज रख सकें और यह तभी हो सकता है जब कि आप नियम और कानून से मजबूर कर दें। यह कर दें कि जो चुनाव होगा वह प्रोपोर्शनल रिप्रेज़ेन्टेशन के आधार पर होगा। मैं इस सिद्धान्त को इसलिये नहीं दोहराता कि सदन ने, सरकारी अधिकारियों ने और कमेटी ने इसे माना है। हम जिस सिद्धान्त को सही मानते हैं उसके विपरीत दलील नहीं दे सकते। इस सिद्धान्त को अमली रूप में लाने में कठिनाई है इसलिये इसको अमली रूप नहीं दे सकते। तो मैं यह निवेदन करूंगा कि कई देश प्रजातंत्र में विश्वास नहीं करते बल्कि उसके विपरीत यह कहते हैं कि प्रजातंत्र में विकास नहीं हो सकता। लेकिन उनके कहने से प्रजातंत्र के सिद्धान्त को परेशानियों के कारण छोड़ दें तो इसका मतलब यह होगा कि आप उसको अमली रूप नहीं देना चाहते।

(श्री भैरोंसिंह)

एक तरफ हमारे मुख्य मंत्रीजी बार बार यह कहते हैं कि पंचायत समितियों के बनने के बाद लोगों में इनिशियेटिव लेने का माद्दा बढ़ा है । कई पंचायत समितियों ने अपने क्षेत्रों के प्लान छपवाकर राजस्थान में बांटे हैं, वे प्लानिंग माइन्डेड हो गये हैं । इस पर भी यदि आप यह शक करें कि प्रोपोर्शनल रिप्रेज़ेन्टेशन को लागू करेंगे तो वे समझेंगे नहीं और क्रोस करने में, नम्बर लगाने में व वोट देने में गलतियां करेंगे तो मैं इस बात को नहीं मानता, इसलिये नहीं मानता कि हमारे यहां प्राक्कलन समिति और जनलेखा समिति के चुनाव होते हैं वे प्रोपोर्शनल रिप्रेज़ेन्टेशन के बेसिस पर होते हैं । कोई यह मानले कि सभी सदस्य बार एट लॉ हैं, इस मेथड से परिचित हैं और गल्ती नहीं करते तो यह बात सही नहीं है । मुझे याद है कि पी. एस. सी. के चुनाव प्रोपोर्शनल रिप्रेज़ेन्टेशन के बेसिस पर होते हैं, वहां भी लोग वोट ठीक तरह से नहीं दे पाते इसलिये रिजेक्ट होते हैं। इसलिये यह कहना कि पंचायत समितियों के लोगों से गलती होगी इसलिये उनको प्रोपोर्शनल रिप्रेज़ेन्टेशन नहीं दिया जाय; तो यह उनके साथ ज्यादती होगी । मैं निवेदन करता हूं कि इसमें कोई कॉम्पलीकेशन नहीं है, नियम बने हुए हैं । एक विकास अधिकारी को मामूली सी ट्रेनिंग देने के बाद वे समझ लेंगे कि किस प्रकार से चुनाव कराने हैं तो गलती नहीं होगी । इसका नतीजा यह होगा कि जो लोग अपने को माइनोरिटी में समझते हैं वे यह समझेंगे कि हमारा एक प्रतिनिधि अन्दर है जो हमारी वोइस को रिप्रेज़ेन्ट करता है इसलिये हमें भी सुझाव प्रजातंत्र के विकास के लिये देने हैं । मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि जो लोग माइनोरिटी में हैं वे पंचायत समिति के काम में दिलचस्पी लेंगे और सक्रिय होंगे और काम को पूरा करने में सहायक होंगे । मैं ज्यादा न कह कर इतना ही कहूंगा कि कॉम्प्लीकेशन के बेसिस पर इस तरह के सर्व मान्य सिद्धान्त का त्याग नहीं करना चाहिये, बल्कि उसे लागू करना चाहिये । मैं इतना ही कह कर अपना स्थान ग्रहण करता हूं ।

श्री मोहरसिंह (चूरू) : माननीय अध्यक्ष, जो अमेंडमेंट माननीय श्री पी० के० चौधरी की तरफ से रखे गये हैं उनमें से उनका जो पहला अमेंडमेंट है, उसका मैं समर्थन करता हूं ।

माननीय अध्यक्ष, वास्तव में जिस मंतव्य को लेकर जिला परिषद् और पंचायत समितियां कायम की गई थीं उनको आगे बढ़ाने के लिये उनके रास्ते में किसी प्रकार की दिक्कत या रुकावट आती है तो उसको दूर करना चाहिये । जहां तक पंचायत समिति और जिला परिषद एक्ट का सवाल है उसकी तहत नियम बने हैं । उनकी तहत स्टेंडिंग कमेटीज़ के चुनाव का ताल्लुक है उस संबंध में मुझे दो शब्द इस प्रस्ताव के समर्थन में कहने हैं । माननीय अध्यक्ष महोदय, वास्तव में पंचायत समितियों का निर्माण विकास के कार्यों के लिए, जिससे कि देश और प्रान्त आगे बढ़ सके, किया गया था । वास्तव में पंचायत समितियों को कायम करने का सिद्धान्त यह था कि देश को ऊंचा उठाना है । लेकिन आज तक के अनुभव से हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि इसके अन्दर

(श्री मोहरसिंह)

एकांगी तौर से कार्य किया गया है और मैं जहां तक समझता हूं, यह जिन कारणों से हुआ है, उनमें इलेक्शन का सबसे बड़ा कारण है। इलेक्शन का सिद्धान्त यह था कि जहां तक इलेक्शन हो पंचायत समितियों के मेम्बरों के, वे एक पार्टी के हों। यह कहने को कह दिया और सदन में कहा भी जा रहा है बराबर कि विकास के काम में पार्टी का सवाल नहीं आता लेकिन अध्यक्ष महोदय, जब हम प्रैक्टिस में देखते हैं तो मालूम होता है कि जिस प्रकार की पार्टी बन्दियां हमारी पार्लियामेंट में हैं, असेम्बली में हैं, उस तरह की पार्टी बन्दी पंचायतों के अन्दर तक पहुंच चुकी हैं। इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि पंचायतों के अन्दर जो चुनाव होते हैं वे पार्टी बेसिस से अलहदा हों। इसको मान कर चलना पड़ेगा कि डेमोक्रेसी को ज्यादा सफल बनाने के लिए, जो डेमोक्रेटिक सिद्धान्त हैं, उनको सफल बनाने के लिए हम इस बुराई को साथ लिये चल रहे हैं। यह परेशानी हमें भुगतनी पड़ती है, एक संकट उठाना पड़ता है और इस खतरे को मोल लेकर इसलिए चलते हैं कि हमें प्रजातंत्र के सिद्धान्त को विजय दिलानी है। हम डेमोक्रेसी का जो सिद्धान्त चला रहे हैं, इस सारी चीज को ध्यान में रखते हुए हमने चुनाव का एक तरीका दिया कि एक किस्म की पार्टी के आदमी आगे आयें तो विकास के काम में गड़बड़ियां न हों, कमियां न हों। परन्तु जो दूसरे वर्ग थे, जो दूसरी पार्टियां थीं, जिनके पंचायत समिति के अन्दर जो मेम्बर आये, पंचायत समिति के तहत जो स्टेंडिंग कमेटीज बने, उनका ज्यादा फायदा नहीं उठा सकें तो उससे क्या हुआ कि जो उनका डेमोक्रेसी के अन्दर सुझाव था, विकास के काम को आगे बढ़ाने का मन्तव्य था, जो इरादा था, वह कुंठित रह गया। इस तरह जो इस देश के विकास का प्रोग्राम था, वह एकांगी रहा। मैं समझ रहा हूं जहां सारे देश का विकास का सवाल है, उसमें पार्टीबन्दी नहीं हो, तो उसका विकास हो सकता है। इस स्टेज पर अगर किसी प्रकार की गड़बड़ी एकांगी तौर से आने का अन्देशा रहे, तो मैं समझता हूं कि उसको इस स्टेज पर ठीक किया जाना चाहिए। इसलिए जो चुनाव का सवाल है, स्टेंडिंग कमेटी का, उसमें जो प्रोपोर्शनल रिप्रजेन्टेशन बेसिस का जो सुझाव दिया गया है, यह मैं समझ रहा हूं, वास्तव में उपयुक्त होगा। इससे होगा क्या कि दूसरी जो पार्टी माइनोरिटी में है, जो ग्रुप माइनोरिटी में है, वे विकास के कामों में दिलचस्पी ले सकेंगी और सारे काम के अन्दर जहां पैसा इकट्ठा करने का सवाल आयेगा, जहां जन शक्ति देने का सवाल आयेगा वहां प्रोत्साहित होकर सारे प्रोग्राम के अन्दर खुल कर वे हिस्सा ले सकेंगे और उनके दिल में कटुता व निराशा की भावना नहीं रहेगी। मैं समझता हूं कि अगर चुनाव बहुमत से रख दिये जायेंगे, तो स्टेंडिंग कमेटी के जो मेम्बर होंगे उनसे वे अलहदा रह जायेंगे। मैं समझता हूँ कि स्टेंडिंग कमेटी को काफी अधिकार है। जो फैसला स्टेंडिंग कमेटी कर लेती है वह पंचायत समिति मान्य करती है। यह वजूद की चीज है और वास्तव में बड़ी चीज है स्टेंडिंग कमेटी में प्रोपोर्शनल रिप्रेजेन्टेशन आने के लिए। इन सारी बातों के होते हुए मैं यह जरूरी समझ रहा हूं कि मायनोरिटी में जो पार्टी है, उसको

(श्री मोहरसिंह)

हिस्सा देने के लिए स्टेंडिंग कमेटी के चुनाव प्रोपोर्शनल रिप्रेजेन्टेशन के आधार पर हों। इसके लिए जो श्री पी० के० चौधरी ने अमेंड-मेंट रखा है मैं उसका तहेदिल से समर्थन करता हूँ।

श्री अध्यक्ष : श्री मुक्तिलाल मोदी।

श्री मुक्तिलाल मोदी (बैराठ) : अध्यक्ष महोदय, आज जिला परिषद् और पंचायत समिति एक्ट के अन्दर बनाये नियमों में जो श्री पी० के० चौधरी ने संशोधन रखा है उसका मैं समर्थन करता हूं। पंचायत समिति और जिला परिषद् के अन्दर जो स्टेंडिंग कमेटीज़ बनी है उन स्टेंडिंग कमेटियों के अन्दर यह बात जरूर है कि बहुमत के आधार पर स्टेंडिंग कमेटीज़ बन जरूर जाती हैं, परन्तु उन स्टेंडिंग कमेटीज़ के अन्दर और पंचायत समिति के जो मेम्बर्स हैं उनके अन्दर मतभेद जरूर होता है। जो विकास के काम हैं, पंचायत समिति एक्ट के अन्दर, पंचायत के अन्दर जितने विकास के काम हैं वे सरपंच के जिम्मे किये गये हैं और सरपंच, जो कि दूसरे पक्ष का है वह स्टेंडिंग कमेटी में नहीं आता है तो उस पंचायत के अन्दर विकास का काम, माननीय अध्यक्षजी, नहीं होता है, क्योंकि बहुमत के आधार पर चुनाव होते हैं। मैं तो ऐसा भी मानता हूं कि स्टेंडिंग कमेटी के अलावा, जैसा श्री पी० के० चौधरी ने कहा, जो कोऑप्शन किया जायगा उसमें भी चुनाव प्रोपोर्शनल रिप्रेजेन्टेशन के आधार पर होना चाहिए था। यह इससे भी जरूरी चीज़ है कि कोऑप्शन का चुनाव भी उसी तरह होना चाहिए। इसलिए स्टेंडिंग कमेटीज़ के लिए जैसा कहा है उसका मैं समर्थन करता हूँ।

श्री अध्यक्ष : श्री सोहनलाल भटनागर।

श्री सोहनलाल भटनागर (सलूम्बर): माननीय अध्यक्ष महोदय, स्टेंडिंग कमेटीज़ के मेम्बर्स के चुनाव को लेकर उसमें दो कॉम्प्लीकेशन्स के बारे में कहा। यह कहा गया कि कॉम्प्लीकेशन्स पैदा करने के लिए इसे नहीं लाया जाय, मैं समझता हूँ यह सही नहीं है। यह सही है कि तीन स्टेंडिंग कमेटीज़ एक पंचायत समिति होंगी, तो राजस्थान में ३९६ स्टेंडिंग कमेटीज़ होंगी। जैसा श्री माधोपुर से आनेवाले माननीय सदस्य ने कहा कि जब यहां दो कमेटीज़ के चुनाव में गड़बड़ी होती हैं तो ३९६ स्टेंडिंग कमेटीज़ के प्रिफरेन्शियल वोटिंग सिस्टम, काउन्टिंग सिस्टम को सफली-भूत कर सकेंगे? मैं निवेदन करूंगा कि जैसा रूल्स में प्रावधान है, उसमें साफ है कि एक रिटर्निंग ऑफिसर होगा, वह पंचायत समिति का प्रधान होगा, न कि बी. डी. ओ.। इस दृष्टि से, जो प्रधान आ रहे हैं, उनका केलीबर काउटिंग की दृष्टि से होना चाहिए, जो एटीट्यूड होना चाहिए, वह नहीं है, इसलिए इसमें कॉम्प्लीकेशन्स होंगे ही। इसके अलावा दो आर्ग्युमेंट्स और दिये गये, वे उपयुक्त थे। एक तो यह कि जो पंचायत समिति और पंचायत के चुनाव हो, वहां पार्टी की प्रोब्लम हो सकती है। मैं समझता हूं कि रिप्रजेन्टेशन तभी हो सकता है जब कि ग्रुप या पार्टी बेसिस पर चुनाव हों। हमने देखा है कि पंचायत समिति के चुनाव में

Page No.59

(श्री सोहनलाल भटनागर)

एक कांग्रेस मैन के खिलाफ दूसरा कांग्रेस मैन खड़ा हुआ है....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार जयपुर) : असेम्बली में भी लड़ते हैं और हारते हैं।

श्री सोहनलाल भटनागर : असेम्बली में आप हारते हैं। हमें हारने का मौका नहीं मिला. you are always the loser. उस दृष्टि से....

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) : आप हारते तो बोलते कहां से ?

श्री सोहनलाल भटनागर : तो जिस लोएस्ट लेवल तक डेमोक्रेसी को ले जाना चाहते हैं उसमें जो सिस्टम इन्ट्रोड्यूस किया है प्रजातंत्रीय विकेन्द्रीकरण का उसमें सबसे बड़ा खतरा है ग्रुप बेसिस या पार्टी बेसिस। उसको रोकना बहुत जरूरी है। तीसरा आर्ग्युमेंट है, अध्यक्ष महोदय, जो कमेटी ने रीज़निंग किया, मैं निवेदन करूं कि सच बात तो यह है कि कुछ दिन पहले अमेंडमेंट मूव किया सदन के अन्दर, एक अमेंडमेंट पेश हुआ, सदन में उस पर डिस्कशन हुआ और उसे रिजेक्ट किया। उसी दृष्टि से रूल्स में उसे इन्ट्रोड्यूस नहीं किया। यह उपयुक्त था क्योंकि असेम्बली की मेजोरिटी में जो पार्टी है, जो राजस्थान के लोगों का प्रतिनिधित्व करती है, उस ऑगस्ट बॉडी ने उसको रिजेक्ट कर दिया। मैं समझता हूं कि यह गवर्नमेंट के लिए उपयुक्त था कि इस प्रावधान को नहीं रखे। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके अन्दर जो अमेंडमेंट फुलेरा से आनेवाले माननीय सदस्य ने दिया है, अगर उनको यों का यों पास कर दिया जायगा तो जिस भावना से रूल रखे हैं और जो कार्य करना चाहते हैं उसमें सफलीभूत नहीं होंगे।

यह भी कहा था कि कन्डक्ट ऑफ बिज़नेस के अनुसार ६ दिन के बजाय १० दिन का नोटिस होना चाहिए। मैं नहीं समझता कि ६ दिन और १० दिन में क्या फर्क है, इसके बारे में माननीय सदस्य ने कुछ नहीं कहा। इसके अलावा यह प्रश्न आया कि इमर्जेन्सी की मीटिंग हो तो उसमें तीन दिन का नोटिस होना चाहिए। मैं समझता हूं कि हर जगह इमर्जेन्सी की मीटिंग के लिए कोई मयाद नहीं होती है। जो प्रधान है वह हाइएस्ट ऑथरिटी है, उसको अधिकार होना चाहिए कि वह इमर्जेन्सी की मीटिंग कॉल कर सकता है।

दूसरा जो माननीय सदस्य ने अमेंडमेंट दिया है, वह यह है कि पब्लिक मीटिंग नहीं हो और पब्लिक को उसमें आने से रोक दिया जाय। मेरे ख्याल से जिस भावना से प्रजातंत्रीय विकेन्द्रीकरण किया और पंचायत समिति की स्थापना की, इससे वह समाप्त हो जाती है। हमारी मूलभूत भावना यह थी कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को विकास कार्य के लिए उत्साहित करना है, उनसे ज्यादा से ज्यादा सहयोग लेना है। हम अगर पंचायत समिति को कमरे में बैठा देते हैं और कमरे में बैठा कर काम करना चाहते हैं, तो लोगों के अन्दर क्या भावना होगी, क्या हम वह उत्साह उनमें पैदा कर सकते हैं ? इस दृष्टि से यह ठीक नहीं होगा और माननीय सदस्य ने जो संशोधन रखा है वह बिल्कुल उपयुक्त है।

Page No.60

(श्री सोहनलाल भटनागर)

हमारी सबोर्डिनेट ले जिस्लेशन कमेटी ने यह माना है कि एक स्टैंडिंग कमेटी के मेम्बर के इलेक्शन को इनवेलिड करने का, रिजेक्ट करने का जो अधिकार है,एक मेम्बर का अधिकार है। स्टैंडिंग कमेटी में आने के बाद वह अधिकार प्रैस्काइब्ड ऑफिसर को दे दिया कि वह रिजेक्ट कर सकता है, तो सेशन्स जज को जो डिस्क्वालिफाई करने का अधिकार दिया है वह नल एन्ड वोइड हो जाता है। उस अधिकार को प्रधान को दे देंगे तो कान्ट्रेडिक्टरी सिचुएशन हो जायगी। इसलिए जो बीकानेर से आनेवाले माननीय सदस्य ने अमेंडमेंट पेश किया है वह ठीक है।

दूसरा उनका एमेन्डमेंट यह है कि, "In rule 4, sub-rule (3) after the word 'residence', add the following:—

"or by handing over a member present at the Panchayat Samiti Office." जो नोटिस होगा उसमें जनरल अधिकार दिये गये हैं और प्रधान जब चाहे नोटिस दे सकता है। फिर भी मैं समझता हूं कि अगर यह भी मंजूर कर लिया जावे तो कोई अनुचित बात नहीं है।

श्री भीमसेन (लूणकरणसर): On a Point of Order, Sir, अध्यक्ष महोदय, रूल्स मेकिंग के पॉवर्स राज्य सरकार को दिये गये हैं जैसा कि जिला परिषद् एक्ट के सेक्शन ६३ में है। एक तरफ जब आपने स्टेट गवर्नमेंट को रूल्स मेकिंग पॉवर्स दिये हैं और रूल्स अभी बन रहे हैं तो माननीय सदस्य का इस तरह से सुझाव देना किस तरह से वाजिब है। यह मैंने वैधानिक आपत्ति पेश की है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : स्टेट गवर्नमेंट को रूल्स मेकिंग पॉवर्स दिये हैं यह ठीक है, लेकिन सदन की कमेटी ऑन सबोर्डिनेट लेजिस्लेशन बनी है और सदन को ऐसा करने का अधिकार है।

श्री भीमसेन : यह कानून भी तो विधान सभा ने ही बनाया है और यह उसके खिलाफ पड़ता है।

(एक माननीय सदस्य के बोलने के लिये खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष : अब समय नहीं है। माननीय मंत्री उत्तर देंगे।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वास्थ्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान पंचायत समिति और जिला परिषद् एक्ट, १९५९ के अन्तर्गत जो रूल्स बनाये हैं उसमें संशोधन प्रस्तुत किया, उसमें मैंने शुरू में यह निवेदन किया है कि इन संशोधन के बारे में हमारे यहां पर इन पर कमेटी ऑन सबोर्डिनेट लेजिस्लेशन ने विचार किया है और अपने सुझाव दिये हैं। इसमें जो कमेटी के सुझाव हैं उनको सरकार स्वीकार करती है और मैं समझता हूं कि उस हद तक सदन को भी उसे स्वीकार कर लेना चाहिये। इसके अलावा जो बातें कही गई हैं उसमें दो बातें ऐसी हैं जो सबोर्डिनेट लेजिस्लेशन के सामने नहीं है और वे फुलेरा से आनेवाले माननीय सदस्य ने रखी हैं :

"(१) कोई विकास अधिकारी या दूसरा व्यक्ति विकास में काम करता हो और उसका प्रोमोशन होता हो किसी दूसरे स्थान पर, तो उसके लिये प्रधान से पूछा जाना चाहिये कि इसको स्पेअर किया जाए या नहीं।

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

(२) दूसरा सुझाव है तकावी के लिये लोन

श्री अध्यक्ष : रेवेन्यू तकावी ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैं समझता हूं कि रेवेन्यू की तकावी के बारे में प्रश्न है वह तो अलग है लेकिन शीप के लिये भी पंचायत समिति लोन दे सकती है । इसके लिये लोन देने के रूल्स ५ है उनमें मौजूद है और पंचायत समिति चाहे तो शीप के लिये भी लोन दे सकती हैं । इसमें दफा ६ है वह रेवेन्यू तकावी के लिये है और अब तक हम गाय, बैल और बफेलो आदि के लिये जो एग्रीकल्चरिस्ट से संबन्धित है, लोन देते रहे । उसमें शीप नहीं है !

रावराजा श्री सरदारसिंह (उनियारा): मैं यह निवेदन करूंगा कि शीप की तादाद राजस्थान में बहुत है, इसलिये उसके लिये भी लोन देना चाहिये ।

श्री अध्यक्ष : आप सुनो तो सही....

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : शीप ब्रीडिंग के लिये अलग प्रोविज़न है । इसलिये उसके लिये उस हैड से दिये जाते हैं । मैं समझता हूं कि यह अलग बात है ।

रावराजा श्री सरदारसिंह : उनके लिये देने की आवश्यकता क्यों नहीं है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : इसके लिये अलग प्रोविज़न है ।

अब अगर कोई प्रोमोशन पर ट्रान्सफर होकर आता है तो उसको आने देना चाहिये क्योंकि अगर हमने विकास अधिकारी को, जो प्रोमोशन पर जाता है, उसके लिये पूछते हैं तो वह यह कह देगा कि यह ऑफिस के इन्ट्रेस्ट में नहीं होगा। इसलिये प्रोमोशन के प्रश्न में जो इस प्रकार का अमेन्डमेंट रखा है इसको मंजूर नहीं करना चाहिये । अगर कोई तहसीलदार है और आगे प्रोमोशन पर जाता हो तो उसके लिये पूछने का प्रश्न नहीं पैदा होना चाहिये ।

अब सबसे बड़ा कन्ट्रोवर्सियल पॉइन्ट है वह है Proportional Representation का है । मुझे दो बार की बात याद है जब मैंने कहा है इस पर । पहले जब पंचायत अमेन्डमेंट एक्ट था तब और दूसरी बार जब म्युनिसिपल एक्ट हमारे सामने आया उस समय स्टेन्डिंग कमेटी के सिलसिले में मैंने कहा था कि it is difficult to follow और मैंने दलीलें दी थीं, वे ही दलीलें यहां पर अब भी स्टेन्ड होती हैं ।

हमारे यहां २३२ जिला पंचायतें है ! उनमें तीन, चार या पांच तो स्टेन्डिंग कमेटीज़ होती हैं। उसमें हर एक कमेटी में पांच या ७ सदस्य होंगे । इस तरह से करीब ५ हजार सदस्य होते हैं ! २३२ समितियों में ऐसा कोई ऑफिसर नहीं है जो इसको एलिमिनेट करने का तरीका जानता हो या समझता हो कि Proportional Representation में किस तरह से काम होता है । राजस्थान में एक ही इलेक्शन ऑफिसर है जो इसको जानता है । मुझे याद है हमारे यहां अपर हाउस के लिये इलेक्शन हुआ था उसमें चीफ इलेक्शन ऑफिसर मौजूद थे; उनकी मौजू-

Page No.62

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

दगी में भी गल्ती हो गई। इस तरह से जब गल्ती हमारे यहां पर भी हो जाती है तो वहां कोई समझनेवाला नहीं है, वहां तो यह होना बहुत ही मुश्किल है।

मैं इस बात को मंजूर करता हूं कि पंचायत समिति में स्टेन्डिंग कमेटी का जो इलेक्शन हो उसमें किसी प्रकार की पार्टीबाजी नहीं होनी चाहिये और मैं बड़े अदब से कहना चाहता हूं कि सरकार नहीं चाहती कि किसी प्रकार की पार्टीबाजी हो। हम चाहते हैं कि सर्व सम्मति से लोग उनको चुनें और किसी प्रकार की पार्टीबाजी न हो।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार जयपुर) : कांग्रेस पार्टी के खिलाफ कोई भी खड़ा होता है तो वह अलग पार्टी होता है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मेरा मतलब कोई भी रिकॉगनाइज्ड पार्टी से है। वहां पर कोई खड़ा हो तो सर्व सम्मति से चुना जाए।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : छोटे छोटे तो लड़ते हैं; अब ऑफिशियलरी लड़ते हैं।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : कोई कांग्रेसमैन कांग्रेस के साथ लड़ते हैं उसको पार्टीबाजी नहीं कहते। इसके लिये हर आदमी को यह सोचना चाहिये कि मिल कर काम करें और वे लोग यह सोचेंगे कि अगर हमने मिल कर काम नहीं किया तो एक आदमी स्टेन्डिंग कमेटी में आवेगा उसमें ग्रुपबाजी के भाव मिलेंगे। यह एक उसूल की बात है।

मैंने यह निवेदन किया कि हमारे यहां पर २३२ पंचायत समितियां हैं। मैंने यह भी निवेदन किया कि पंचायतों का इलेक्शन एक साथ होगा और स्टेन्डिंग कमेटी का इलेक्शन भी एक साथ होगा। २३२ पंचायत समितियों का इलेक्शन एक साथ कराने के लिये कोई भी ऑफिसर्स नहीं मिलेंगे जो ठीक तरह से इसको समझ सकें। अब यह कहा जाता है कि हमारे यहां आर० ए० एस० ऑफिसर्स हैं। मैं नम्रतापूर्वक निवेदन करूंगा कि कोई ट्रान्सफरेबल वोट होता है उसको किस प्रकार काउन्ट किया जावे; यदि उसमें किसी प्रकार की गल्ती हो गई तो इलेक्शन के मामलों को हाई कोर्ट में चैलेंज किया जावेगा और इससे बड़ी दिक्कत पेश आवेगी।

एक माननीय सदस्य : आपके पास इसके लिये अधिकार नहीं है?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैंने नम्र निवेदन किया है कि सरकार यह चाहती है कि सब लोग मिल कर एक मत से चुनाव करें। मैं यह सुझाव दूंगा कि सब लोग चाहे वे विधान सभा के सदस्य हों, चाहे पंचायतों के चुने हुए सदस्य हों उन्हें चाहिये कि वे गांव में इस प्रकार का एटमोस्फियर पैदा करें कि सरपंच एक मत से चुने जावें। यदि हम इस तरह से काम करेंगे तो जनता को बहुत ज्यादा लाभ होगा। इसलिये मैं यहां पर दूसरा अमेंडमेंट है जिसको कमेटी ने भी नहीं माना है उसको मैं भी ऑपोज़ करता हूं। मैंने जो स्थिति थी, आपके सामने रख दी है और मैं आशा करता हूं कि माननीय सदस्य इसको वापिस लेने की कृपा करेंगे।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : On a point of information Sir, माननीय मन्त्री

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

महोदय ने अपने उत्तर में सूचित किया कि चुनाव कराने में कॉम्पलीकेशन्स हैं और प्रोप्रोर्शनल रिप्रेजेन्टेशन के आधार पर चुनाव नहीं हो सकते क्योंकि न तो पंचायतों के प्रधान इसको समझते हैं और न बी. डी.-ओज़. आदि ही इसको समझते हैं। इसके बारे में उनका संकेत अपने लिए भी हो सकता है-बहुत कम लोग हैं जो इसको समझते हैं। तो क्या यह समझें इससे कि सरकार सिद्धान्ततः तो इसको मानती है ? साल-छः महीने में अधिकारी इसकी ट्रेनिंग ले लेंगे और फिर सरकार क्या इसको लागू करेगी ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैंने दोनों ही दलीलें दी थीं। इसमें पार्टीबाजी ज्यादा होगी इसलिए सरकार इसको सिद्धान्ततः स्वीकार करने के लिए भी तैयार नहीं है। यह प्रश्न नहीं उठता।

रावराजा श्री सरदारसिंह : तकावी लोन में शीप, कैमल वगैरह का प्रोविज़न है, रेवेन्यू रूल्स हैं। इसमें कैमल्स, कैटल्स को रखा गया: वहां पर शीप को छोड़ दिया गया। शीप वालों को क्यों नहीं ?

श्री अध्यक्ष : इस सेक्शन में जितनी स्कीमें हैं उनमें रेवेन्यू तकावी का जिन जिन चीजों पर वह मिलती है उसका इन्द्राज किया है। तकावी तो बहुत कम मिलती है। डेवलपमेन्ट के लिए ही रकम दी जाती है।

रावराजा श्री सरदारसिंह : शीप्स वगैरह को सरकार तरजीह नहीं देती है।

श्री अध्यक्ष: (श्री पी० के० चौधरी से) Would you like to withdraw your amendments ?

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : I don't want to press them, Sir.

रावराजा श्री सरदारसिंह (उनियारा): मैं तो सिर्फ यही अर्ज करता हूं कि दोनों ही वाजिब हैं और दोनों ही नहीं माने जाते हैं तो उनको विथ्ड्रा नहीं करूंगा।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संशोधन रावराजा श्री सरदारसिंह ने रखे हैं उनको स्वीकार किया जाय ?

(अस्वीकृत)

प्रस्ताव गिर गये।

(विराम)

श्री भीमसेन के दो संशोधन हैं जिनको मैं जुदा जुदा प्रस्तुत करता हूं "This House resolves that the following amendments be made in the Rajasthan Panchayat Samitis (Election of Chairman of Standing Committee) Rules, 1959, laid on the table on the lst. December, 1959, namely :—

In Rule 4, sub-rule (3) after the word 'residence' at the following, 'or by handing over a member present at the Panchayat Samiti Office'. "

प्रश्न यह है कि इन्हें स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

Page No.64

(श्री अध्यक्ष)

प्रस्ताव स्वीकार किया गया ।

(विराम)

दूसरा है :

"This House resolves that the following amendments be made in the Rajasthan Panchayat Samitis (Election of Members of Standing Committee) Rules, 1959, laid on the Table on the 1st. December, 1959, viz :—

'In Rule 6, sub-rule (2), delete parts (a) and (b)'."

प्रश्न यह है कि इसे स्वीकर किया जाय ?

(स्वीकृत)

प्रस्तान स्वीकार किया गया ।

राजस्थान न्यायालय शुल्क तथा वाद-मूल्य निर्धारण विधेयक, १९६०

(प्रवर समिति को)

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वास्थ्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि राजस्थान न्यायालय शुल्क तथा वाद-मूल्य निर्धारण विधेयक, १९६० को एक प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय जो अपना प्रतिवेदन आगामी सत्र के प्रथम सप्ताह में प्रस्तुत करे। प्रवर समिति के ये सदस्य हैं :

१. श्री रामचन्द्र चौधरी, प्रभारी मंत्री
२. श्री अमृतलाल पायक
३. श्री बी० एन० जोशी
४. श्री तेजमल बापना
५. श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा
६. श्री मोहनलाल भटनागर
७. श्री छोटूसिंह
८. श्री आबिदअली
९. श्री भीमसेन
१०. श्री लक्ष्मण हीरात
११. श्री नारायणलाल
१२. श्री मूलचन्द डागा
१३. श्री सुगनचन्द
१४. श्री अर्जुनदास
१५. श्री तनसिंह
१६. श्री महेन्द्रसिंह पंवार
१७. श्री लक्ष्मीचन्द
१८. श्री जगदीशप्रसाद माथुर
१९. श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल
२०. श्री मोहरसिंह
२१. श्री शंकरलाल
२२. श्रीमती प्रभा मिश्रा
२३. श्री नाथूराम (११६)
२४. श्री सूरजमल ।

श्री अध्यक्ष : motion moved Shri Daya Krishan Vijay.

श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान न्यायालय शुल्क तथा वाद मूल्य निर्धारण विधेयक, १९६० में मेरा यह प्रस्ताव था कि इसको प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय। मैं इसका, अपने प्रस्ताव

(श्री दयाकृष्ण विजय)

का समर्थन मानता हूँ ! जो भी ट्रेजरी बैंचेज़ से प्रस्ताव किया गया है उसका समर्थन करते हुए मैं बताना चाहता हूं ....

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : जनसंघ कब से ट्रेज़री बैंचेज़ के प्रस्ताव को मानने लगा ?

श्री दयाकृष्ण विजय : My resolution was the same. It was my proposal that it should be given to the Select Committee.

श्री अध्यक्ष : आपका प्रस्ताव तो यह था कि इसको पब्लिक ओपीनियन जानने के लिए प्रसारित किया जाय।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वास्थ्य मन्त्री) : The Hon'ble Member has not moved it.

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) : पहले इस पर बहस होनी चाहिये थी और बाद में यह महसूस हो कि इसको प्रवर समिति में भेजा जाय तो प्रवर समिति के सदस्यों के नाम घोषित किये जाते हैं, लेकिन पहले ही सरकार की ओर से उनके नामों की घोषणा कर दी गई है।

श्री अध्यक्ष : वह पहले से ही प्रवर समिति में जाने लायक था। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है।

श्री मुरलीधर व्यास : फिर भी पहले बहस होनी चाहिये थी।

श्री दयाकृष्ण विजय : मैं उन कागज़ों को भूल गया, और मैं समझता था कि मेरा भी प्रवर समिति को भेजे जाने का प्रस्ताव था। आपने सूचित किया, उसके लिए मैं आभारी हूं।

पब्लिक ओपीनियन के लिये प्रसारित करने का कारण यह था कि पहले से ही जनता पर काफी स्टाम्प ड्यूटीज़ लगी हुई हैं और उसके बाद भी उस पर जनता अपने विचार न रख सके और न जान सके और उसको मालूम ही नहीं पड़े कि उस पर कोर्ट फीस लगने वाली है, उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन किया गया है तो उस परिवर्तन को कम से कम जनता की नॉलेज में न लाया जाय, इस प्रकार के विधेयक को किसी प्रकार से जनता पर लागू नहीं किया जाना चाहिये। मेरा हमेशा से यह दृष्टिकोण रहा है कि जब कभी टैक्सेज़ लगाते हैं तो टैक्सेज़ लगाते समय जनता को किसी प्रकार से सरकार द्वारा नहीं बताया जाता है। आज राजस्थान के अन्दर जिस प्रकार से टैक्सेज़ लगे हुए हैं और टैक्सेज़ के मारे जनता की कमर किस प्रकार से टूटी हुई है, यह किसी से भी छिपा हुआ नहीं है। यहां बैठकर चुपके चुपके किसी प्रकार से टैक्सेज़ में वृद्धि करते हैं, टैक्सेज जनता पर लगाते हैं तो मैं समझता हूं कि उसका जनता को पहले ज्ञान नहीं कराया जाता है; जनता के साथ, जिन्होंने हमको मत दिया है, जिन्होंने हमको यहां पर विश्वास से भेजा है, उसके साथ हम विश्वासघात करते हैं, गद्दारी करते हैं। मैं हमेशा से इसी मत का रहा हूं कि जब कभी टैक्सेज़ लगावें, पुराने टैक्सेज़ में वृद्धि करें तो उनको पहले जनता के सामने लाया जाना चाहिये। यह मैं मानता हूं कि इन सारे टैक्सेज़ से प्राप्त पैसे को योजनाओं में काम में लानेवाले

(श्री दयाकृष्ण विजय)

हैं। आज हमारी योजनाएं विदेशी पूंजी से चल रही हैं; उनमें उधार लाकर उन योजनाओं को हमको चलाना पड़ रहा है। मैं अभी इस बात पर नहीं जाना चाहता कि उन योजनाओं पर जो पूरा पैसा लगना चाहिये ईमानदारी से नहीं लगाया जाता। मैं तो केवल यह कहना चाहता हूं कि जब कोर्ट फीस का वाद-मूल्य निर्धारण किया जा रहा है और उसमें दूसरे प्रान्तों की नकल करके यहां रखा है। जहां नये तरीके से वाद और मूल्यों का निर्धारण होता है वहां यह आवश्यक है कि उसकी जानकारी जनता को कराई जाय। इस प्रकार के महत्वपूर्ण विधेयक को जनमत जानने के लिये प्रसारित करें ताकि जो हम वाद-मूल्यों का निर्धारण कर रहे-न्याय शुल्क जो बढ़ा रहे हैं वह जनता को पसन्द है या नहीं; इन सारी बातों पर जनता विचार कर अपनी सम्मति दे। यह सही है कि जितने भी यहां माननीय सदस्य बैठे हैं वे सब जनता के प्रतिनिधि हैं। जनता की विचार-धारा को लेकर यहां आते हैं। लेकिन इसके अलावा भी कई मसले ऐसे होते हैं जिनका जनता से सीधा ताल्लुक होता है, जिनके बारे में जनता का दृष्टिकोण जानना बहुत आवश्यक है। जिन पर नये कर लगाये जाते हों, उनमें किसी प्रकार की वृद्धि की गई है वे जनता कि नजर में जरूर आने चाहिये। इसी मन्शा से मैंने यह प्रस्ताव रखा है। पहले ही हम सिलेक्ट कमेटी में भेज देते हैं तो जनता तक वह बात नहीं पहुँच पाती। इसलिये जहां न्याय शुल्क में हम वृद्धि करने जा रहे हैं वैसी हालत में यह बहुत जरूरी है कि जनता की इसमें क्या राय है; यह जाना जाय। आज हम देखते हैं, गांवों में बहुत पार्टीबन्दी चल रही है। आपस में मुकदमात भी काफी चल रहे हैं इसलिये गांववालों को यह बताये बिना नये कि शुल्क क्या क्या लगाये जा रहे हैं, उनका लगा देना उचित नहीं कहा जा सकता। चूंकि यह हम पुरानी जो चली आ रही है उसमें वृद्धि कर रहे हैं आज तक वहां के लोग पुरानी जो न्याय शुल्क थी उससे परिचित थे, अब जब कि नये शुल्क निर्धारित कर रहे हैं वैसी हालत में पुरानी चीज़ को भूल कर नई को ग्रहण करना होगा, नये सिरे से याददिहानी करनी पड़ेगी इसलिये मैं आवश्यक समझता हूं कि प्रवर समिति में भेजने के बजाय इसको जनमत जानने के लिये प्रसारित किया जाय।

इसके अलावा हमें इसे पास करने में कोई इतनी जल्दी भी नहीं है। इसमें जहां तक मौलिक परिवर्तन का सवाल है तो कम से कम जनता की निगाह में तो इसे जरूर लाया जाना चाहिये। इन सारी बातों की वजह से मैं समझता हूं कि इसको जनमत जानने के लिये भेजा जाय। एक-दो महीने में जनता अपनी राय दे देगी। उसके बाद सलेक्ट कमेटी विचार करेगी तो ज्यादा अच्छा होगा, इसमें नियमितता भी आ जायगी। इसी नीति से मैंने इसे जनता की राय जानने के लिये प्रसारित करने का निवेदन किया है।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) : माननीय अध्यक्ष महोदय, इस बिल को जनमत जानने के लिये प्रसारित करने का प्रस्ताव आया है, उसका मैं समर्थन करता हूं और यह मानता हूं कि जनमत किस प्रकार

(श्री मुरलीधर व्यास)

से जाना जाय, जनता के अन्दर इसकी प्रतियां हिन्दी में छपवा कर वितरित कर दी जाय इसे मैं जनमत नहीं मानता। आज हमने एक प्रकार से प्रजातंत्री संस्थाओं की एक शृंखला कायमाकर दी है जिसके अनुसार हम सही मायने में जनमत जान सकते हैं। विकेन्द्रीकरण के पश्चात् पंचायतें, पंचायत समितियां और जिला परिषद् ये ऐसी संस्थायें हैं जिनके द्वारा हम आसानी से जनमत जान सकते हैं। मेरा इसमें यही निवेदन है कि यह बिल इन इन संस्थाओं के पास भेज दिया जाय और उस पर उनकी राय मांगी जाय और उनकी राय आने के बाद फिर सदन उस पर विचार करे और फिर उसके बाद कानूनी रूप दिया जाय तो ज्यादा अच्छा होगा। जब हमने ढांचे में परिवर्तन कर दिया है और शृंखला ऐसी कायम कर दी है जिससे हम आसानी से जनता तक पहुँच सकते हैं वैसी हालत में जनता को इसकी जानकारी देना आवश्यक समझता हूं। आज इस प्रकार के शिक्षण का माध्यम पंचायत समितियां हैं, उनको माध्यम रखते हुए हम उनका इस्तेमाल नहीं करते हैं तो मैं समझता हूं कानून में परिवर्तन जो होगा वह मन-माने तरीके से होगा।

(१. ४८ म. प.)

(श्री निरंजननाथ आचार्य, उपाध्यक्ष, पदासीन)

सिलेक्ट कमेटी में भेजने से पहले कुछ इस बारे में कहा जाना चाहिये था। यह जो सीधा सिलेक्ट कमेटी का प्रस्ताव रख दिया गया है वह ठीक परम्परा नहीं है। माननीय मंत्री महोदय के लिये ठीक बात यह थी कि सिलेक्ट कमेटी से पहले पंचायत, जिला परिषद्, पंचायत समिति, इनसे इस बारे में राय मांग ली जाती उसके बाद सिलेक्ट कमेटी में उन रायों के साथ भेज दिया जाता तो बहुत उपयुक्त होता। जनमत जानने का यह नया तरीका है इसको हमें प्रोत्साहन देना चाहिये। इसलिये जो सुझाव जनमत जानने का आया है उसमें इस नये तरीके से जनमत जानने के लिये भेज दिया जाय; यही मेरा निवेदन है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वास्थ्य मंत्री): अभी तो सिलेक्ट कमेटी में भेजने का प्रस्ताव है।

श्री लादूराम सुलाणिया (दूदू-सु०): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान न्यायालय शुल्क तथा वाद मूल्यांकन विधेयक जो सदन के सामने आया है और जिस पर कोटा से आनेवाले माननीय सदस्य ने जनमत जानने के लिये भेजने का प्रस्ताव किया है उसका मैं समर्थन करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान की पौने दो करोड़ जनता के हित में हम कोई भी कानून बनाते हैं तो यह आवश्यक हो जाता है कि उसके बारे में जनता की राय को जानें। यह जो बिल हमारे सामने है इसका असर ८०-८५ प्रतिशत जनता पर पड़ेगा; वैसी हालत में जनता की इस सम्बन्ध में क्या राय है; यह जानना बहुत आवश्यक है। पहले इस बारे में जनमत जान लिया जाय उसके बाद यह सिलेक्ट कमेटी में भेजा जाय तो बहुत उपयुक्त होगा। आज हम देखते हैं कि जितने भी कानून यहां से बन कर जाते हैं, जनता उनका विरोध करती है। इसका मुख्य

(श्री लादुराम सुलाणिया)

कारण यह है कि जनता की उस पर अच्छी तरह से राय नहीं ली जाती। सदन में जितने भी बिल पारित होते हैं उनमें हम इस बात का ध्यान रखते हैं कि किसी भी प्रकार की कमी उनमें न रहे। ऐसी हालत में यह आवश्यक हो जाता है कि जनता की राय इस बारे में जान ली जाय। इसलिए मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इस बिल को जनमत जानने के लिये भेजा जाय। वह जनमत इस तरह से जाना जा सकता है; पंचायतों को, पंचायत समितियों को, जिला परिषदों को यह बिल भेजा जाय, इसकी हिन्दी में बड़े बड़े अक्षरों में कॉपियां छापी जायं और फिर उनको भेजा जाय ताकि यह देख सकें कि कितनी जनता इस प्रकार का कानून चाहती है; फिर बाद में सदन में लाया जाय। इसलिये मेरा निवेदन है कि इसको जनमत जानने के लिये पहले भेजा जाय। फिर उचित समझा जाय तो सिलेक्ट कमेटी के सुपुर्द किया जाय।

श्री महेन्द्रसिंह पंवार (अजमेर-पूर्व): श्रीमान्, यह जो अमेन्डमेन्ट है इसके सम्बन्ध में कुछ सिद्धान्त की चर्चा किया चाहता हूं।

एक माननीय सदस्य : कौन से ?

श्री उपाध्यक्ष : It is not your function.

श्री महेन्द्रसिंह पंवार : श्रीमान्, मेरा अर्ज करना यह है कि जनमत जानने की बात वैसे बड़ी अच्छी है और हर चीज़ पर जनमत जानना जरूरी है। आप जो कुछ भी करें, जनता की इच्छा जाने बिना करें तो जनता की हुकूमत नहीं कहला सकती। पर प्रश्न यह पैदा होता है कि जनमत को जानने के लिये तरीका क्या होगा? उस तरफ ध्यान नहीं देंगे तो हम अपना काम ठीक तरह से करना बन्द कर देंगे और जनता पर खर्चे का भार डालते रहेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : Your name is there on the Select Committee.

श्री महेन्द्रसिंह पंवार : मैं इस प्रस्ताव का विरोध करता हूं कि इसे जनमत के लिये भेजा जाय। इसे सिलेक्ट कमेटी में भेज दिया जाय, जनमत के लिये नहीं।

श्री उपाध्यक्ष : Yes, yes.

श्री महेन्द्रसिंह पंवार : तो, श्रीमान्, मैं इसके इस सिद्धान्त पर कि जनमत क्या है, कहना चाहता हूं। इसके दो भेद हैं। एक भेद ऐसा है जिसमें कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जिनके ऊपर जनता के नुमाइन्दों में ही कोई स्थिर विचार नहीं बना है। दूसरा भेद ऐसा है जिसमें कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जो निर्धारित हैं, जनता जिन्हें अच्छी तरह जानती है और जनता के नुमाइन्दे भी अच्छी तरह जानते हैं। तो यह दूसरी तरह का प्रश्न है।

हम जनता के नुमाइन्दे यहां बैठे हैं। हम खुद समझते हैं कि इस बारे में जनता के क्या ख्याल हैं। जनता के जिस मत से हम यहां आये हैं उसी मत के आधार पर हम जनता के मत की अभिव्यक्ति यहां करते हैं। तो अब इसके लिये भी जनता का मत जानने के लिये भेजने की बात की जावे तो यह व्यर्थ है। यह तो जनता पर खर्चा ही

(श्री महेन्द्रसिंह पंवार)

बढ़ाना है। शायद हम लोग यह अच्छी तरह जानते हैं कि किसी भी बिल को जनता की राय जानने के लिये भेजने में क्या और कितना खर्चा होता है और उस जनमत को जानने के लिये कितना बड़ा राज मिलाते हैं हम जनता के पैसे का। शायद इस अर्थ को हम भूल जाते हैं। इस अर्थ की बात भूल जाते हैं तो अर्थ नहीं रहता है। बहुमत रहता है तो जनता की मरजी से रहता है। पर उसे सोशलिज्म के नाम पर हम हर काम के लिये जनमत के लिये भेजा करें तो हम फिर किसलिये हैं यहां? हम भी तो जनता के नुमाइन्दे यहां बैठे हैं। तो मैं इस बात के लिये इस सिद्धान्त का विरोध करता हूं कि इसे जनमत के लिये भेजा जावे। इसे जनमत के लिये भेजने की जरूरत नहीं। किसी सिद्धान्त पर वाद-विवाद करने का एक तरीका होता है। हर चीज़ को जनमत के लिये भेजा जावे, ऐसी बात नहीं है। जनमत क्या है? जनता में से सौ में से अस्सी आदमी ऐसे हैं कि जो जान ही नहीं सकते इसको कि यह क्या चीज़ है? यह टैक्निकल सब्जेक्ट है। यह तो अब हमारी जिम्मेवारी है कि हम इस पर सोचें-विचार करें। तो मैं इस बात का समर्थन करता हूँ कि इसे सिलेक्ट कमेटी में भेजा जावे। वहां इस सदन के नुमाइन्दे बैठेंगे और वे अपने विशेष अध्ययन के आधार पर जो कुछ भी होगा इस पर विचार करेंगे। इसमें विशेष अध्ययन की जरूरत है। जनमत के लिये भेजने की जरूरत नहीं। इस दृष्टि से मैं इसका समर्थन नहीं करता। मैं इस जनमत की बात का विरोध करता हूं और सिलेक्ट कमेटी में भेजने के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा (किशनगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं जनमत के लिये भेजे जाने वाले प्रस्ताव का विरोध करता हूं और यह निवेदन करता हूं कि प्रस्तावक महोदय खुद भी सिलेक्ट कमेटी में ही भेजने की बात प्रस्ताव प्रस्तुत करते समय कह रहे थे; यह तो अध्यक्ष महोदय के कहने पर उन्हें मालूम हुआ कि उनका प्रस्ताव जनमत पर भेजने का है। तो इससे लगता है कि वे खुद भी इससे सहमत नहीं हैं।

फिर यह प्रश्न भी टैक्सेशन से सम्बन्धित है, कोई सामाजिक कुरीतियों को बदलने आदि का इसमें प्रावधान नहीं है कि जिसे जनमत के लिये भेजा जाना जरूरी हो।

यह तो ऐसा कानूनी प्रश्न है कि जैसे वाद मूल्य निर्धारित करना है। तो इस पर विचार करने के लिये हमें देखना होगा कि जुडिशियरी में कितना खर्चा होता है, क्या क्या साधन उसके लिये जुटाने चाहिये। इसमें यह देखकर फिर तय करने की आवश्यकता होती है। फिर यह दलील दी गई कि गांवों में पार्टीबाजी अधिक होती है और इससे वहां के लोग ज्यादा मुकदमेबाजी करते हैं इसलिये जनमत के लिये भेजा जावे। यह सिद्धान्त के खिलाफ है। इस पर तो कानून के एक्सपर्ट्स की राय जानना ही उचित होता है। फिर यहां भी तो जनता के ही नुमाइन्दे आकर बैठते हैं। तो इसलिये इसे जनता में भेजना उचित नहीं है। गवर्नमेंट की तरफ से जो प्रस्ताव आया है सिलेक्ट कमेटी में भेजने का, वह ठीक है।

श्री सम्पतराज जैन (अकलेरा) : छीपाबड़ौद छबड़ा से आनेवाले माननीय सदस्य ने जो जनमत का प्रस्ताव रखा है उसका में विरोध करता हूं और माननीय मन्त्री महोदय ने जो प्रवर समिति में भेजने का प्रस्ताव रखा है, उसका समर्थन करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, यदि राजस्थान में आज से पहले कोई न्यायालय शुल्क और वाद-मूल्य नहीं निर्धारित होता तो माना जा सकता था यह नया विधेयक है और इसलिये जनता की राय के लिये भेज दिया जाय तो अच्छा ही है। क्योंकि इससे जनता की जेब पर कुछ असर पड़ता है। पर यह तो पहले से ही यहां लागू है और वह सेन्ट्रल कोर्ट फीस के आधार पर १८७० के कानून के आधार पर बनाया गया है। ऐसी स्थिति में निवेदन करूंगा कि उसे जनमत के लिये भेजना उचित नहीं है।

अब इसमें हमें इतना करना है कि इसका पुनर्निरीक्षण करना है तो इसके लिये जनता में प्रसारित करने से क्या लाभ? इससे सदन का समय भी व्यर्थ नष्ट होगा और सरकार का पैसा भी व्यर्थ खर्च होगा; इसमें साल-छ: महीने का समय लग जावेगा। अब पुनर्निरीक्षण के लिये जो कमेटी बनाई है और जिनके उसमें नाम हैं वे अच्छे अच्छे वकील लोग हैं; जो काफी इस बात के जानकार हैं और दीगर मेम्बर्स भी हैं। इसलिये मेरा यह मत है कि इसे प्रवर समिति को ही सौंपा जाना चाहिये।

(२. म० प०)

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वास्थ्य मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, जो प्रस्ताव सदन में रखा गया है कि इस बिल को जनमत जानने के लिए प्रसारित किया जाये उसका मैं विरोध करता हूं और उसका कारण यह है कि यह जो बिल लाया गया है यह कोई नया नहीं है बल्कि कोर्ट फीस का कानून हमारे यहां पहले भी था। कितनी फीस लगनी चाहिए, यह कानून हमारे यहां पहले से ही राजस्थान में प्रचलित है और उस कानून को ही नई शक्ल देकर इस बिल के रूप में यहां लाया गया है। इसलिए यह कोई नया कानून नहीं है, न ही इसमें कोई नया सिद्धान्त ही इन्वोल्व्ड है। यह दलील दी गई कि क्योंकि इससे नया टैक्स जनता पर लगाया जा रहा है; इसलिए इसको जनता में प्रसारित किया जाना चाहिए। मैं उपाध्यक्ष महोदय, यह निवेदन करूंगा कि आम जनता की यह राय है कि सरकार चलाने के लिए और जनता के हित में जितना टैक्स चाहिए उतना सरकार को जरूर लेना चाहिए। यह आम तौर से सब जनता की राय है; इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। अगर ऐसा नहीं किया गया तो सरकार चल ही नहीं सकती। अब जहां तक सवाल है कि कौन से मद में कितना टैक्स लगना चाहिए यह सिलेक्ट कमेटी के देखने की बात है या सदन के देखने की बात है। इसलिए माननीय सदस्य जो कि जनता के ही भेजे हुए हैं कौन कौन से टैक्स लगाये जाने चाहिए और कौन कौन से मद में कितना कितना टैक्स लगाया जाना चाहिए; यह सदन को देखने की बात है; सिलेक्ट कमेटी के भी देखने की बात है। इसलिए जनता के हित के लिए जितने टैक्स लगाने चाहिए वह लगाने ही चाहिए। इसलिए इसको जनता की राय के लिए

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

प्रसारित करने के लिए भेजने की जरूरत नहीं है। इसमें कौन से मद में कितना टैक्स होना चाहिए यह तो सिलेक्ट कमेटी के सदस्य देखेंगे और उसके बाद यह चीज फिर सदन में आनेवाली है इसलिए जो सुझाव रखा गया है उसको मैं स्वीकार नहीं कर सकता। इस बिल को सिलेक्ट कमेटी में भेज देना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि श्री दयाकृष्ण विजय द्वारा राजस्थान कोर्ट फीस एण्ड सूट्स वैल्युएशन बिल, १९६० में जो जनमत जानने के लिए संशोधन प्रस्ताव रखा गया है उसे स्वीकार किया जाये ?

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गया।

प्रश्न यह है कि विधेयक को प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाये; जिसके सदस्यों की सूची निम्न-लिखित है :

१. श्री रामचन्द्र चौधरी, प्रभारी मंत्री
२. श्री अमृतलाल पायक
३. श्री बी० एन० जोशी
४. श्री तेजमल बापना
५. श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा
६. श्री सोहनलाल भटनागर
७. श्री छोटूसिंह
८. श्री आबिदअली
९. श्री भीमसेन
१०. श्री लक्ष्मण हीरात
११. श्री नारायणलाल
१२. श्री मूलचन्द डागा
१३. श्री सुगनचन्द
१४. श्री अर्जुनदास
१५. श्री तनसिंह
१६. श्री महेन्द्रसिंह पंवार
१७. श्री लक्ष्मीचंद
१८. श्री जगदीशप्रसाद माथुर
१९. श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल
२०. श्री मोहरसिंह
२१. श्री शंकरलाल
२२. श्रीमती प्रभा मिश्रा
२३. श्री नाथूराम (११६)
२४. श्री सूरजमल

(स्वीकृत)

विधेयक प्रवर समिति के सुपुर्द किया गया।

श्री उपाध्यक्ष : श्री दामोदरलाल व्यास।

राजस्थान जमींदारी तथा बिस्वेदारी उत्सादन (संशोधन) विधेयक, १९६०

(विचार-विमर्श एवं पारित)

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान जमींदारी तथा बिस्वेदारी

(श्री दामोदलालव्यास)

उत्सादन (संशोधन) विधेयक, १९६० को विचारार्थ लिया जाये।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान जमींदारी एण्ड बिस्वेदारी एबोलिशन (अमेन्डमेन्ट) बिल, १९६०, एज़ रिपोर्टेड बाई दी सिलेक्ट कमेटी, विचारार्थ लिया जाये ?

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया।

(विराम)

श्री पी० के० चौधरी।

(अनुपस्थित)

मेजर श्री फतहसिंह (भीम): उपाध्यक्ष महोदय,

श्री उपाध्यक्ष : It has been taken in to consideration.

श्री दामोदरलाल व्यास(राजस्व मंत्री): There are no amenbments. मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस विधेयक को पारित किया जाये।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि विधेयक को पारित किया जावे ?

श्री महेन्द्रसिंह पंवार (अजमेर पूर्व) : उपाध्यक्ष महोदय, आप बोल रहे हैं।

मेजर श्री फतेहसिंह : I have note of dissent and I have a right ota speak.

श्री दामोदरलाल व्यास : When the motion for consideration was put, the Hon'ble member could only speak then.

श्री उपाध्यक्ष : You have a right to speak when the Bill is in the third stage.

श्री महेन्द्रसिंह पंवार : What No the report of the Select Committee, let us discuss it

श्री उपाध्यक्ष : You can speak before the motion has been moved for passing the bill. At that stage you could speak.

मेजर श्री फतेहसिंह : I rose but I was not allowed.

श्री उपाध्यक्ष : Yes. I did not allow when the motion was taken up for consideration. Now when this motion was to be put to vote, for passing the Bill, it is the right accrued.

मेजर श्री फतहसिंह : श्रीमान्, जमींदारी एण्ड बिस्वेदारी उत्सादन (संशोधन) विधेयक प्रवर समिति के पास गया और उसकी रिपोर्ट के बाद इस सदन के समक्ष विचारार्थ वापिस आया। श्रीमान्, जब मैं इस विधेयक पर विचार करता हूं तो मुझे नेहरूजी की पुस्तक 'डिस्कवरी ऑफ इन्डिया' की याद आ जाती है। उस किताब को जब मैंने पढ़ा तो उसके अन्दर का एक वाक्य याद आता है। नेहरूजी ने लिखा है :–

"If the King isunjust or tyrani-

(मेजर श्री फतहसिंह)

cal, people will have a right to rebel against it.'' अर्थात् एक राजा अन्यायी और क्रूर होता है तो जनता को अधिकार है कि वह उसके खिलाफ विद्रोह करे। यही बात, श्रीमान्, एक चाइनीज़ फिलोसफर ने २,००० वर्ष पहले कही थी :

"If a Ruler treats his subjects like grass and dirt then the subjects have a right to treat him like a Bandit and an enemy.'' अर्थात् अगर एक शासक जनता से घास और मिट्टी की तरह से उसके साथ व्यवहार करता है तो....

श्री पी० के० चौधरी : On a Point of Order Sir, in this connection, I refer you to page 2 of the Report. Clause 6 says that 'while considering the new provision sought to be substituted for sub-section (1) of section 29, the Committee are of the opinion that a Zamindar or Biswedar as a Malik of his Khudkasht land should have the same rights and liabilities as that of Khatedar tenant under the Rajasthan Tenancy Act, 1955 and that, therefore, the enumeration of such rights and liabilities in the second schedule was not necessary.'

'To give effect to the above view of the Committee the new sub-section (1) has been amended suitably.'

श्री उपाध्यक्ष : I have not been in a position to follow yet.

श्री पी० के० चौधरी : I have raised a point of order, Sir.

श्री उपाध्यक्ष : Pertaining to what position ?

श्री पी. के. चौधरी : That there is a disparity between the main clause as produced before us and the amended form...

मेजर श्री फतेहसिंह : What is the point of order ?

श्री उपाध्यक्ष : I am understanding the point of order and a point of order can be raised at any stage. Yes, you please show the disparity.

श्री पी. के. चौधरी : Now you come to page 3 of the Bill Sir"....the Zamindar or Biswedar thereof shall be a Malik of any Khudkasht land in his occupation on such date and shall as such Malik, be entitled to the rights specified in part A, and be subject to the liabilities specified in part B of the second schedule annexed hereto", and all the rights conferred and be subject to all the liabilities imposed on a Khatedar tenant by or under the Rajasthan Tenancy Act, 1955. The Bill says that it will not be entitled to all the rights conferred and subject to all the liabilities; that means it can be entitled besides these things. It will have the same rights, liabilties.

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री): Please read the last line also with this.

श्री पी. के. चौधरी : Yes, I have seen that. Whatever rights and liabilities, it will be entitled to all the rights, it is implied. The Committee never says that it will have no more rights. The report says that it will have the same rights.

श्री दामोदरलाल व्यास : But what is the point of order involved ?

श्री उपाध्यक्ष : If there is a disparity, it does stand.

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री): What is the disparity ?

श्री पी. के. चौधरी : I am explaining it to the Chair.

श्री उपाध्यक्ष : Yes, Please explain it.

श्री पी. के. चौधरी : That it will have the same rights and it will be entitled to all the liabilities. Suppose I am a Military man, I will be entitled to all the rights and liabilities conferred on a Khatedar tenant. But I will have another right also. That is not mentioned. A man in the Military Service will have the same..

श्री उपाध्यक्ष : Yes, I understand your point please.

श्री पी. के. चौधरी : Another point is that I refer you to page 8 of the Bill. In this Bill the Select Committee has amended Section 14 of the Bill.

श्री उपाध्यक्ष : To what page ?

श्री पी. के. चौधरी : Last page, Sir. Page 8.

A new clause shall be inserted that means 'Maliks'. Now, Sir, the procedure for the Select Committee is the same as for this House as per Rule 221.

Rule 221 (2) says, Sir, '...the procedure in a Select Committee shall, as far as practicable, be the same as is followed in the House during the consideration stage of a Bill, with such adaptations, whether by way of modification, addition or omission, as the Speaker may consider necessary or convenient.'

Now, Sir, in the original Amending Bill, there was no amendment to Section 14 of the Act. Now the Select Committee has amended it Whether it is permissible ? In an amending Bill we would permit to make an amendment to a Principal Act...

श्री महेन्द्रसिंह पंवार (अजमेर–पूर्व): If the Amending Bill canno t amend the Bill, why it is called an Amending Bill ?

श्री पी० के० चौधरी : Because Rule 221 is quite clear here. The procedure for the Select Committee will be the same as is followed in this House. We are not permitted to amend the Principal Act. New in the Amending Bill, the Select.

(श्री पी. के. चौधरी)

Committee has gone beyond its jurisdiction and Section 14 of the Tenancy Act was never intended to be amended by the Amending Bill. The Select Committee has suggested amendment in Section 14 and as such that amendment of the Select Committee is ultravires.

श्री दामोदरलाल व्यास : So far as his first point is concerned, regarding the disparity, I would submit, Sir, there is no disparity. So far as 'Malik' is concerned, he will be subject to all liabilities and Section 6 has given certain rights on certain personnel of Armed Fores. Those who belong to that category they will enjoy the rights and, therefore, there should be no apprehension so far as this point is concerned. Section 14 is a part of the Tenancy Act and, therefore, his contention in this respect is not very sound.

श्री पी० के० चौधरी : Why ?

श्री दामोदरलाल व्यास : No.

श्री पी० के० चौधरी : It is very sound.

श्री दामोदरलाल व्यास : You have a right to insist on wrong point. As regards second point, because a number of Jagirdars had objected, only the word 'Malik' had to be placed somewhere and this was within the competence of the Select Committee. On the Second Reading we have passed it. This does not hold good now...

श्री पी० के० चौधरी : I will reply...

श्री उपाध्यक्ष : I don't need any reply.

श्री पी० के० चौधरी : The Hon'ble Minister has...

श्री उपाध्यक्ष : That right does not exist.

I will not allow any more emphasis.

(श्री पी० के० चौधरी के बोलने के लिए खड़े होने पर)

The Chair its' on its legs. My oservations on the poiut of order that has been raised by Mr. Chaudhary is that Clause 6 is in accordance with the decisions of the Select Committee. The second point raised by him-that being a consequential amendment, it is permissible and I see no force in the point of order raised by Shri Chaudhary. So far as this point is concerned, whether a Point of Order can be raised at this stage or not, I will not like to say any thing, for the point of order is ruled out on other grounds.

श्री महेन्द्रसिंह पंवार : (अजमेर पूर्व) : Let him try to throw away.

मेजर श्री फतहसिंह : श्रीमान्,

(मेजर श्री फतहसिंह)

मैं यह कह रहा था कि २,००० वर्ष पहले चाइनीज़ दार्शनिक मेनीकियम ने कहा था कि अगर एक शासक जनता के साथ तिनके के और मिट्टी के जैसा व्यवहार करता है तो जनता को यह अधिकार है कि वह उसके साथ वैसा ही व्यवहार करे जैसा डाकू और दुश्मन के साथ किया जाता है । श्रीमन्, यद्यपि मैं माननीय राजस्व मन्त्री के प्रति श्रद्धा और स्नेह रखता हूं, फिर भी जिस क्षेत्र का मैं प्रतिनिधित्व करता हूं उन लोगों का तकाजा है कि मैं इस विधेयक का विरोध करूं, क्योंकि यह विधेयक वहां के लोगों के आर्थिक और सामाजिक ढांचे की बुनियादों पर आघात पहुँचाता है । इसलिए मैं रिपीट करता हूं तो इस विधेयक का विरोध करने का मेरा यह एक खास मकसद है । श्रीमन्, जैसा कि संशोधित विधेयक हमारे सामने आया है, उसको अगर मैं देखता हूं तो मुझे यह मालूम पड़ता है कि सारी रात रोये लेकिन कोई मरा नहीं । बहुत लम्बा-चौड़ा अमेंडिंग बिल था । गवर्नर महोदय ने एक अध्यादेश जारी किया था और अध्यादेश तब जारी किया जाता है जब कि पब्लिक-इमरजेन्सी होती है । लेकिन अब जिस रूप में संशोधित विधेयक प्रवर समिति से हमारे पास आया है उससे मालूम पड़ता है कि विधेयक का एकमात्र मकसद सिर्फ उन जमीदारों, बिस्वेदारों और खेवटदारों को, जहां से मैं आता हूँ वहां उनको खेवटदार कहते हैं, उनको एक नया नाम देना था, उन जमीदारों, बिस्वेदारों या खेवटदारों को नये नाम "मालिक" से पुकारा जाना था । अगर सरकार का मकसद केवल उनका नामकरण ही था, तब तो कोई बड़ी बात नहीं है । इस विधेयक से जमीदारों, बिस्वेदारों और खेवटदारों के स्टेटस में फर्क नहीं आया है । उनका स्टेटस वही रहा है जो कि एक खातेदार टीनेन्ट का है । जैसा कि मैं समझ पाया हूं अगर इस विधेयक का मकसद खेवटदारों, जमीदारों और बिस्वेदारों, का जो लैंड टेन्योर था उसके ऐतिहासिक महत्व को मान्यता देना ही है तो वह तो पूरा नहीं होता है । मैं यह तथ्य राजस्व मन्त्री महोदय की जानकारी में लाना चाहता हूँ, क्योंकि एक तरफ तो आप उन जमीदारों बिस्वेदारों और खेवटदारों को "मालिक" नाम की संज्ञा देते हैं, लेकिन दूसरी तरफ उनसे आप वसूल करेंगे रेन्ट । मालिक से और किराया वसूल किया जाय, यह इन दोनों बातों में विरोधाभास है । मालिक से लैंड रेवेन्यू वसूल किया जाना चाहिए । इसलिए अगर सरकार, यह सदन और खास तौर से हमारे राजस्व मन्त्री उन जमीदारों और बिस्वेदारों या खेवटदारों के लैंड टेन्योर के ऐतिहासिक महत्व को मान्यता देना चाहते हैं तो "मालिक" के साथ उन लोगों से लैंड रेवेन्यू वसूल होनी चाहिए और जब तक यह नहीं होता तब तक यह ढकोसलापन्थी है और जनता को गुमराह करने का एक तरीका है । यही नहीं, श्रीमन्, जैसा कि मैंने पहले कहा था केवल नामकरण करके और खेवटदारों, बिस्वेदारों और जमींदारों को "मालिक" नाम से पुकार करके और अधिक अधिकार नहीं देकर हम राजस्थान में दूसरे किसानों और इन किसानों में एक तरह का वर्ग भेद पैदा कर रहे हैं । जैसा कि मैंने पिछली बार कहा था कि मैं यह कभी नहीं कहता कि इन ज़मीदारों, बिस्वेदारों और खेवटदारों को मालिकाना अधिकार नहीं दिये जायं । मैं चाहता हूं कि

(मेजर श्री फतहसिंह)

'मालिक' नाम से पुकारे जाते हैं तो उनको मालिकाना अधिकार भी दिये जायं । जैसा कि हमारे फर्स्ट और सेकिण्ड फाइव इयर प्लान्स पर जो प्लानिंग कमीशन की रिपोर्ट है, उसमें भी यह माना है कि मध्यस्थ वर्ग को खत्म करने के बाद उन किसानों को, जो जमीन पर काबिज होते हैं, भूस्वामित्व के अधिकार दिये जाने चाहिये । इसलिए यह हमारे राष्ट्र की मानी हुई एक्सेप्टेड लैंड पॉलिसी है उसका हमें अनुकरण करना चाहिये । केवल 'मालिक' कह दें और कन्स्ट्रक्टिव राइट्स ऑफ ऑनरशिप नहीं दें, यह मैं समझता हूँ हमारी जो नेशन की एक्सेप्टेड पालिसी ऑफ लैंड रिफार्म्स हैं, उससे हमे डेवियेट हो रहे हैं, उससे हम परे जा रहे हैं । इसलिए अगर सरकार वाकई उन्हें, 'मालिक' नाम से सुशोभित करना चाहती है तो हमें चाहिये कि लैंड रेवेन्यू उनसे वसूल करें ; उनसे लैंड रेवेन्यू ही वसूल की जाय । यही मैं दुबारा इस पर एम्फेसिस करना चाहता हूं कि हमारे कॉन्स्टीट्यूशन में, हमारी नीति में इस बात का प्रावधान है कि सब किसानों को भूस्वामित्व दें ।

श्रीमन्, मैं जानता हूं कि हमारे राजस्व मन्त्री महोदय शक्तिशाली हैं । उनको इस सदन का और उनके दल का बहुमत प्राप्त है, लेकिन मैं आपकी मार्फत यह कह देना चाहता हूं कि एक शक्तिशाली व्यक्ति की शक्ति उस शक्ति के विवेकपूर्ण प्रयोग में होती है और जहां उस शक्ति का प्रयोग विवेकपूर्ण ढंग से नहीं होता है वहां वह शक्ति उस शक्तिशाली व्यक्ति को शक्तिशाली होते हुए भी दुर्बलता प्रदान करती है और फिर पतन की ओर ले जाती है । श्रीमन्, मैं कोई नई बात नहीं कह रहा हूं । यह ऐतिहासिक घटनाएं हैं ! बड़े-बड़े ऐतिहासिक व्यक्ति हुए हैं । अलाउद्दीन खिलजी हुआ, औरंगजेब हुआ, नेपोलियन हुआ और हमारे समय में बड़े-बड़े अंग्रेज शासक हुए, लेकिन उन्होंने सब बड़ी समस्याओं का निबटारा शक्ति के बल पर करना चाहा । हो सकता है कि हमारा जमाना बदला है, इसलिए पहले की शक्ति के प्रयोग और आज की शक्ति के प्रयोग में अन्तर हो सकता है, लेकिन शक्ति शक्ति ही है, चाहे वह मत की हो, चाहे शस्त्र की । तो जहां भी ऐसे मसले आते हैं तो हमें यह देखना है कि आया ऐसे कानूनों को जनता पसन्द करती है या नहीं । आज यह कानून किन लोगों से सम्बन्ध रखता है ? यह जमीदारों और बिस्वेदारों से सम्बन्ध रखता है और जहां तक मेरा संबंध है यह खेवटदारों से संबंध रखता है, जो अजमेर इलाके में रहते हैं; जो भीम, रायपुर तहसील के सेंदड़ा क्षेत्र में रहते हैं, वहां की जनता, वहां के किसान यह जानते हैं कि यह कानून उनके लिए अहितकर है । क्यों है ! क्योंकि 'मालिक' बनने के ऊपर सरकारी कागजातों में वे 'मालिक' नाम से सुशोभित किये जायेंगे, फिर भी उनसे रेन्ट लिया जायगा और जहां तक भूस्वामित्व का अधिकार है, जहां तक मेरा सम्बन्ध है, मैं यह कह सकता हूं कि अगर वह भूस्वामित्व फतहसिंह में न रह कर राजस्थान सरकार में रह जाय तो उसमें कोई विशेष परिवर्तन नहीं होता, लेकिन विशेष परिवर्तन उस हालत में होता है जब कि उनसे लेण्ड रेवेन्यू के बजाय रेन्ट लिया जाय और रेन्ट जहां तक अजमेर के लोगों का प्रश्न

(मेजर श्री फतहसिंह)

है उनसे जो लैण्ड रेवेन्यू ली जा रही है उसका अगर हम हिसाब लगाकर देखें तो एट टाइम्स हो जायगी, क्योंकि इसमें कहना चाहते हैं, हमारे टीनेन्सी एक्ट में लिखा है कि बेसिक रेट से अगर वह लैण्ड रेवेन्यू कम पड़ती है तो उसको बढ़ाया जा सकेगा। तो जो बेसिक रेट से कम पड़ती है तो वह बढ़ेगी और अवश्य बढ़ाई जायगी।

इस अमेंडिंग बिल में पहले तो हमारी सरकार ने यह भी प्रावधान रखा कि उन लोगों से लैण्ड रेवेन्यू के बजाय रेन्ट लिया जायगा और रेन्ट केवल उसी हालत में बढ़ाया जा सकेगा जब कि वह बेसिक रेट से कम पड़ता है; और अगर सरकार के साधनों से उस जमीन की किस्म अच्छी हो गई है, पैदावार बढ़ गई है, आब-पाशी के साधन सरकार की तरफ से अधिक दे दिये गये हैं, लेकिन उस क्लॉज़ को प्रवर समिति ने ठीक ही किया, उसको हटा दिया, क्योंकि वह सब राइट्स और लाएबिलिटीज़ जो खातेदार टीनेन्ट्स के हैं वे टीनेन्सी एक्ट में आये हुए हैं, लेकिन उससे वहां के किसानों को और धोखा होगा। वहां के किसान यह समझेंगे कि सरकार ने पहले अध्यादेश जारी किया था कि रेन्ट भी बढ़ सकेगा, वह अब नहीं बढ़ेगा। इसलिए, श्रीमन्, मैं यह कहना चाहता हूं, मैं राजस्व मंत्री से निवेदन करूंगा कि जहां तक अजमेर के खेवटदारों का प्रश्न है, आसपास के दूसरे इलाकों के खेवटदारों का प्रश्न है उनकी स्थिति बड़ी विकट है। उनके पास २-२, ३-३ बीघा जमीन है और दो, तीन बीघा जमीनवाले किसानों से अगर आप लैण्ड रेवेन्यू के बजाय रेन्ट लेते हैं और जहां कि इस कानून में प्रावधान है इस रेन्ट को बढ़ा लेते हैं तो उनकी आर्थिक स्थिति पर बड़ा घातक असर होगा। इसलिये इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए इसमें 'मालिक' शब्द अच्छा मालूम पड़ता है लेकिन देखने मात्र के लिये है। इसलिए मैं इसका विरोध करता हूं क्योंकि हम आडंबर पसन्द नहीं करते। या तो आप 'मालिक' को उसके अधिकार दीजिये; नहीं तो वह बेकार हो जाता है, जनता को धोखा देने का तरीका है जिससे सावधान रहना चाहिये।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा): उपाध्यक्ष महोदय, मुझे अभी तक यह बात समझ में नहीं आई है कि "मालिक" है, वह क्या है ? वह खातेदार टीनेन्ट नहीं है, लैंड होल्डर नहीं है, तो क्या है ? मैंने जैसा अभी बताया था "मालिक" जो है उसमें कहा गया है :—

"'Malik' as such will be entitled to all the rights and liabilities of the Khatedar tenants."

जैसा मेरे एक मित्र बताते हैं, Malik is a child of the Revenue Minister.. I correct myself-a child of the Revenue Minister.

उपाध्यक्ष महोदय, यह बात मेरी समझ में नहीं आती है कि जब मालिक और खातेदार टीनेन्ट में कोई फर्क नहीं है तो मालिक की डेफिनिशन क्यों रखी है ? यह कहा जाता है कि दोनों में कोई फर्क नहीं है तो फिर why the 'Malik' is introduced as another class of tenants.

(श्री पी० के० चौधरी)

उपाध्यक्ष महोदय, सेक्शन १४ में तीन तरह के टीनेन्ट्स दिये हैं : एक तो खातेदार टीनेन्ट, दूसरा टीनेन्ट ऑफ खुद काश्त और तीसरा गैर खातेदार टीनेन्ट । Now there will be a new addition. A fourth class is coming as 'Malik.'

उपाध्यक्ष महोदय, इसलिये मेरी समझ में नहीं आता है कि जो यह कहा जाता है कि मालिक की जो लाएबिलिटीज़ और राइट्स हैं they are exactly the same and identical, फिर सेक्शन १४ में जाकर why than you say about new class of tenants. मेरी समझ में नहीं आता है इफ इट इज सो जैसा उन्होंने मालिक का डेफिनेशन नहीं रखा है। पहला अमेन्डमेन्ट जो अमेन्डिंग बिल में था उसमें मालिक को नया रखा इन दी डेफिनेशन । अब सिलेक्ट कमेटी जाकर वहां से इसको शिफ्ट कर दिया एन्ड नाउ ही कम्स एज ए मालिक, ए न्यू क्लास ऑफ टीनेन्ट। जो आपके खातेदार टीनेन्ट हैं या टीनेन्ट ऑफ खुद काश्त ऑफ लैंड हैं या गैर खातेदार हैं He comes they come as fourth class of privileged class to be called as 'Malik'. तो इसमें मुझे उपाध्यक्ष महोदय, इसकी मिस्ट्री आज भी समझ में नहीं आती है कि वाट इज बिहाइन्ड इट । यदि उसको खातेदार जितने ही राइट देने थे तो 'मालिक' शब्द नहीं रखना था क्योंकि वे राइट तो पहले ही दे रखे थे । जो जमींदारी एंड बिस्वेदारी एबोलिशन बिल पास किया था उसमें सारे खातेदारी राइट्स दिये थे तो अब जो इसका नया नामकरण कर रहे हैं। उसके बारे में मुझे यह महसूस होता है कि कोई लेजिस्लेशन सिर्फ नाम देने के लिये या विदाउट एनि इन्टेन्शन नहीं करते हैं। सदन का जितना समय इस बिल के कंसीड्रेशन में सदन के माननीय सदस्यों का और सिलेक्ट कमेटी के माननीय सदस्यों का लगा है और सारे के सारे एन्क्वायरी कर रहे हैं इस बात के लिये, लेकिन रेवेन्यू मिनिस्टर साहब फर्माते हैं कि खातेदारी टीनेन्ट में और इसमें कोई फर्क नहीं है । यदि फर्क नहीं है तो इसको क्यों लाया जाता है....

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : सेन्टिमेन्ट्स को सेटिसफाई करने के लिये ।

श्री पी० के० चौधरी (जारी) : जो उनको कोई मेटीरियल गेन नहीं होता है, सब्सटेन्शियल गेन नहीं होता है, ज्यादा चीज़ प्राप्त नहीं होती है तो सेन्टिमेन्ट्स के लिये ही क्यों किया जाता है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन में सेन्टिमेन्ट्स नहीं चलते हैं, न रेवेन्यू मिनिस्टर साहब सेन्टिमेन्ट्स को लेकर चलते हैं? When he works as a Revenue Minister it means he works as an Administrator. उनका डिसीज़न किसी सेन्टिमेंट के आधार पर नहीं होता है. फैक्ट्स के ऊपर होता है, जो लॉजिक है उसके ऊपर रहता है । लेकिन ऐसा कोई एक्शन नहीं लेवें जो लॉजिकल न हो या फैक्ट्स पर आधारित नहीं हो। लेकिन जो मालिक का मामला है उसके लिये कहा जाता है कि मालिक को और कोई राइट्स नहीं हैं, खातेदार के ही राइट्स हैं तो वे राइट्स तो जमींदारी एबोलिशन एक्ट में ही दिये गये थे । इसलिये मैं महसूस करता हूं कि यह जो मालिक का नया क्लास

(श्री पी० के० चौधरी)

ऑफ टीनेन्ट इन्ट्रोड्यूस करते हैं तो यह कहते, 'Malik' means a Khatedar tenant in Ganganagar area... लेकिन आप यह नहीं कहना चाहते हैं, you don't say it. इसलिये मालिक की फोर्थ क्लास आपने सैक्शन १४ ऑफ दी टीनेन्सी एक्ट में इन्ट्रोड्यू की जिसका मैंने ऑब्जेक्शन किया था। नया क्लॉज़ इन्ट्रोड्यूस करना या नया सैक्शन करना उचित नहीं था।

दूसरी बात यह है कि जो बिल पास कर रहे हैं उसमें कुछ इनकॉन्सिस्टेन्सीज़ मालूम होती हैं। सिलेक्ट कमेटी में जाने से पहले यह था कि एक्ट पास होने के बाद जितनी प्रोसिडिंग्स हैं वे स्टे कर दिये जायेंगे। अब अमेंडमेंट में दिया है, all the proceedings will be stayed till an application from the Govt. is received. अब गवर्नमेन्ट से एप्लीकेशन नहीं जाय तो भी प्रोसिडिंग्ज स्टेड ही रहेंगी और पहले भी स्टेड थीं। तो नयी कौनसी शब्दावली आपने बढ़ा दी है। प्रोसिडिंग्ज विल बी स्टेड। अभी अमेंडमेंट हुआ है:-

Proceedings will be stayed. गवर्नमेंन्ट से एप्लीकेशन आयेगी तो आयेगा। पहले भी यह प्रोविजन था। तो कन्फ्यूजन वर्स्ट कनफाउन्डेड क्यों करते हैं। एग्जीक्यूटिव नहीं रखेंगे तो that will remain stayed indefinitely. इसलिये मैं महसूस करता हूं कि इस बिल को पास करने से पहले सदन के माननीय सदस्यों को सोचना पड़ेगा कि एक नया क्लास क्रिएट कर रहे हैं नया वेस्टेड इन्ट्रेस्ट क्रिएट कर रहे हैं, नाम के लिये भी हो सकता है जैसा कि एक माननीय सदस्य ने कहा था "आठ के छः करदे पर नाम कोतवाल धरदे"...

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा (किशनगढ़) : यहां तो आठ के आठ ही रखे हैं।

श्री पी० के० चौधरी : (जारी) यहां तो आठ के दस रखे हैं या आठ के आठ हैं तो Malik would have been defined as a Khatedar tenant but Malik is defined in the new clause according to this new amending Bill. नया क्लास ऑफ टीनेन्ट इन्ट्रोड्यूस कर रहे हैं जो और किसी जगह नहीं है। Besides that he will have some other rights. इसका मतलब क्या हुआ? आया इसका मतलब यह है कि मालिक को एडीशनल प्रोप्राइटरी राइट्स रहेंगे? वैसे सरकार रॉयल्टी लेती है वैसी ही रॉयल्टी प्रोप्राइटर को लेने का हक जोड़ा जाता है या यह होगा कि he will be considered as a super tenant in chief. जो जमीन उसके पास है उसको वह सब-लेट कर सकता है। यह भी हो सकता है कि मालिक while other Khatedar tenants cannot sublet their land जो सब-लेट करता है तो खातेदारी राइट चले जाते हैं but the 'malik' being a super Tenant in chief.... वह सब लेट भी करेगा, मालिक भी बना रहेगा, खातेदारी राइट भी वेस्ट करेंगे, क्या गवर्नमेन्ट की मंशा यह है? All these things should have been clarified before this Bill is passed and I think, the Hon'ble Minister will make it very clear what is this fourth class of tenants? उसके लिये

(श्री पी० के० चौधरी)

एडीशनल राइट क्यों हैं ? मालिक रहते हुए वह सब-लेट कर सकता है या एक्स्ट्रा पगड़ी मालिक होने से मिल सकती है ? जैसी बम्बई में पगड़ी मिलती है वैसी पगड़ी मिलेगी। जो उसको एडीशनल गेन हो, या रॉयल्टी मिले या एडीशनल प्रोपराइटरी राइट्स वेस्ट हों, इन सारी बातों को कन्सीडर करके गवर्नमेंट एक नई क्लास टीनेन्ट की क्रियेट करे और उसके बाद इस बिल को पेश करे तो ज्यादा अच्छा होगा। मैं चाहूंगा कि इस बिल को जल्दी पास न करके, इस पर विचार-विमर्श सदन में हो, उसके बाद इसको पास किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मुरलीधर व्यास।

श्री मुरलीधर व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, जमींदारी और बिस्वेदारी अबॉलिशन बिल के सिलेक्ट कमेटी में जाने के बाद सोचते तो यह था कि इसमें एक नया परिवर्तन आयेगा, जो प्रोग्रेसिव हो और आगे कदम बढ़ाने वाला हो। परन्तु हुआ क्या ? परिवर्तन तो कुछ नहीं हुआ और केवल दिखावे के लिए ऐसा परिवर्तन दिखाया जा रहा है कि इसमें हमने कोई न कोई परिवर्तन किया है। इस परिवर्तन से आम लोगों को क्या लाभ होनेवाला है ? मैं समझता हूं कि इस परिवर्तन से कोई लाभ नहीं होनेवाला है परन्तु सिर्फ दूसरों को दिखावा करने के लिए, दिखावे मात्र के लिए परिवर्तन किया गया है। सवाल यह है कि यह कहां तक ठीक दिखता है और क्या इसका दुरुपयोग होता है ? मैं कहना चाहता हूं कि आज के जमाने में मालिक शब्द का उपयोग करते हैं, जब कि क्लास-लैस सिस्टम का निर्माण करना चाहते हैं, जब समाजवादी समाज का निर्माण करना चाहते हैं, उस निर्माण के लिए कानून बनाते हैं और उसके साथ ही हमेशा के लिए, स्थाई रूप से 'मालिक' शब्द रख देते हैं तो हमें देखना पड़ेगा कि 'मालिक' का अर्थ क्या होता है ? 'मालिक' के बाद कौनसी दूसरी श्रेणी है ? वह श्रेणी है नौकरी मालिक और नौकर स्त्री-पुरुष, गाय-बैल इस प्रकार से संबंध मालिक और नौकर, ये परस्पर विरोधी शब्द हैं। इस तरह अगर निर्माण करते हैं, तो करें। आप कानूनी अधिकार देते हैं, अधिकार क्या ? मालिक करने का। मैं कहता हूं कि इसका दुरुपयोग होता है। मैं आपसे यह कहूं कि कानून बनाने में मालिक शब्द का इस्तेमाल जब से होने लगा तब से बहुत से जमींदारों ने अपने क्षेत्र में परचे बंटवा दिये हैं कि मालिक के अधिकार फिर से मिल गये हैं। किसान फिर से बेदखल होंगे, नाना प्रकार की तकलीफें होंगी, इस प्रकार लोग सोचते हैं। इस प्रकार के पर्चे छपे हैं, मैं नहीं कहना चाहता कि कहां छपे हैं, किसने छापे हैं, लेकिन कुछ कांग्रेसी लोगों ने कहा है कि यह प्रस्ताव हमने पेश किया था और यह अधिकार मिल गया है। जिनके पास जमीनें हैं वे बड़े हैरान हुए कि इस शब्द का दुरुपयोग हो रहा है। मैं परिस्थितियों के आधार पर कहना चाहता हूँ कि मंत्री महोदय खुद सोचते हैं कि हम नये समाज का निर्माण कर रहे हैं। मैं नहीं चाहता कि इस प्रकार के हक दें। मैं कहना चाहता हूं कि हमने नये समाज का दृष्टिकोण रखा है, लेकिन हमें यह सोचना है कि यह नई

(श्री मुरलीधर व्यास)

पद्धति क्या हो ? एक घोड़ा था, खाता नहीं था घास । वह घास खाता नहीं था, क्योंकि पहले उसे हरी घास खाने को मिलती थी । उसके बाद जब सूखी घास आई तो वह खावे नहीं, खावे नहीं । उसका मालिक हैरान हो गया, उसने सोचा, यह खाता नहीं है....

श्री उपाध्यक्ष : Mr. Vyas, I would like to point out that there is difference between the 'consideration stage' and 'passing stage' of the Bill. We are not expected to discuss the Bill threadbare. So please be brief in your speech.

श्री मुरलीधर व्यास : मैं यह कहना चाहता था कि एक घोड़ा हरी घास खानेवाला है, उसने कुछ नहीं खाया । वह क्यों नहीं खाता है ? क्योंकि घास सूखी है । वह सूखी घास नहीं खाता है, इसलिए उसकी आंखों पर हरी पट्टी लगा दो, जिससे हरी घास दिखने लगे । घास सूखी है पर उसकी आंखों पर पट्टी लगा दी, जिससे हरी घास दिखने लगे । इतना काम किया, पर वह कब तक ? आखिर इस प्रकार पट्टी लगा कर कब तक रखेंगे ? यह हमेशा होनेवाला नहीं है । जिस तरह की चीज़ चाहते हैं वह होनेवाली नहीं है । इसलिए मैं समझता हूं कि यह बुनियादी सवाल है, सोचने का सवाल है कि आखिर कानून यहां बैठ कर बनाते हैं । उसके बनाने से पहले सोचें कि हम जहां तक आ गये हैं, वह ठीक है या नहीं । मैं इतना कहना चाहता हूं कि इसमें जो 'मालिक' शब्द है, आपने किसी भी दृष्टिकोण से रखा हो, लेकिन आज के जमाने के उपयुक्त नहीं है क्योंकि इसका दुरुपयोग होता है । तीसरी बात यह है कि जो समाज भविष्य में स्थापित करना चाहते हैं, उसमें आगे जाकर लोग कहेंगे तो फिर आपको परिवर्तन करना पड़ेगा ...

श्री हरिप्रसाद यादव (वल्लभनगर–सु०) : होना क्या चाहिए, क्या भूपति होना चाहिए ?

श्री मुरलीधर व्यास : कुछ नहीं होना चाहिए; जैसा है वैसा ही रहना चाहिए ।

(एक माननीय सदस्य के ट्रेजरी बेंचों पर आने पर)

श्री सोहनलाल भटनागर (सलूम्बर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ट्रेज़री बैंचेज़ को ऑक्युपाई करते हैं, यह उचित नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज़ ! (सम्बन्धित सदस्य से) आप अपने स्थान पर जाइये, यों सीट बदलते नहीं रहिये ।

श्री मुरलीधर व्यास : मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरह 'जमीदारी हटाओ' आन्दोलन हुआ, आपने जमीदारी हटाई, किन्तु आपने इसमें 'मालिक' शब्द जोड़ दिया है, जिसका दुरुपयोग होता है, जिससे भेद मालूम होता है । अगर इस प्रकार कर दिया जाता है तो मैं समझता हूं कि लोग फिर आन्दोलन करेंगे कि इस क्लॉज़ को हटाओ, नया परिवर्तन करो । मैं समझता हूं कि व्यवस्था के अनुरूप, जो समाजवादी समाज की व्यवस्था करना चाहते हैं, इसका

(श्री मुरलीधर व्यास)

नामकरण करें ताकि आगे मौका न आये। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह ऐसी चीज़ नहीं है, अगर आपने इसे कर दिया तो इससे लाभ नहीं होगा। होगा यह कि लोग आगे यह कहेंगे कि यह क्या लफ्ज़ रख दिया है, इसकी हर प्रकार से निन्दा होगी। निन्दा इसलिए होती है क्योंकि इससे लाभ नहीं होता है। इसलिए इसे आपको हटा देना चाहिए और साधारण शब्द 'खातेदार' रख दें। उनको जो राइट मिलते हैं वे ही इसको मिलते हैं, इस में कोई नया परिवर्तन नहीं है। मैं समझता हूं कि इसको हटाना ही ज्यादा अच्छा होगा।

श्री उपाध्यक्ष : डॉ० बहादुरसिंह।

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर): उपाध्यक्ष महोदय, यह जो राजस्थान जमींदारी तथा बिस्वेदारी उत्सादन अधिनियम, १९५९ का संशोधन करने हेतु विधेयक पर सिलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट है, वह सदन के समक्ष है और उसका तृतीय वाचन चल रहा है। मेरी केवल मान्यता यह है कि जो 'मालिक' शब्द है उसे वर्गहीन समाज के अन्दर उपयुक्त शब्द मैं नहीं मानता और मैं यह मान कर चलता हूं कि राजस्व मंत्री की जमींदारी और बिस्वेदारी समाप्त करने के लिए इस सदन के अन्दर जो तारीफ हुई और जितने उत्साह से उन्होंने इसको समाप्त किया उसके बाद उन भूतपूर्व जमींदारों को आज मालिक बनाने जा रहे हैं तो मेरी व्यक्तिगत यह मान्यता है कि हम....

श्री हरिप्रसाद यादव (वल्लभनगर–सु०): जिसके पास जमीन है, वह खुद मालिक है। जब वे हैं तो आप कैसे कह रहे हैं कि बनाने जा रहे हैं?

डॉ० बहादुरसिंह : आप तसल्ली रखें।

श्री हरिप्रसाद यादव : आप कह रहे हैं रेवेन्यू मिनिस्टर बनाने जा रहे हैं। ये पहले से हैं।

डॉ० बहादुरसिंह : मेरा निवेदन है और माननीय उपाध्यक्ष, मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इस सदन के अन्दर १९६१ या १९६३ के अन्दर मालिक उत्सादन विधेयक पेश करना पड़ेगा। यह मानी हुई बात है, यह चीज़ वर्गहीन समाजवाद के अन्दर बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे कि एक अलग वर्ग हो, मालिक विशेष उसके ऊपर बैठा रहे....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर): १९६३ में रेवेन्यू मिनिस्टर ये नहीं रहेंगे।

डॉ० बहादुरसिंह : बराबर रहेंगे, इसमें फर्क नहीं पड़ेगा और ये ही पेश करेंगे। माननीय मौजूदा राजस्व मंत्री १९६१ या १९६३ में मालिक उत्सादन विधेयक पेश करेंगे, मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं, क्योंकि उनकी विचारधारा ऐसी है, अभी या तो उनके ऊपर विशेष प्रभाव है या किसी क्षेत्र विशेष को संतुष्ट करने के लिए 'मालिक' शब्द का प्रयोग करना चाहते हैं। लेकिन उन्हें विश्वास करके चलना चाहिए था कि सदन उनके साथ था। जब सदन में इस प्रकार की भावना थी कि वर्गहीन समाज के अन्दर विशेष क्लास, कृषि कानून से, कृषि क्षेत्र में पैदा नहीं करनी चाहिए तो मेरी

(डॉ० बहादुरसिंह)

समझ में नहीं आया कि आप इतने प्रोग्रेसिव व्यूज़ के व्यक्ति होकर दबें; यह बात मेरी समझ में नहीं आने वाली थी। इसलिए मैं अब निवेदन करना चाहता हूं कि उस समय लोग यह कहेंगे कि जब आपसे कह दिया था कि आप 'मालिक' शब्द न रखिये, लेकिन आपने रखा, तो अब 'मालिक' उत्सादन विधेयक क्यों प्रस्तुत कर रहे हैं? इसलिए उपयुक्त अवसर तो यही है। यदि आप चाहते हैं कि चौथी क्लास रहे, कृषि के अन्दर चौथी क्लास रहे तो इस प्रकार का शब्द ढूंढें, जिससे जमींदार शब्द का शाब्दिक अर्थ किया जा सके,'मालिक' शब्द का शाब्दिक अर्थ किया जा सके, तो इससे फर्क नहीं पड़ता है। हमने एक चीज़ समाप्त कर दी, एक तन्त्र बदल दिया, उसके बाद यह हो सकता है कि गंगानगर के अन्दर 'मालिक' कहें, राजा कहें, लेकिन शब्द 'मालिक' इस प्रकार का है यह उस सामन्ती भावना का प्रतीक है जो आज के समाजवाद के अन्दर फिट नहीं बैठता है। इसलिए मेरा निवेदन है कि अब भी समय है....

श्री हरिप्रसाद यादव : उस भावना को संरक्षण रेवेन्यू मिनिस्टर दे रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर! ऑर्डर प्लीज़!!

डॉ० बहादुरसिंह : उस भावना को देखते हुए, उनकी अन्तरात्मा की जो पुकार है उसको सुनते तो मैं समझता हूं कि अब भी कुछ बिगड़ा नहीं है। इस 'मालिक' शब्द में परिवर्तन कर लें तो उपयुक्त होगा।

श्री उपाध्यक्ष : श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा।

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा (किशनगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, जो सिलेक्ट कमेटी की तरफ से बिल आया है उसके बारे में कहा गया कि 'मालिक' शब्द क्यों रखा गया? मैं समझता हूं कि यदि माननीय सदस्य जमींदारी एक्ट पढ़ लेते तो शायद यह प्रश्न पैदा नहीं होता।

श्री हरिप्रसाद यादव (वल्लभनगर–सु०) : आप भी तो प्रवर समिति के सदस्य थे।

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा : मैं इसका समर्थन करता हूं। मैं इस बात को मानता हूँ कि 'मालिक' शब्द टीनेन्ट से ज्यादा महत्व रखता है। मगर यह बात बिल्कुल स्पष्ट है कि हमने जमीन का मालिकाना राइट किसी को नहीं दिया है। जमीन की मालिक सरकार ही है। लेकिन जिस जमींदार के लिये खुदकाश्त की जमीन है बल्कि उन्हीं लोगों को जिनके खुदकाश्त की जमीन है उनको उसके लिये 'मालिक' कहा गया है। अब यह कहा जाता है कि उनको 'मालिक' क्यों कहें? इसके लिये मैं यह कहूँगा कि जमींदारी एक्ट की दफा २९ को पढ़ें तो आपको मालूम होगा कि उसमें लिखा है : उनके लिये वही लगान है जो लैन्ड रेवेन्यू मुकर्रर है। इसके अलावा दूसरे काश्तकार जो जमींदार को लगान देते हैं उनको भी जो लगान देते थे वे लैन्ड रेवेन्यू दुगुना से ज्यादा नहीं दे सकेंगे। खुदकाश्त का लगान वही होगा जो सरकार को जमींदार देते आ रहे हैं और

(श्री पुरूषोतमलाल शर्मा)

जो दीगर काश्तकार होंगे वह दुगुने से ज्यादा तीन गुणा या चार गुणा पहले उन पर लगता है उसके बजाय अब उन पर दुगुना ही लगेगा। इस रेस्पेक्ट में जमींदार का खुदकाश्त लगान में फर्क है।

आप कहेंगे कि जागीरदारी में यह आपने क्यों नहीं रखा? मैं यह कहूंगा कि जागीरदारी रिज़म्प्शन एक्ट जो बना है उसमें इस प्रकार का कोई प्रोविज़न आपने नहीं रखा है। इसलिये जमींदारी और जागीरदारी रिजम्प्शन एक्ट में यह फर्क है। अगर आप जमींदारी एक्ट की धारा २९ और ३० को देखें तो आपको यह फर्क साफ मालूम पड़ेगा और मालूम हो जाएगा कि यह जो लगान खुदकाश्त के लिये रखा गया है वह कम रखा गया है वह काश्तकार के लिये ज्यादा है। इसका कारण यही है और इसी वजह से जमींदारी खुदकाश्त में 'मालिक' शब्द रखा गया है वह उचित है और इसी कारण मैं समझता हूं कि 'मालिक' शब्द का प्रयोग किया गया है। अगर हम टीनेन्सी एक्ट के अनुसार उनको टीनेन्ट मान लें तो जमींदारी के दीगर गैर-खातेदार काश्तकार के अनुसार ही उनका रेन्ट होना चाहिये। मगर हमने इसमें फर्क रखा है। इसीलिये 'मालिक' शब्द रखा है और 'मालिक' शब्द से आपको यह नहीं समझना चाहिये कि इससे अलग सरकार का दिमाग हो गया है। मैं यह कहूंगा कि हमारी वही नीति है और कांग्रेस की वही पॉलिसी है कि जमीन की मालिक सरकार ही है और कोई दूसरा नहीं हो सकता। पहले जो जमींदार थे, वे 'मालिक' शब्द का प्रयोग करते आ रहे हैं वे अब खातेदार हैं जो पहले जमींदार थे। इसलिये मैं समझता हूं कि इससे हमारी नीति में कोई फर्क नहीं होगा।

श्री लक्ष्मीचन्द (सांचोर): उपाध्यक्ष महोदय,....

श्री उपाध्यक्ष: श्री मोहरसिंह।

श्री मोहरसिंह (चुरू): उपाध्यक्ष महोदय, यह जो सिलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट पेश हुई है उसमें मैं भी दो शब्द कहना चाहता हूँ। अब तक जो बहस हुई है उसको मैंने सुना है और उसको सुन कर इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि खातेदार, खेवटदार और मालिक तीन शब्दों पर इस समय झगड़ा है और खास कर खातेदार और मालिक पर।

श्री उपाध्यक्ष: मैं एक बात माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि जहां तक झगड़े का प्रश्न है वह तो कन्सीडरेशन की स्टेज पर समाप्त हो जाता है! यह स्टेज अब नहीं है कि आप सारे संशोधनों और परिवर्तनों पर वाद-विवाद करें। अगर कोई थोड़ी कमी रह गई हो तो उस पर आप विचार कर सकते हैं, यह नहीं कि सारे संशोधनों पर अपने विचार व्यक्त करें। यह स्टेज सारे बिल पर विचार करने के लिये है।

(विराम)

Yes, continue.

श्री मोहरसिंह: इसमें 'मालिक' शब्द दुबारा रखने की कोशिश की गई है। 'मालिक' शब्द के साथ कुछ अधिकार विशेष हैं, मगर वे इस प्रतिवेदन में प्रस्तुत नहीं

(श्री मोहरसिंह)

किये गये हैं। मैं यह कहूंगा कि यह 'मालिक' शब्द रख कर होशियारी जरूर की गई है और 'मालिक' शब्द रख कर एक इलाके के लोगों को प्रसन्न कर दिया जाए; लेकिन इसके साथ में पुराने जमीन के अधिकार जुड़े हुए थे वे अधिकार न रख कर सिर्फ 'मालिक' शब्द रखने का क्या प्रयोजन है; समझ में नहीं आता। जहां तक मैं समझ पाया हूं पहले जब टीनेन्सी एक्ट बना, यह शब्द 'मालिक' वहां पर था। महाराजा गंगासिंहजी ने जब उनको अंग्रेजी नाम 'मालिक' दिया तो उन्होंने कुछ अधिकार भी दिये थे। खातेदारों को दरख्त बेचने का अधिकार नहीं था मगर मालिकों को दरख्त बेचने का अधिकार खास था। आज हम खातेदार के साथ मालिक को जोड़ रहे हैं। उनको दरख्त बेचने का जो खातेदारों के अतिरिक्त अधिकार थे उन अधिकारों से वंचित रख रहे हैं। जब हम उनको उन अधिकारों से वंचित रख रहे हैं तो फिर 'मालिक' शब्द को जोड़ने से क्या मतलब होगा ? वह ठीक वही होगा जैसे कोई भूल-भुलैया का तमाशा हो या कोई चक्र व्यूह हो। मैं समझता हूं कि इससे कोई उनको फायदा नहीं होगा। जो खुदकाश्त करते हैं उनके नाम खेवटदार है. उनको 'मालिक' नाम दे दिया जाता हैं और लैन्ड रेवेन्यू का शब्द बढ़ाया गया है। इसके अलावा जो पहले खेवटदार थे उनसे ८ गुणा रेन्ट वसूल किया जावेगा।

(३. म० प०)

श्री सोहनलाल भटनागर (सलूम्बर) : आपने यह ८ गुणा रेन्ट वसूल करने का कहां पढ़ लिया।

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री): आपने यह ८ गुणा रेन्ट कहां देखा ?

श्री मोहरसिंह : ८ गुणा नहीं सही, दुगुना या तिगुना सही। उस इलाके में जहां खेवटदार कहलाते हैं आज 'मालिक' कहलावेंगे। इसलिये 'मालिक' के शब्द का आज के युग में, समाजवादी युग में, मैं समझता हूं कि कोई मतलब हासिल नहीं होता। इसलिये यह 'मालिक' शब्द रखना उचित नहीं होगा, सीधा 'खातेदारी' शब्द कर मंशा पूरी कर सकते थे।

श्री सोहनलाल भटनागर (सलूम्बर): उपाध्यक्ष महोदय, जिस समय इस सदन में टीनेन्सी बिल पाइलोट किया गया था उस समय टीनेन्ट्स के प्रोप्राइटरी राइट्स के बारे में काफी डिस्कशन हुआ था। उस समय यह तय हुआ था कि प्रोप्राइटरी राइट्स स्टेट में रहने चाहिये। उसको लेकर तीन तरह के टीनेन्ट्स एक तो खातेदार और दूसरे गैर-खातेदार और तीसरे खुदकाश्त बने। जब जमींदारी खत्म हो गई तो दो तरह के टीनेन्ट्स रह गये। एक तो खातेदार और एक सब-टीनेन्ट।

उपाध्यक्ष महोदय, प्रोग्रेसिव लेजिस्लेचर का ट्रेन्ड है उसमें जितनी टीनेन्ट्स की क्लासेज़ को कम करें उतना ही अच्छा है और प्लानिंग कमिश्नर ने भी यही राय दी है और हमारा भी एक ही सिद्धान्त है और हम जानते हैं कि कुछ समय बाद सिर्फ एक ही तरह के टीनेन्ट्स रहेंगे और उसका

(श्री सोहनलाल भटनागर)

डाइरेक्ट रिलेशन विश दी स्टेट होगा और हमारी टीनेन्सी है वह इन ड्यू कोर्स of time में खत्म होगी । 'मालिक' एक नई चीज है । उनको भी वह के वह अधिकार हैं और अधिकारों में किसी प्रकार का अन्तर नहीं है । यह एक साइकॉलोजी पर आश्रित है । अगर यह पास नहीं किया भी जावे तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है । रहा सवाल लैन्ड रेवेन्यू और रेन्ट में फर्क का ? जैसा कि किशनगढ़ से आनेवाले माननीय सदस्य ने बताया कि धारा २६ में रेन्ट enhancement में फर्क होगा । मैं समझता हूं कि यह साइकॉलोजिकल बैक ग्राउन्ड को लेकर किया गया है । इसलिये इसकी कोई आवश्यकता नहीं है ।

श्री भीमसेन (लूणकरणसर): उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान जमींदारी तथा बिस्वेदारी एबोलिशन अमेन्डमेंट बिल, १६६० पेश हुआ है उसके सम्बन्ध में अर्ज करना चाहता हूं । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे हिन्दुस्तान की जो दूसरी स्टेट्स हैं. यू० पी०, केरल आदि उनमें भी जमींदारी बिश्वेदारी थी और उनकी खुद काश्त लैंड थी उनको भूमिदार या प्रोप्राइटर कहा जाता है ।

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : भूतपूर्व जागीरदार को क्या कहेंगे ?

श्री भीमसेन : इसलिए यह कहना कि यह स्टेट के पास ही सुरक्षित रहना चाहिये, यह उपयुक्त नहीं है । यू० पी० में जिनकी खुदकाश्त थी उनको भूमिधर बनाया । इसलिए यह कहना कि 'मालिक' शब्द को न रखा जाय, मैं इसको उचित नहीं समझता हूं । उपाध्यक्ष महोदय, यह कहना वाजिब भी नहीं है ।

'मालिक' शब्द बीकानेर डिविज़न में था । उनमें ऑनरशिप के राइट्स वेस्ट करते थे, एक माननीय सदस्य ने बोलते हुए कहा था । लेकिन देश की जो नीति है सीलिंग या भूमि के बारे में, गवर्नमेंट ऑफ इन्डिया की जो पॉलिसी है वह काश्तकार को ऑनेरशिप के राइट्स देती है । तो यह यहां पर इन इनकॉन्सिसटेन्ट विद दी नेशनल पोलिसी है । यहां पर 'मालिक' शब्द बीकानेर स्टेट के टीनेन्सी एक्ट के मुताबिक है । यह लैंड होल्डर की डेफिनेशन में आता है । वहां का काश्तकार, बिस्वेदार, ज मींदार, भूमिधर है, भूमि पर विशेष अधिकार होगा ।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : नेश्नल पॉलिसी में मालिक की कहां डेफिनिशन है, माननीय सदस्य यह जरा बता दें ?

श्री भीमसेन : Yes, I can show it.

श्री पी० के० चौधरी : Where is that ?

श्री उपाध्यक्ष : Order please order !! Hon'ble Minister....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : उपाध्यक्ष महोदय....

श्री उपाध्यक्ष : I am sorry Mr. Satish Chandra I have given chance to Hon'ble Minister now.

श्री सतीश चन्द्र अग्रवाल : Mr. Yadav stood to speak.

श्री उपाध्यक्ष : I have requested the Hon'ble Minister to speak.

श्री दामोदरलाल व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, 'मालिक' शब्द पर माननीय सदस्यों ने आपत्ति की है और कुछ ने इसका समर्थन भी किया है। यह बात ठीक है कि 'मालिक' शब्द यहां रखने के कुछ कारण हैं। पहले भी सदन में जब बिल पेश हुआ था और सिलेक्ट कमेटी में पेश हुआ तब भी मैंने यह अर्ज किया था कि 'मालिक' शब्द क्यों रखा जा रहा है। फुलेरा से आये हुए माननीय सदस्य समझते हैं कि इसके पीछे कोई सेन्टीमेन्टल वजुहात हैं, इसलिए कि किसी खास एरिया को खुश करना है या कुछ लोगों की नाराजगी मिटाने के लिए यह रखा गया है। मैं माननीय सदस्य को फिर अर्ज करूंगा कि न तो यह किसी खास एरिया को खुश करने के लिए रखा गया है, न किन्हीं की नाराजगी को मिटाने के लिए रखा गया है किन्तु इसके पीछे हिस्टोरिकल बैक-ग्राउन्ड है। गंग केनाल में 'मालिक' शब्द है और वहां के खातेदार 'मालिक' कहलाते हैं। पंजाब के एक एरिया में भी ऐसा है। पंजाब में और बीकानेर में बीकानेर स्टेट टीनेन्सी एक्ट के अनुसार यह शब्द चला आ रहा है। इसी तरह का खेवटदारी सिस्टम था। जब आज हम इन कानूनों के द्वारा इन्टरमीजियरीज़ को एबोलिश करते हैं तो आइन्दा यह डिस्टिंग्विश किया जा सके कि यह क्या था; इतने अर्से से एक केनाल के खातेदार 'मालिक' कहलाते आये हैं, उनको 'मालिक' शब्द से ही पुकारा जाता है तो कोई वजह नहीं है कि उनके इस नाम को एबोलिश किया जाय जब कि वे एक ऑर्डि-नरी टीनेन्ट की हैसियत से हैं। जब हम मानते हैं और जैसा माननीय सदस्य से भी कहते हैं कि हमारी नेशनल पॉलिसी है और वह प्रोग्रेसिव पॉलिसी है तो क्यों नहीं यह रखा जाना चाहिये ? इससे कोई प्रोग्रेस में बाधा नहीं पड़ने वाली है। कोई सुपीरियर राइट्स उनको नहीं दिये गये हैं जिनके लिए माननीय सदस्यों को एतराज हो सकता था। यदि उनके कोई राइट्स को रिड्यूस किया जा रहा होता तो माननीय सदस्यों को एतराज हो सकता था। एक ऑर्डिनरी खातेदार टीनेन्ट को जो राइट्स हैं वे ही इनको राइट्स दिये गये हैं, न तो अधिक और न ही कम। 'मालिक' शब्द से ही माननीय सदस्यों को चिढ़ हो गई हो....

श्री हरिप्रसाद यादव (वल्लभनगर–सु०) : उपाध्यक्ष महोदय, समझ में नहीं आता है कि....

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज़ ! ऑर्डर प्लीज़ !!

श्री दामोदरलाल व्यास : इसलिए 'मालिक' शब्द से माननीय सदस्यों का कोई विरोध नहीं होना चाहिये। हमारी एक ओल्ड टर्म है टीनेन्ट्स की, जो राजस्थान में आज भी है, तो उसको ही हम कन्टीन्यू करने जा रहे हैं। कोई लाएबिलिटी का भी सवाल नहीं है।

फुलेरा से आये माननीय सदस्य ने जो बातें रखी हैं; उनको एक डर है, उनका एक एप्रीहेन्शन है। कहा यह गया कि सबलेटिंग के राइट्स नहीं हैं तो 'मालिक' शब्द रखने से उनको सबलेटिंग के राइट्स पैदा हो जावेंगे। सेक्शन ६ में स्पष्ट लिखा हुआ है कि जो राइट्स एन्ड लाएबिलिटीज़ एक खातेदार काश्तकार की हैं वे ही इनकी

(श्री दामोदरलाल व्यास)

भी रहेंगी । खातेदार को सबलेटिंग का अधिकार है तो इनको भी अधिकार होगा। केवल नाम मात्र का यहां सवाल है। जहां तक डिसएबिलिटी का सवाल है या ऐसे लोग हैं जैसा कि मैंने पहले अर्ज किया था कि जैसे आर्म्ड पर्सोनल्स हैं या उनको प्रोटेक्शन दिया गया है सेक्शन ४६ में उनको भी न तो ज्यादा मिलेगा और न ही कम। केवल मात्र पुराने नोमेन्क्लेचर को यहां पर रिटेन किया है।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : Maliks will get the same protection as Army Personnel ?

श्री दामोदरलाल व्यास : You don't try to confuse me. At least I am not to be confused so easily as you think.

श्री हरिप्रसाद यादव : 'मालिक' तो भगवान् को कहते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : Order Please ! Order !!

श्री पी० के० चौधरी : माननीय सदस्य का कोई पोइन्ट ऑफ ऑर्डर है।

श्री उपाध्यक्ष : His Point of Order is never entertainable here.

श्री दामोदरलाल व्यास : इसलिए 'मालिक' शब्द यहां रखना बिल्कुल उपयुक्त है। रिपील करने का, यह सुपीरियर टाइप ऑफ टीनेन्सी कायम करने का सवाल नहीं है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि इस बिल को पास किया जाय।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक क्लेरिफिकेशन कराना चाहूंगा। डेट ऑफ ऑक्युपेशन बिस्वेदारी, जमींदारी की होगी, वह काश्तकार दावा कर सकेगा, इसका स्पष्टीकरण किया जाय कि जो जमीन जिस तारीख को कब्जे में नहीं थी या किसी आदमी ने चार महीने पहले या साल भर पहले भी उसको बेदखल कर दिया हो तो उसको रेस्टोरेशन ऑफ पजेशन के लिए दावा करने का अधिकार नहीं दिया है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने पूरी तरह से सुना नहीं, आप दुबारा फरमाइये।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : डेट ऑफ वेस्टिंग का आपने यहां दिया है, जिसके जिस तारीख को ऑक्युपेशन में होगी वह खुद-काश्त की जमीन मानी जावेगी और वह खातेदारी राइट्स के अनुसार दावा कर सकता है। जैसे मान लीजिये कि दो महीने पहले या दो साल पहले किसी ने उसको उस जमीन से बेदखल कर दिया है, इल्लीगली कर दिया है, ट्रेस्पासर है उस जमीन पर उसका दावा कैसे चल सकेगा, इस पर जरा प्रकाश डालने की कृपा करेंगे ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मेरे ख्याल से ऐसे क्वार्टर्स से यह सवाल आया है जो नहीं आना चाहिये था। एक ट्रेस्पासर से कब्जा लेने का काम मेरा नहीं है, गवर्नमेन्ट का नहीं है किन्तु उसका है जो कि उस जमीन का मालिक है। लीगल रेमेडी है उसकी।

श्री महेन्द्रसिंह पंवार (अजमेर-पूर्व) : माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि कहीं लीगल रेमेडी बार तो नहीं की गई है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जी नहीं। बार नहीं की गई है। यदि आपकी इजाजत हो तो मैं निवेदन कर दूँ कि क्लॉज़ ५ में अमेंडमेंट किया है। यह मेटीरियल अमेंडमेंट है। पहले जो क्लॉज़ था उसमें जितने राइटस थे, जैसा माननीय सदस्य समझते थे कि वैसे ही हो गया है, गवर्नमेंट नेसेसरी पाट है।

श्री महेन्द्रसिंह पंवार : वह भी चलेगा। लेकिन गवर्नमेंट पार्टी बना दी जायेगी।

श्री दामोदरलाल व्यास : और यही नह, गवर्नमेंट को एप्लीकेशन देते यह तो ऑर्डिनरी सवाल था। यहां तो ज्यादा सुविधा दे रहे हैं, जिनकी रक्षा अपने आप हो रही है ; यदि कोई ट्रेसपासर्स हैं, ट्रेसपासर्स के लिये अपील नहीं होगी। जमींदार चाहे तो उसे छोड़ सकता है।

श्री पी. के. चौधरी : I wanted another point to be clarified that this amending Bill has been modified and there is no saving clause. According to the Ordinance we have taken certain action. While passing the Bill it is different than what it was. Without a saving clause, whether it will be advisable to pass it ?

श्री उपाध्यक्ष : You are making some explicit explanation ?

श्री दामोदरलाल व्यास : That is quite sufficient, Sir, what I have already explained.

श्री पी. के. चौधरी : Under the Ordinance we have taken certain action

श्री दामोदरलाल व्यास : What action ?

श्री पी. के. चौधरी : Whatever it may be.

श्री दामोदरलाल व्यास : What is the material amendment in this Bill here to nullify ? I will refer the Hon'ble membert othat law particularly.

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान जमींदारी तथा बिस्वेदारी उत्सादन (संशोधन) विधेयक, १६६० को पारित किया जाय।

(स्वीकृत)

विधेयक पारित किया गया।

राजस्थान स्मारक, पुरातत्व सम्बन्धी स्थान तथा प्राचीन वस्तु विधेयक, १६६० (खण्डश : विचार-विमर्श एवं पारित)

श्री उपाध्यक्ष : The Hon'bleMinister to reply the debate under clause 5 of the Rajasthan Monuments, Archaeological Sites and Antiquities Bill, 1960.

Page No.91

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, क्लॉज़ ५ के सिलसिले में जो अमेन्डमेंट फुलेरा से आने वाले माननीय सदस्य ने रखा और श्री माधोपुर और जयपुर से आनेवाले माननीय सदस्यों ने जिसका समर्थन किया उस अमेन्डमेंट में मेन मुद्दा यह था कि यह क्लॉज़ ५ जो इस प्रकार रखा गया हैं 'Acquisition of rights in or guardianship of a protected monument-The Director may, with the sanction of the State Government., purchase, or take a' lease of, or accept a gift or bequest of, any protected monument. इसको इस प्रकार से न रख कर वह डिलीट कर दिया जाय जिससे इस कानून में जो प्रोसीजर रखा है कि इस प्रकार की जो आर्क्योलोजिकल वैल्यू की चीजें हैं उनको डाइरेक्टर अपने कब्जे में लेगा और वही उसका गार्जियन होगा। वह किस तरह से लेगा, उसके लिये अलग अलग सब क्लॉजेज़ में बताया गया है। उनका खास मुद्दा यह था कि धाराओं को इस प्रकार से न रख कर एस्चीट प्रोपर्टी एक्ट की धारा है वही प्रोसीजर यहां कर दिया जाना चाहिये। यह दलील इस जगह यों मेल नहीं खाती। एस्चीट प्रोपर्टी एक्ट के अन्तर्गत जो चीज़ मिलती है वह किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद, यदि कोई उत्तराधिकारी नहीं होता है वैसी हालत में उसका कब्जा किसको दिया जाय, उसके लिये उसमें प्रोसीजर होता है। कलेक्टर नोटिस देता है, वहां पर उन चीजों की लिस्ट आती है और जब तक उसका तय न हो वह प्रोपर्टी उन्हीं के कब्जे में रहती है। इस प्रकार का मामला उसमें होता है। यह प्रिन्सिपल रूप में यहां लागू नहीं होता। इसमें तो यह है कि आर्क्योलोजिकल वैल्यु की कोई चीज़ यहां पर मिलती है उस वक्त में जो इस विभाग का डाइरेक्टर होगा उन सारी चीजों को अपने कब्जे में लेने का वह अधिकारी है। उसके बाद वह इतिला स्टेट गवर्नमेंट को देंगे और उसको किस प्रकार कहां कहां ले जाया जायगा यह सब अलग अलग धाराओं में दिया गया है। इस सिद्धान्त को उस सिद्धान्त से लागू नहीं किया जा सकता, वह तो एक लम्बा प्रोसीजर है। इसलिये मेरा निवेदन यह है कि जो अमेंन्डमेंट फुलेरा से आनेवाले माननीय सदस्य ने रखा है वह यहां पर ठीक नहीं बैठता इसलिए मन्जूर नहीं किया जा सकता। जो प्रोसीजर यहां दिया हुआ है वही सही है। इसलिए मेरा उनसे निवेदन है कि वे अपना अमेन्डमेंट वापिस लेंगे और यह मूल धारा जिस प्रकार से है उसी प्रकार से स्वीकार करने की कृपा करेंगे।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : I don't press my amendment.

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह हैं कि क्लॉज ५ में जो संशोधन श्री पी० के० चौधरी ने रखा है उसे वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जाय ?

श्री पी० के० चौधरी : That does not mean withdrawal.

श्री उपाध्यक्ष : Yes, it is treated as negatived.

प्रश्न यह कि क्लॉज़ ५ विधेयक का अंग बने ?

(स्वीकृत)

(श्री उपाध्यक्ष)

क्लॉज ५ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

क्लॉज़ ६

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज ६ विधेयक का अंग बने !

(स्वीकृत)

क्लॉज ६ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

क्लॉज ७, श्री पी० के० चौधरी।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : उपाध्यक्ष महोदय, इस क्लॉज में मेरा अमेंडमेंट इस प्रकार का है "Delete the words and commas 'and in case of village property, the headman or other village officer exercising powers of management of or over such property."

उपाध्यक्ष महोदय, हमारे जो एग्ज़िस्टिंग लॉज हैं, विलेज़ हेडमैन कोई रिकाग्नाइज्ड पर्सन नहीं है। पंचायत सरपंच किसी विलेज की प्रोपर्टी पंचायत में वेस्ट करती है उसके ओनरशिप की रक्षा के पॉवर्स वे एक्ससाइज़ करते हैं। उस प्रोपर्टी की तरफ he can enter into an agreement but the 'village headman' is a very vague experssion. विलेज अफसर किसको आप मानते हैं; पटवारी को मानें या किसको मानेंगे ? इसलिए यह जो 'हैडमैन' इसमें रखा गया है उसको कहीं डिफाइन नहीं किया गया है। इसलिए बेहतर यह रहता कि जो पंचायत के सरपंच हैं उनको ये अधिकार दे देते हैं क्योंकि विलेज प्रोपर्टी उसी में वेस्ट करती है, पंचायत के सरपंच उस एग्रीमेंट को एन्टर्टेन करेंगे; so and so will be called the village headman He will execute an agreement on behalf of that property. तो इसमें प्रोवीजन है ही ऑलरेडी कि कॉम्युनिटी का रिप्रेजेन्टिटिव रहेगा वह इसमें रहेगा। पर इसके बदले आपने विलेज हैडमैन और विलेज मैन को रखा है। यह वेग टर्म है और इससे कन्फ्यूज़न क्रिएट हो सकता है। इसलिए डिलीट करने को रखा है।

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मंत्री) : फिर सब्स्टीट्यूट तो है नहीं।

श्री पी० के० चौधरी : सरपंच, विलेज पंचायत कर दीजिये। आप सरपंच कर दीजिये।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : Moreover, there is no village propertynow. Either it vests in the Government or in the Panchayats.

श्री नाथूराम मिर्धा : ऐसा दूसरा अमेंडमेंट तो है नहीं।

श्री पी० के० चौधरी : If I am permitted by the Chair, I can move the amendment that a Sarpanch in that area should be made...

श्री नाथूराम मिर्धा : आप मूव कर दीजिये, देखा जायेगा।

श्री उपाध्यक्ष : Whether it will be acceptable to the Hon'ble Minister or not ?

श्री नाथूराम मिर्धा : इसमें तो ऐसा है साहब कि विलेज हैडमैन कोई 'डिफाइन्ड' न हो तो वह तो ऐसा नहीं है। विलेज हैडमैन गांव में होता भी है। कौन कहता है नहीं होता ? यह प्रोसीजर में है। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में भी है। इसलिए है ही नहीं, यह तो ठीक नहीं है; पर आप सरपंच करवाना चाहते हैं तो ऐसा प्रोपोज़ल कोई कॉन्क्रीट वे में आवे तो देखा जावेगा।

श्री पी० के० चौधरी : वह मैं मूव करता हूँ। तो इसे ऐसा कर दिया जावे :

"In case of village property, the Sarpanch of the Panchayats may exercise the powers conferred upon an owner...

यह हैडमैन की जगह पर सरपंच ऑफ दी पंचायत हम कर दें।

श्री नाथूराम मिर्धा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे ख्याल से सरपंच चुनी हुई बॉडी है और वह टाइम टू टाइम रिप्लेस भी हो सकता है और विलेज हैडमैन आज भी मौजूद है। जिस वक्त एबोलिश करेंगे उस वक्त देख लेंगे। यह इतना मेटीरियल नहीं है।

श्री पुरुषोतमलाल शर्मा (किशनगढ़): 'नम्बरदार' शब्द क्यों नहीं रख देते ?

श्री उपाध्यक्ष : आपने उत्तर दे दिया, मन्त्री महोदय ?

श्री नाथूराम मिर्धा : Yes, Sir.

श्री उपाध्यक्ष : Are you passing the amendment ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : इस विलेज हैडमैन का तो इस एक्ट में कहीं जिक्र नहीं है। यह आया कहां से ?

श्री पुरुषोतमलाल शर्मा : क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में है। यही कहा है मिनिस्टर साहब ने।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इसमें तो यह लिखा है, but there is nothing like that in the Rajasthan Land Revenue Bill. इसमें विलेज हैडमैन कहां है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : इसको नम्बरदार कर दीजिये, साहब। नम्बरदार का अमेन्डमेंट मान लेता हूँ।

श्री पी० के० चौधरी : I Make it 'Nambardar' instead of 'Sarpanch.'

श्री नाथूराम मिर्धा : मान लिया, यह मन्जूर है आपका।

श्री उपाध्यक्ष : नम्बरदार ?

श्री नाथूराम मिर्धा : बाकी है वह ठीक है।

श्री पुरुषोतमलाल शर्मा : किसी गांव में पांच नम्बरदार हुए, तो क्या होगा ?

श्री दामोदरलाल व्यास : वह तो गवर्नमेंट किसी को डेप्यूट कर देगी, वह काम करेगा। इसमें क्या बात है ?

श्री उपाध्यक्ष : What is the amendment ?

श्री पी० के० चौधरी : My new amendment is that the word 'village headman' be replaced by the word 'Numberdar'.

श्री दामोदरलाल व्यास : Let it be his amendment although it is not his. I don't object to it.

श्री उपाध्यक्ष : So the position is that the amendment should be accepted.

प्रश्न यह है कि श्री पी. के. चौधरी ने क्लॉज़ सात पर जो संशोधन प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार किया जावे प्रश्न यह कि.... पहला आपका अमेंडमेंट what abaut that amendment.

(विराम)

That is treated as negatived.

(विराम)

प्रश्न यह है कि दूसरा संशोधन जो श्री पी. के. चौधरी ने प्रस्तुत किया है वह स्वीकार किया जावे ?

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ सात संशोधित रूप से विधेयक का अंग बने ?

(स्वीकृत)

क्लॉज़ सात, संशोधित रूप से, विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

क्लॉज़ ८, श्री पी० के० चौधरी।

श्री पी. के. चौधरी (फुलेरा): In clause 8 sub-clause (2)add the words "and is given a hearing by the State Government" at the end.

उपाध्यक्ष महोदय, क्लॉज़ ८ (२) इस प्रकार का है :

"No order under sub section (1) shall be made unless the owner or other person has been given an opportunity of making a representation in writing against the proposed order, and in the end this is to be added..." अब इसमें मैंने एण्ड (End) में-यह बढ़ा दिया है : "and is given a hearing by the State Government."

उपाध्यक्ष महोदय, opportunity of making a representation is not enough. अब मान लीजिये, राइटिंग में भेज दिया ! अगर हियरिंग नहीं किया गया तो I doint'think that the opportunity is enough. If he is not given a hearing according to the Constitution, that is considered a sufficient oppo.tun.;y for hearing. तो इसलिये मैंने ऐसा एड किया है कि after he submits his

(श्री पी. के. चौधरी)

representation, he should be given an opportunity for hearing, and I think this is a very reasonable amendment and I hope, the Hon'ble Minister will be glad to accept it.

श्री दामोदरलाल व्यास : I will not oppose this amendment. But the words should be inserted 'a representation in writing and of being heard, Opportunity will apply to both.

श्री उपाध्यक्ष : you accept this amendment ?

श्री दामोदरलाल व्यास : But subject to this minor change.

श्री उपाध्यक्ष : What is the change ?

श्री दामोदरलाल व्यास : It will be like this 'other person has been given an opportunity of making a representation in writing and of being heard...'

श्री उपाध्यक्ष : What about your second amendment Shri Chaudhary ?

श्री पी. के. चौधरी : Yes, Sir, in clause 8 sub-clause (4) insert the word 'incurred' between the words 'expenses' and ,for.'

Th is sub-clause runs as: "When an order made under subs-ection (1) provides that the monument shall be maintained by the owner or other person competent to enter into an areement all reasonable expenses for the maintenance and upkeep of the monument shall be payable by the State Government."

My amendment is that "all the reasonable expenses incurred for the maintenance and upkeep of the monument shall be payable by the State Government."

Because, Sir, suppose I say that I have incurred two thousand Rupees for the maintenance and I can ask money from the Government and here it is nowhere stated that I cannot make such demand. It should be made. I mean the Government should make the advance only when the expenses or money is incurred. The owner should not be allowed to draw the money first. The State Government will say that you have incurred only three thousand but actually the expenditure was less. Then the complications will arise and the State Government will have to examine the question. To avoid all these things, and technical defects, I now suggest that the word expenses incurred should be there. It is, therefore, a very reasonable amendment and may be accepted.

श्री दामोदरलाल व्यास(राजस्वमन्त्री) : I will not accept this amendment. Because it will be very unjust. He should not demand the money after he has incurred. He will be maintaining

Page No.96

(श्री दामोदरलाल व्यास)

that on behalf of the Government. I don't accept the amendment, Sir.

श्री उपाध्यक्ष : Yes, Mr. Chaudhary, what about this ?

श्री पी० के० चौधरी : I don't presist, Sir.

श्री उपाध्यक्ष : It is treated as negatived, प्रश्न यह है कि....

श्री पी० के० चौधरी : On a Point of Order, Sir, there is no quorum. We cannot put it to vote Sir.

(घंटी)

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : On a point of order, Sir, as the clause 8 stand in sub-clause (4) this involves some expenditure from the consolidated funds of the State and if this involves some expenditure from the Consolidated funds of the State, I understand that this provision cannot be made without prior permission from the Governor's recommendation, because then it is a Financial or a Money Bill. Hence this cannot be taken up.

श्री उपाध्यक्ष : We have the permission ?

श्री दामोदरलाल व्यास : Yes, Sir, we have got the recommendation and the permission both.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : Another, Sir...

श्री उपाध्यक्ष : You ought to have enquired before raising the point of order.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : Not necessary.

श्री उपाध्यक्ष : Necessary. When a point of order is raised the Hon'ble Member is expected to know and to equip himself with all the facts.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : This is not necessary.

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ८ के अन्तर्गत जो संशोधन श्री पी० के० चौधरी ने प्रस्तुत किया है in sub—clause (2) "insert the word 'and being heard' between the words 'writing' and 'against". उसे स्वीकार किया जाये ?

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया ।

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ८, संशोधित रूप से विधेयक का अंग बने ।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ ८, संशोधित रूप से विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया ।

(विराम)

क्लॉज़ेज़ ६ से १२

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ेज़ ९,१०,११ और १२ विधेयक के अंग बनें

(स्वीकृत)

(श्री उपाध्यक्ष)

क्लॉज़ेज़ ६,१०,११ और १२ विधेयक में अंग रूप से जोड़े गये।

(विराम)

क्लॉज़ १३

डॉ० बहादुर सह (धौलपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसका जो उप-खण्ड (२) है उसको विलोपित करने के संबंध में यह संशोधन पेश किया है । इसमें ऐसा है कि कुछ कारणों के कारण जिनकी वजह से गवर्नमेंट उनका एक्वीज़ीशन नहीं कर सकेगी मेरा इस सम्बन्ध में यह निवेदन है कि हम पुरातत्व सम्बन्धी चीजों का तो संरक्षण करना चाहते हैं और आगे इस बिल में ऐसी व्यवस्था है कि अगर कोई धार्मिक या इस प्रकार की चीजें होंगी कि जिनके ऊपर गवर्नमेंट अपना अधिकार करेगी तो मेरा इस सम्बन्ध में यह निवेदन है कि मेरी समझ में नहीं आता कि हिन्दुस्तान में ऐसे धार्मिक स्थान हैं जो पुरातत्व की दृष्टि से ज्यादा महत्व रखते हैं; यदि हमने उनको अपने संरक्षण में नहीं लिया तो निश्चिततः मेरी मान्यता है कि वे समाप्त हो जायेंगे और डेस्ट्रॉय हो जायेंगे। इसलिए ही मैंने यह संशोधन रखा था कि इस खण्ड की आवश्यकता नहीं है। जितनी पुरातत्व की चीजें हैं और जिनसे हमारी संस्कृति का सम्बन्ध है और जो राष्ट्रीय महत्व की चीजें हैं उनको अपने अधिकार में लेना है। मैं समझता हूं कि कुछ चीजों को छोड़ देने की बात है और अपने अधिकार में नहीं लेने की बात है; इसी के लिए मैंने यह संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किया है कि उनको भी सरकार को अपने अधिकार में और संरक्षण में लेना चाहिए ।

श्री दामोदरलाल व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस संशोधन को मन्जूर करने के लिए तैयार नहीं हूं । मैं समझता हूं कि जो रीज़न्स माननीय सदस्य ने एडवान्स किये हैं इसको डिलीट करने के लिए वह बिल्कुल ठीक नहीं हैं क्योंकि जैसा प्रोवीज़न सब-क्लॉज़ (२) में रखा है वह ऐसा है : "(2) (a) if such monument or any part of it is periodically used for religious observances,..." क्योंकि एक्वीज़िशन के लिए, मोन्युमेन्ट्स को प्रिज़र्व करने के लिए गवर्नमेंट के ऊपर एडीशनल लाएबिलिटी आ जाती है। ऐसे मोन्युमेन्ट्स कि जो बिल्कुल डिफेक्ट होनेवाले हैं या जिनके बारे में यह खतरा है कि वे डेस्ट्रॉय हो जायेंगे उनको एक्वायर करने की बात यहां पर है । लेकिन ऐसे मोन्युमेन्ट्स कि जो ठीक हैं और जहां प्रोवीज़न रख दिया कि स्टेट गवर्नमेंट को उन्हें एक्वायर करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वे धार्मिक हैं तो उनको एक्वायर करने की जरूरत नहीं है। इसलिए यह एक्सेप्शन होना ही चाहिए। अगर यह नहीं रखा गया तो आम तौर पर जो उनके मालिक होंगे वे लोग मेन्टेन करना ही छोड़ देंगे, यह सोच कर कि जब गवर्नमेंट के अधिकार में चले गए तो इनको मेन्टेन भी गवर्नमेंट ही करेगी और उसकी ही रेस्पोन्सिबिलिटी है । तो ऐसी हालत में सरकार कैसे उनको एक्वायर कर ले ? ऐसा करने से उसके ऊपर लाएबिलिटी बहुत

(श्री दामोदरलाल व्यास)

हो जायेगी । इसलिए यह तो रहना ही नहीं चाहिए ।

डॉ० बहादुरसिंह : मुझे संशोधन वापिस लेने की आज्ञा दी जाये ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संशोधन डॉ० बहादुरसिंह ने प्रस्तुत किया है उसे वापिस लेने की इजाजत दी जाये ?

(स्वीकृत)

संशोधन वापिस लिए जाने की आज्ञा प्रदान की गई ।

डॉ० बहादुरसिंह : मैं अपना संशोधन प्रस्ताव वापिस लेता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि क्लॉज़ेज़ १३, १४, १५, १६ और १७ विधेयक के अंग बने ।

(स्वीकृत)

क्लॉजेज़ १३, १४, १५, १६ और १७ विधेयक में अंग रूप से जोड़े गये ।

(विराम)

क्लॉज़ १८

डॉ० बहादुरसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, इसमें मेरा एक संशोधन है ! इसमें मुझे यह कहना है कि इसमें जुर्माना ५,०००)रु. किये जाने का प्रावधान है और सजा के ३ महीने का प्रावधान है । यह एक चीज़ सोचने की थी इसलिए यह संशोधन रखा था कि ३ महीने के बजाय सजा १ वर्ष की कर दी जाये, क्योंकि जहां कोई व्यक्ति राष्ट्रीय चीजों को नुकसान पहुँचाने की हरकत करे तो उसको जुर्माना ५,०००) रुपयों का किया जाये और अगर वह नहीं तो सजा ३ महीने की । इसलिए यह उपयुक्त होगा कि सजा अधिक से अधिक रखें, नहीं तो फिर जुर्माने की रकम को कम कर दें । इसीलिए मैंने यह संशोधन रखा था ।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी (डीग) : उपाध्यक्ष महोदय, यह जो संशोधन अभी धौलपुर से आनेवाले माननीय सदस्य ने रखा है उसका मैं भी समर्थन करता हूं । जिस दिन मूल विधेयक पर बहस चल रही थी तब भी मैंने इस प्रश्न को उठाया था और अब भी मैं समझता हूं कि मेरा यह प्रश्न बिल्कुल सामयिक है । जो इस प्रकार की मूर्तियां और पुराने स्मारक हैं उनको ठीक तरह से प्रयोग में नहीं लाकर उनको खराब करनेवाले ऐसे लोग कम होंगे जो धन की दृष्टि से विशेष साधन-सम्पन्न हों क्योंकि जो धनवान् होंगे वे विशेष समझदार भी होंगे और मैं समझता हूं कि धर्मावलम्बी भी होते हैं तो वे मूर्तियों की दृष्टि से या पुराने स्मारकों की दृष्टि से कभी भी डिस्फिगर नहीं कर सकते या उनका दुरुपयोग नहीं कर सकते । ज्यादातर कुछ ऐसे ही लोग, जिनको कि हम मनचले कह सकते हैं, कम समझ के कह सकते हैं, आवारा कह सकते हैं, ऐसे ही लोग होते हैं जो ऐसी गड़बड़ियां करते हैं ।

अब आप ५,०००) रु. जुर्माने की की बात करें उनके लिए तो उपयुक्त नहीं होगा । वे लोग ५,०००) रु० नहीं देंगे,

Page No.99

(श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी)

वे यही पसन्द करेंगे कि उनको सजा दे दी जाय और सजा आपने बहुत कम रखी है। जितना आप डिटरेन्ट करना चाहते हैं, जो दंड-व्यवस्था आर्थिक रखी है उतना ही शारीरिक दंड हो। अभी जो आपने शारीरिक दंड रखा है वह आर्थिक दंड को देखते हुए बहुत कम है। मैं समझता हूं कि जो प्रभारी मंत्री महोदय हैं वे एक वकील की हैसियत से भी इस बात को उपयुक्त नहीं समझेंगे कि एक ओर जब इतना आर्थिक दंड रखा गया है तो शारीरिक दंड भी इतना कम न रखें। शारीरिक दंड भी इतना ही भयकारक, डिटरेंट बना दें जिससे कि जो मनचले लोग हैं, क्योंकि ये लोग ही अधिकतर इस तरह की बातें किया करते हैं, तोड़-फोड़ कर दिया करते हैं। कितनी ही मूर्तियां पुरानी हैं, कितने ही पुराने पत्थर हैं, पुराने स्मारक हैं उन पर यह तो आम तौर पर देखते हैं कि जाकर काले से लिख देना, खराब कर देना, तोड़ फोड़ कर देना आदि होता रहता है। इसलिए इस प्रकार की सजा यदि रख दी जाय कि जिससे वे लोग डरें कि हमको एक वर्ष की सजा हो जायगी तो वह इस प्रकार का काम नहीं करेंगे। तो माननीय मंत्री महोदय इसको स्वीकार कर लें तो मैं समझता हूं कि यह अधिक उपयुक्त होगा।

श्री दामोदरलाल व्यास : I would like to have a compromise in this matter, Sir, about this 6 months' period.

डॉ० बहादुरसिंह : ठीक है साहब छ: महीने रख लीजिए।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संशोधन मंत्री महोदय ने छ: महीने के सम्बन्ध में रखा है इसको स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ १८, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बनें।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ १८ संशोधित रूप में विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

श्री उपाध्यक्ष : Now Dr. Bahadur Singh appears to be the only common factor all through...

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री): He might withdraw himself.

श्री पी. के. चौधरी (फुलेरा) : The Hon'ble member has taken trouble to study and send an amendment, we would hear him.

डॉ० बहादुरसिंह : मैं क्लॉज १६ पर संशोधन प्रेस नहीं कर रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : Now this is solved.

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज १६ विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

(अ ।उपाध्यक्ष)

क्ल ; । १९ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

क्लॉज़ेज़ २० से २६

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉजेज़ २० से २६ विधेयक के अंग बनें।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ेज़ २० से २६ विधेयक में अंग रूप से जोड़े गये।

(विराम)

क्ल ज़ २७

डॉ० बहादुरसिंह : वही व्यवस्था यहां भी कर दी जाय। यहां पर भी छः महीने कर दिये जायं तो ज्यादा अच्छा होगा।

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री): हां साहब, छः महीने कर दीजिए।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि क्लॉज २७ में छः महीने से सम्बन्धित जो संशोधन प्रस्तुत किया गया है उसको स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज सं० २७, संशोधित रूप से विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

क्लॉज सं० २७ संशोधित रूप से, विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

क्लॉज़ २८

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ २८ विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

क्लॉज २८ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

क्लॉज़ २९

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ २९ विधेयक का अंग बने ?

(स्वीकृत)

क्लॉज २९ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

क्लॉज़ेज़ ३० से ४०

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ेज़ ३० से ४० तक विधेयक के अंग बनें।

(स्वीकृत)

(श्री उपाध्यक्ष)

क्लॉज़ेज़ ३० से ४० तक विधेयक में अंग रूप से जोड़े गये।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज १....

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : क्लॉज़ १ पर मेरा संशोधन है।

श्री उपाध्यक्ष : You have the amendment ? Do you move that ?

डॉ० बहादुरसिंह : यह तो बहुत महत्वपूर्ण है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, क्लॉज़ १ में मेरा संशोधन इस प्रकार है:

"In clause 1 sub-clause (3) substitute the words 'at once' for the words 'on such date as the State Government may, by notification in the Official Gazette, appoint.'"

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जब यह बिल सदन के सामने विचारार्थ था उस वक्त जो माननीय मन्त्री महोदय यहां बिल को पॉयलेट कर रहे थे उन्होंने भी बड़ा भारी महत्व दिखलाया था और सदन भी इस बात के लिए आतुर था कि इसको जल्दी से जल्दी पास किया जाय और जब हम इस बिल को पास कर लें और राज्यपाल महोदय इस पर अपनी स्वीकृति दे दें तो इस बिल को तत्काल लागू किया जाय सारे राजस्थान भर में। मेरा संशोधन भी इसी प्रकार का है। इस क्लॉज में नोटिफिकेशन जारी करने की बात कही गई है। जब सब कुछ कार्यवाही हो गई तो फिर आप कौनसा नोटिफिकेशन जारी करना चाहते हैं ? या तो इसकी मंशा इस प्रकार की है कि बिल को पास करने के बाद खामोशी के बस्ते में बांध दें। यह तो सरकार की और सदन की इच्छा रही है कि तत्काल इस बिल को लागू करना चाहिये और इसी दृष्टि से मैंने यह संशोधन रखा है। आशा है, माननीय मन्त्री महोदय इसको स्वीकार करेंगे।

श्री पी. के. चौधरी (फुलेरा) : I also want to speak in support of his amendment.

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री): Yous support will be replied by me.

श्री पी. के. चौधरी : I have to speak.

Mr. Dy. Speaker, in the State of Rajasthan the Central Act has been adopted. While moving this Bill in this House, in the statement of Objects and Reasons, it has been stated, "till lately, there were two Central Acts on the subject; namely that of 1951 declaring certain monuments and sites to be of national importance and that of 1904 regulating the preservation, maintenance and protection of such monuments and sites."

In August last the Parliament has repealed the Act of 1951 and substituted the Act of 1904 by another Act, namely the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 1958, so far as it relates to monuments, archaeological sites and antiquities declared to be of national importance.

Page No.102

(श्री पी. के. चौधरी)

When the Act has been repealed and the urgency is felt more to protect these monuments and in view of this and urgency the Hon'ble Member while moving the Bill placed it before the House, I feel it should come into force atonce. It should not be as and when the State Government desires. Moreover, now it is in vacuum and the Hon'ble Member's amendment should be accepted.

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, इस अमेंडमेंट का जहां तक ताल्लुक है माननीय सदस्य मेरे ख्याल से गलत समझ रहे हैं। आपने एक्ट में रूल्स मेकिंग पॉवर रखी है तो बिना रूल बनाए तो एक्ट को लागू किया नहीं जा सकता है। जो शिड्यूल को रेफर किया गया है और जिस वेक्यूम की बात कही गई है तो इसमें किसी प्रकार का वेक्यूम नहीं है और इसलिए यह अमेंडमेंट तो किसी हालत में भी मंजूर करने लायक नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : Yes, Dr. Bahadur Singh

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : मैं प्रेस नहीं कर रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि डॉ० बहादुरसिंह को संशोधन प्रस्ताव वापिस लेने की इजाजत दी जाय ?

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

डॉ० बहादुरसिंह : मैं अपना प्रस्ताव वापिस लेता हूँ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि क्लॉज़ १ विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ १ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

श्री दामोदरलाल व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि राजस्थान मोन्युमेन्ट्स आर्क्योलोजिकल साइट्स एन्ड एन्टीक्विटीज़ बिल, १९६० पारित किया जाय।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : On a point of order, Sir. This motion cannot be moved according to our Rules of Procedure.

श्री सोहनलाल भटनागर (सलूम्बर): But the amendments are not material.

श्री पी० के० चौधरी : Wait a bit. You hear the rule. The amendment is not clear.

श्री दामोदरलाल व्यास : Only your amendment was accepted, and you are the first to oppose it.

श्री पी० के० चौधरी : Rule 85. "Passing of Bills.— (2) Where a Bill has undergoneau amendments the motion that the Bill as amended be passed shall not be moved on the same day on which the consideration of the Bill is concluded, unless the

(श्री पी. के. चौधरी)

Speaker allows the motion to be made.''

श्री उपाध्यक्ष : You are referring Rule 85 ?

श्री पी० के० चौधरी : 85, sub— Rule (2). The Bill has undergone material amendments. The penalty has been raised from 3 months to 6 months. We cannot say that it is not a material change. Because of the srrious amendment of this nature, the motion cannot be made for passing the Bill today. I would request the Chair under this article that the motion for passing the Bill should be taken on the next day.

श्री उपाध्यक्ष : Unless the Speaker allows.

श्री पी० के० चौधरी : But it will be used liberally so that the members get sufficient time to ponder over it as to what are the consequences of increasing the penalty from 3 months to 6 months...

श्री उपाध्यक्ष : I have Known the sense of the House. The Members are very anxious for the passing of the Bill. There has been an amendment to this effect. Therefore, I am excercising my discretion to allow it.

श्री पी० के० चौधरी : But the Hon'ble Minister has already said that he would take some time.

श्री उपाध्यक्ष : I am correct to exercire my discretion.

श्री पी० के० चौधरी : No, Sir, when the third reading is raised, the members have the right to speak on the third reading of the Bill.

श्री उपाध्यक्ष : You may speak, but I cannot defer it for tomorrow.

श्री दामोदरलाल व्यास : I have moved the motion for passing it.

श्री लक्ष्मीचन्द (सांचोर) : मोशन आपने मूव कर दिया है ?

उपाध्यक्ष महोदय, यह स्मारक, पुरातत्व सम्बन्धी विधेयक हमारे सामने आज प्रस्तुत है, परन्तु इस बिल को पेश करने के अन्दर, इस बिल के अन्दर कई खामियां रही हैं; जिन पर विचार नहीं किया गया है, उन पर विचार करने की आवश्यकता है।

उपाध्यक्ष महोदय, क्लॉज़ ११ के अन्दर हम संचालक को ऐसे पॉवर्स देना चाह रहे हैं कि बिना पार्टी से कहे कोई भी आज्ञा जारी कर सकते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक पार्टी का सवाल है, किसी भी पार्टी के खिलाफ किसी किस्म का डिसीज़न लेने से पहले उसको सुनने का अधिकार देना चाहिए कानून के अन्तर्गत। हम संचालक को ऐसे अधिकार दे देते हैं और उस अधिकार का मनमाना दुरुपयोग होने का अन्देशा रहता है। इसलिए इस विधान सभा को इस किस्म के अधिकार देने चाहिए जिससे उन अधिकारों का उपयोग करते वक्त उनका दुरुपयोग न हो। इसके अन्दर ऐसा रखा है।

(श्री लक्ष्मीचन्द)

"क्योंकि शर्त है कि पहले किसी मामले में कोई अवसर नहीं दिया जायगा जिसमें कि संचालक को सन्तोष हो जाय।"

जिस समय संचालक स्वयं संतुष्ट हो जाय तो पार्टी को बगैर सुने ही वह कर सकता है। ऐसे भी मामले हो जाते हैं कि जब गवर्नमेंट के पास इन्फार्मेशन आती है तो किसी कलेक्टर को, किसी अधिकारी को....

श्री दामोदरलाल व्यास : इस पर अमेन्डमेंट डिस्कस हुआ है उसका आपको ध्यान नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : संशोधन हुआ है उसका आपको ध्यान है?

श्री लक्ष्मीचन्द : ११ के अन्दर कोई संशोधन नहीं हुआ है।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि अमूमन हम देखते हैं कि गवर्नमेंट के पास कोई इन्फॉर्मेशन आई तो वे कलेक्टर को भेज देते हैं और कलेक्टर तहसीलदार को भेज देता है। वे पार्टी को इन्फॉर्म नहीं करते हैं, इसलिए असली घटना गवर्नमेंट के सामने नहीं आती है और गवर्नमेंट ऑर्डर पास कर देती है। संचालक को इस प्रकार के अधिकार दे देंगे तो हो सकता है कि उन अधिकारों का दुरुपयोग किया जाय।

दूसरा, उपाध्यक्ष महोदय, इसके अन्दर हमने अपने अधिकारी के लिए यह रखा है कि अगर उससे इस कानून के अन्दर किसी किस्म की अवहेलना हो गई है तो उसको ऐसा कह कर निकाल सकते हैं कि उसने गुड फेथ में काम किया है। सेक्शन ३८ में ऐसा प्रोवीज़न रखा है कि उस अधिकारी के खिलाफ किसी किस्म की कार्यवाही नहीं कर सकेंगे। तो एक तरफ, उपाध्यक्ष महोदय, हम कानून बनाने जा रहे हैं और अगर उसी कानून का पालन वह अधिकारी नहीं करता है तो उस अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही करनी चाहिए। उसको सरकार संरक्षित क्यों करना चाहती है, यह कह कर कि उसने गुड फेथ में काम किया है, इसलिए कोई एक्शन नहीं लिया जा सकता है? हर काम को गुड फेथ में बताया जा सकता है, हर काम को ऐसा बताया जा सकता है। गवर्नमेंट चाहती है कि गवर्नमेंट के कृपा पात्र हों, उनके अपने आदमी हों तो यह कह कर निकाल सकती है कि ऐसे काम गुड फेथ में किये हैं। कानून के अन्दर उनको संरक्षण देकर किसी किस्म से पीनेलाइज़ नहीं किया जाय। जबकि एक तरफ कोई व्यक्ति इस कानून की अवहेलना करता है तो वह दण्ड का अधिकारी होता है और दूसरी तरफ जो कानून का दुरुपयोग करता है तो यह कहकर टालना चाहती है कि गुड फेथ में काम किया है; इसलिए उस अधिकारी के खिलाफ क्यों एक्शन लेना चाहिए?

दूसरा, इस कानून के अन्दर उस मामले की जांच करने के लिए जिस व्यक्ति की प्रोपर्टी ली गई है वह स्वयं व्यक्ति या उसका आदमी रखा गया है, दूसरा गवर्नमेंट की तरफ से रखा जायगा। जहां वह आदमी मनोनीत नहीं करेगा, ऐसी हालत में कलेक्टर मनोनीत कर देगा। इसके लिए कोई अवधि रखना चाहिए, पार्टी को इन्फोर्म करना चाहिए कि इसका जो क्लेम पेश करना

(श्री लक्ष्मीचन्द)

चाहते हो उसके लिए यह तिथि रखी है, कोई कम्पेन्सेशन पाना चाहता हो तो इतने दिनों के अन्दर अपना आदमी मुकर्रर कर दे और यदि उस समय के अन्दर वह आदमी मुकर्रर नहीं करता है तो उसको इन्फोर्मेशन मिलती है, उसके बाद भी मुकर्रर नहीं करता है तो हो सकता है कि गवर्नमेन्ट कलेक्टर को इन्फोर्म करे कि वह किसी को मनोनीत करे। तो वह दूसरा आदमी और जो गवर्नमेंट मुकर्रर करे दोनों की कमेटी बैठा कर निर्णय लिया जाना चाहिए। मगर इस कानून के अन्दर नहीं लिखा है कि इतने समय के अन्दर आदमी मुकर्रर करेंगे। उसमें समय नहीं है। कह दिया गया है कि क्लेम पेश कर दो। अपने आदमी का नाम मनोनीत करना चाहिए। इस प्रकार अलग अलग हरएक क्लेम के लिए अलग अलग व्यक्ति हो जायेंगे। इस तरह से इस कानून के अन्दर खामियां रह गई हैं। इसलिए सदन को पुनः विचार करना चाहिए।

कई मामलों के अन्दर, मूर्तियों का अगर जैसा प्रश्न लेकर कई चीजें ऐसी पैदा हो जाती हैं। इसलिए, उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों से यह प्रार्थना करूंगा कि इस विधेयक को पारित नहीं किया जाय।

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक इस बिल के बारे का सवाल है, मेरे ख्याल से, इस पर काफी बहस कर ली है और जो एतराजात, इसमें खामियां, माननीय सदस्य ने बताई हैं वे दरअसल में खामियां नहीं हैं। वे इस बात को भूल रहे हैं कि एक्ट को एन्फोर्स करने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए बहुत सारे रूल्स बनाने पड़ेंगे और रूल्स के अन्दर जरूरत का हर एक जो प्रोविज़न है वह उसके अन्दर रखा जायगा। इसलिए इसमें रूल मेकिंग पॉवर्स गवर्नमेंट को दी गई हैं। जैसा कि वे समझते हैं कि हरएक बात बिल के अन्दर रखी जाय, यह किसी भी कानून में नहीं रहता है। गवर्नमेंट अपनी सहूलियत को दृष्टि में रखते हुए, हर आदमी के साथ इन्साफ हो, उसको ध्यान में रखते हुए रूल्स बनाती है। उनमें एतराजात के बारे में रिप्रेजेन्टेशन करने का सब दिया जाता है। मैं समझता हूं कि जो एतराजात आपने किये हैं वे ठीक नहीं हैं। इसलिए इसको पारित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान मोन्युमेंन्ट्स, आर्क्योलोजिकल साइट्स एण्ड एन्टीक्विटीज़ बिल, १९६० को पारित किया जाय।

(स्वीकृत)

विधेयक पारित हुआ।

श्री पी०के० चौधरी (फुलेरा)): अब छुट्टी हो जानी चाहिए। We have so many things to speak on it, but at the request of the Hon'ble Minsiter...

श्री उपाध्यक्ष : On the Bill coming ?

श्री दामोदरलाल व्यास(राजस्व मंत्री): uou want time for the Bill coming or what? मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है, अगर

(श्री दामोदरलाल व्यास)

माननीय सदस्य नहीं बैठना चाहते हैं तो कल ले लिया जाय ।

श्री पी० के० चौधरी : We have passed so many bills to-day.

श्री उपाध्यक्ष : Inspite of the resistence made by the Hon'ble member.

(विराम)

So we adjourn to meet to-morrow at 11 A. M.

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही ४. ०७ बजे म० प० मंगलवार, दिनांक १३ सितम्बर, १९६० के प्रात: ११ बजे तक के लिए स्थगित हुई)

संक्षिप्त-विवरण

(सोमवार, १२ सितम्बर, १९६०)

तारांकित प्रश्नों के शीर्षक	स्कम्भ
प्राध्यापकों की नियुक्तियों में प्रशिक्षितों को प्राथमिकता ।	३४७४
डूंगरपुर से पीट तक सड़क निर्माण ।	
जस्त, नार्निश तथा अलसी के तेल की सार्वजनिक निर्माण विभाग को सप्लाई ।	
जोधपुर नगरपालिका क्षेत्र के गांव राजबाग में अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को पीने के पानी की व्यवस्था ।	
रामनिवास बाग में लगे सर्कस में दिये गये साइकल स्टेन्ड के ठेके में अनियमितता ।	
तृतीय श्रेणी में उत्तीर्ण विद्यार्थियों को एवं अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों को प्रवेश देने के बाबत सरकारी नीति ।	
जालोर जिले के पसायतेदारान को मुआवजे की अदायगी ।	
लालसोट से दूदू राज-मार्ग का अपूर्ण निर्माण ।	

	स्कम्भ
प्रान्त की बन्द पड़ी हुई सूती मिलों को चालू करवाना ।	
पाली व जोधपुर जिले में शिकमी काश्तकारों को खातेदारी हक ।	
तृतीय पंचवर्षीय योजना में शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युतिकरण ।	
पाली जिले के जागीरदारों को भिन्न भिन्न आधारों पर मुआवजे का भुगतान ।	
बीकानेर नगर में अपूर्ण पड़े हुये निर्माण कार्य ।	
बम्बई निवासी श्री बृजलाल बासन्तीलालजी को नाथद्वारा टेम्पल बोर्ड की सदस्यता से पद-च्युत करना ।	
द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत उदयपुर जिले की तहसीलों में आनेवाली सड़कों का सर्वेक्षण ।	
पलाना खान विकास योजना का क्रियान्वयन ।	
वर्तमान पाली कलेक्टर द्वारा	

आयोजित बैठकों से जनता को असुविधा ।

भरतपुर में निर्मित होने वाले बिजली घर से भरतपुर खास के अतिरिक्त स्थानों को बिजली की उपलब्धि ।

जिला अजमेर के एस० डी० ओ० के कार्यालय में चारागाह की जमीन मुकर्रर किये जाने अथवा उसमें वृद्धि करने हेतु आये प्रार्थना पत्रों पर कार्यवाही ।

जोधपुर डिविजन में समाज-कल्याण विभाग के तहत धन राशि का लैप्स हो जाना ।

गर्ल्स हाई स्कूल, किशनगढ़ में नवीन कमरे का शीघ्र निर्माण करवाना ।

गलियाकोट, जिला डूंगरपुर का विकास ।

तहसील कोटड़ा एवं गोगुन्दा के भूमिहीन किसानों को प्रदत्त भूमि ।

डीवाई. एस० पी० श्री मिश्रा व एस० आई० श्री भीखाराम के विरुद्ध हुई रिश्वत की शिकायतों की जांच ।

मौजा मेरणीया खेड़ा, तहसील रायपुर के काश्तकारों की जमीन रद्दोबदल कर खाते में नहीं लिया जाना ।

तृतीय पंचवर्षीय योजना में जिला बीकानेर की सड़क योजना ।

जोधपुर स्थित जसवन्तसराय में खाली पड़ी जमीन के अतिक्रमण करनेवालों के विरुद्ध कार्यवाही ।

सिरोही में मनादार जागीर को पुनः ग्रहण नहीं होना ।

भाखरा केनाल एरिया में खेतों के रास्ते किसानों द्वारा अपनी भूमि में से छोड़े जाने के बाबत ।

बायतू रेलवे स्टेशन से कोलू गिंडा (पुलिस स्टेशन) परेऊ होती हुई पाटोदी ग्राम तक सड़क का निर्माण ।

ग्राम बागावास, तहसील सोजत, जिला पाली के कृषकों से सेटलमेंट विभाग द्वारा लगान की वसूली ।

Page No.109

स्कम्भ

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति के व्यक्तियों को कानूनी सहायता।

बांसवाड़ा जिले में कार्य करने वाले मैट्रिक की ग्रेड वाले अध्यापकों का फिक्सेशन।

अतारांकित प्रश्नोत्तर ३५५१

१. जयपुर के आस पास के बीड़ों की भूमि का खुद काश्त हेतु अलॉटमेंट।

२. देवस्थान विभाग की ओर से १९५९-६० में सहायतार्थ दी गई धन राशि।

३. लूणकरणसर से विभिन्न मार्गों के लिये सड़क निर्माण सम्बन्धी जनता की मांग।

स्थगन-प्रस्ताव ३५५६

श्री भीमसेन, सदस्य, विधान सभा ने चूरू व बीकानेर जिलों तथा श्री किशनाराम, सदस्य, विधान सभा ने चूरू और सीकर जिलों में टिड्डी दल से हुई हानि एवं श्री मुरलीधर व्यास, सदस्य, विधान सभा, ने घग्घर नदी में बाढ़ आने व उससे हुई हानि से सम्बन्धित स्थगन-प्रस्तावों की सूचनाएं दी थी जिन्हें सदन में प्रस्तुत करने की अनुमति अध्यक्ष महोदय द्वारा नहीं दी गई।

श्री दामोदरलाल व्यास, राजस्व मन्त्री, इन पर एक वक्तव्य देंगे।

अनुपस्थिति के लिये अनुमति

श्री मूलचन्द डागा, सदस्य, विधान सभा। को दिनांक २८ अगस्त, १९६० से सत्र के अन्त तक विधान सभा की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति प्रदान की गई।

पुरःस्थापित किया गया विधेयक ३५६१

राजस्थान बिक्री कर (तृतीय संशोधन) विधेयक, १९६०, सभा की आज्ञा प्राप्त करने के पश्चात्, पुरःस्थापित किया गया।

राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम, १९५९ के अन्तर्गत बनाये गये नियमों में संशोधन ३५६२

राजस्थान पंचायत समिति तथा

स्कम्भ

स्कम्भ

जिला परिषद् अधिनियम, १९५९ के अन्तर्गत बनाये गए जिन नियमों पर दिनांक १८ सितम्बर, १९५९ को श्री पी. के. चौधरी व श्री भीमसेन, सदस्य, विधान सभा, द्वारा संशोधन प्रस्तुत किये गये थे, आज उन पर विचार किया गया। इनके अतिरिक्त, रावराजा श्री सरदारसिंह ने भी अपने संशोधन प्रस्तुत किये।

इन सब पर वाद-विवाद के पश्चात् श्री भीमसेन द्वारा प्रस्तुत किये गये निम्नांकित संशोधनों को सदन द्वारा स्वीकार किया गया:—

"1. This House resolves that the following amendment be made in the Rajasthan Panchayat Samitis (Election of Members of Standing Committee) Rules, 1959, laid on the Table on the 1st December, 1959, viz:—

"in rule 6, sub-rule (2) delete parts (a) and (b)."

"2. This House resolves that the following amendment be made in the Rajasthan Panchayat Samitis (Election of Chairman of Standing Committee) Rules, 1959, laid on the Table on the 1st December, 1959, namely:—

'in rule 4 sub-rule (3), after the word 'residence' add the following:—

'or by handing over a member present at the Panchayat Samiti Office."

प्रवर समिति को सुपुर्द किया गया विधेयक ३६००

राजस्थान न्यायालय शुल्क तथा वाद-मूल्य निर्धारण विधेयक, १९६०

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता, स्वास्थ्य मंत्री के इस प्रस्ताव पर कि उक्त विधेयक एक प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय जो अपना प्रतिवेदन आगामी सत्र के प्रथम सप्ताह में प्रस्तुत करे, श्री दयाकृष्ण विजय ने यह संशोधन

प्रस्ताव रखा कि विधेयक को जनमत जानने हेतु प्रसारित किया जाय।

इस पर किए गए वाद-विवाद में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया:—

१. श्री मुरलीधर व्यास
२. श्री लादूराम सुलाखियां
३. श्री महेन्द्रसिंह पंवार
४. श्री पुरूषोत्तमलाल शर्मा
५. श्री सम्पतराज जैन

स्वास्थ्य मन्त्री के उत्तर के पश्चात् श्री दयाकृष्ण विजय का संशोधन अस्वीकार किया जाकर विधेयक एक प्रवर समिति के सुपुर्द किया गया जिसके सदस्यों के नाम इस प्रकार हैं:—

१. श्री रामचन्द्र चौधरी, प्रभारी मन्त्री
२. श्री अमृतलाल पायक
३. श्री बी० एन० जोशी
४. श्री तेजमल बापना
५. श्री पुरूषोत्तमलाल शर्मा
६. श्री सोहनलाल भटनागर
७. श्री छोटूसिंह
८. श्री आबिदअली
९. श्री भीमसेन
१०. श्री लक्ष्मण हीरात
११. श्री नारायणलाल
१२. श्री मूलचन्द डागा
१३. श्री सुगनचन्द
१४. श्री अर्जुनदास
१५. श्री तनसिंह
१६. श्री महेन्द्रसिंह पंवार
१७. श्री लक्ष्मीचन्द
१८. श्री जगदीशप्रसाद माथुर
१९. श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल
२०. श्री मोहरसिंह
२१. श्री शंकरलाल
२२. श्रीमती प्रभा मिश्रा
२३. श्री नाथूराम (११६)
२४. श्री सूरजमल

राजस्थान जमींदारी तथा बिस्वेदारी उत्सादन (संशोधन) विधेयक, १९६०

श्री दामोदरलाल व्यास, राजस्व मन्त्री ने यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित

Page No.112

उक्त विधेयक को विचारार्थ लिया जाय, जो सदन द्वारा स्वीकार किया गया। तत्पश्चात् उन्होंने यह प्रस्ताव किया कि विधेयक को पारित् भी किया जाय। इस पर हुए वाद-विवाद में निम्नांकित सदस्यों ने भाग लिया:–

१. श्री फतहसिंह

२. श्री पी० के० चौधरी

३. श्री मुरलीधर व्यास

४. डॉ० बहादुरसिंह

५. श्री पुरूषोत्तमलाल शर्मा

६. श्री मोहरसिंह

७. श्री सोहनलाल भटनागर

८. श्री भीमसेन

राजस्व मन्त्री के उत्तर के पश्चात् विधेयक सदन द्वारा पारित किया गया।

राजस्थान स्मारक, पुरातत्व सम्बन्धी स्थान तथा प्राचीन वस्तु विधेयक, १९६०

उक्त विधेयक पर आज पुनः खण्डशः विचार किया गया।

खण्ड ७, ८, १८ और २७:– संशोधित रूप में स्वीकार किये गए।

खण्ड ५, ६, ९ से १७, १९ से २६ व २८ से ४०:— बिना किसी संशोधन के स्वीकार किए गए।

खण्ड १ आदि: स्वीकार किये गये। तत्पश्चात् विधेयक सदन द्वारा पारित भी किया गया।

सदन की बैठक ठीक ४ बजे मंगलवार, दिनांक १३ सितम्बर, १९६० के प्रातः ११ बजे तक के लिये स्थगित की गई।

मंगलवार, दिनांक १३ सितम्बर, १९६० की कार्य-सूची

१. पुरः स्थापित होनेवाले विधेयक :

(क) राजस्थान भूमि सुधार एवं जागीर अधिग्रहण (तेरहवां संशोधन) विधेयक, १९६०.

(ख) जयपुर नगरापलिका प्रशासन (अस्थायी प्रावधान) विधेयक, १९६०.

२. विचारार्थ लिये जाने वाले विधेयक :

(क) राजस्थान कृषि उपज विपणि विधे-

स्कम्भ

यक, १६६०

(प्रवर समिति को)

(ख) राजस्थान लैण्ड रेवेन्यु एवं पब्लिक डिमाण्ड्स रिकवरी (संशोधन) विधेयक, १६६० (खण्डशः विचार-विमर्श एवं पारित)

स्कम्भ

(ग) राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड (संशोधन) विधेयक, १६६० (विचार-विमर्श एवं पारित)

———

परिशिष्ट १

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ३१३ का उत्तर देखिए)

साइकिल स्टेन्ड को ठेके लेने के लिये अर्नेस्ट मनी जमा कराने वाले ठेकेदारान की सूची

क्र० सं०	नाम	द्रव्य
१.	श्री करणसिंह	२५ रु०
२.	श्री हुकमचन्द	२५ रु०
३.	श्री बल्लयास अहमद	२५ रु०
४.	श्री प्रभु पुत्र श्री कन्हैयालाल	२५ रु०
५.	श्री जमीर पुत्र श्री नजीर	२५ रु०
६.	श्री शिवनारायण	२५ रु०
७.	श्री मुन्ना पुत्र श्री मुनोर	२५ रु०
८.	श्री अब्दुल हमीद व. अमीरबक्स	२५ रु०
९.	श्री वासुदेव पुत्र श्री पोखरदास	२५ रु०
१०.	श्री सत्यनारायण पुत्र श्री दुर्गालाल	२५ रु०
११.	ठे. श्री मानप्रकाश महताबखां	२५ रु०

———

परिशिष्ट २

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या १२१ का उत्तर देखिये)

Works which to be completed in the current Financial Year but actually completed or not.

Sl. No. 1	Name of work 2	Cost of work. 3	Remarks. 4
1.	Construction of two S. I. quarters in Police lines, Bikaner	16,610/-	work completed
2.	Construction of two class rooms for tutorials in Maharani Sudershan College for women at Bikaner.	10,515/-	—do—
3.	Additions & alterations in Bungalows No. 4,5, 6 & 7 at Bikaner.	32,530/-	—do—
4.	Fraggory Masonry work & other A & A in the existing Hostel of M. S. College Bikaner.	22,497/-	—do—
5.	Construction of 01 constable quarters in Police lines Bikaner.	28,704/-	—do—
6.	Construction of two 'E' type residential quarters for Lecturers of M. S. College, Bikaner.	25,373/-	—do—

परिशिष्ट

1	2	3	4
7.	Construction of a new Medical College & Hostel building (work upto plinth level)	1,92,894/-	Work is expected to be completed within the current financial year.
8.	Construction of stable for 13 horses in Rajasthan Veternary College, Bikaner.	16,920/-	Work completed
9.	Construction of water reservior for 25,000 gallons capacity in Rajasthan Veterinary college, Bikaner.	8,120/-	—do—
10.	Construction of Dairy Barn pen type to accommodate 50 animals in Rajasthan Veterinary college, Bikaner.	9,895/-	—do—
11.	Laying pen 25' x23' & run in Rajasthan Veterinary College, Bikaner.	6,755/-	—do—
12.	Construction of wallowing tank for Buffalows in Rajasthan Veterinary College, Bikaner.	6,131/-	—do—
13.	Construction of three pens for bulls & Bullock & one stable for Horses in Rajasthan Veternary College, Bikaner.	8,536/-	—do—
14.	Construction of grain & fodder storage rooms (Two) in Rajasthan Veterinary College, Bikaner.	7,000/-	—do—

परिशिष्ट

1	2	3	4
15.	Construction of compound wall of the area attached to the Rajasthan Veterinary College, Bikaner	20,227/-	Work Completed
16.,	Construction of compound wall around the Dairy Farm in Rajasthan Veterinary College, Bikaner.	32,839/-	—do—
17.	Additions & Alterations in Sadul Public School, Bikaner.	12,423/-	—do—
18.	Construction of ten shed garrage for pool- vehicles in Bikaner.	5,356/-	—do—
19.	Construction of artificial in-samination covering hot with platform in Rajasthan Veterniary College, Bikaner.	11,294/-	Work is expected to be completed within the current financial year.
20.	Construction of Brooder Houses as per T.G.M. plan in Rajasthan Veterniary College, Bikaner.	5,392/-	—do—
21.	Construction of a water tuff & platform for washing animals in Rajasthan Veterinary College, Bikaner.	401/-	—do—
22.	Construction of three sheds for camels in Rajasthan College, Bikaner.	5,687/-	—do—

परिशिष्ट

1	2	3	4
23.	Completion of stables for 13 horses in Rajasthan Veterinary College, Bikaner.	15,551/-	Work completed.
24.	Construction of grain & fodder storage rooms (seven) in Rajasthan Veterinary College, Bikaner.	26,124/-	—do—
25.	Completion of dairy Barn pen type to accommodate 50 animals in Rajasthan Veterinary College, Bikaner.	29,660/-	As the site for the work was settled late by the Animal Husbandry Deptt. it will be completed by the end of June, 1960.
26.	Construction of one room in the Office Building of Deputy Commissioner Excise & Taxation, Bikaner.	3,983/-	Work completed.
27.	Addition & Alteration in Treasury Building Bikaner.	5,802/-	Work is expected to be completed by the end of current year.
28.	Construction of chowkidar quarter & water hut in the Building occpied by the Director of Education, Bikaner.	5,600/-	Work completed.
29.	Construction of a wall in City High School, Bikaner.	4,333/-	—do—

List of works required to be completed in Bikaner Distt. during the financial year 1959-60

Sl. No. 1	Name of work. 2	Estimated cost. 3	Whether completed or not, If not why. 4
1	Construction of Bikaner-Lunkaransar road mile :—		
	(a) Mile 9 to 15	2,28,068	Completed.
	(b) „ 15 to 24	1,89,138	Contract with-drawn and fresh contract allotted.
	(c) „ 24 to 33	2,10,222	Expected to be completed during the current year.
	(d) „ 33 to 36	2,17,052	Completed.
2.	Laying 3/4" thick bitumenous carpet on Bikaner-Lunkaransar road mile 4 to 10	21,545	Completed.
3.	Construction of Tehsil seed store at Lunkaransar.	11,874	Stipulated to be completed this year but the contractor is delaying works inspite of notice suitable action is being taken against him.
4.	Construction of Dak Bungalow at Lunkaransar.	19,121	

परिशिष्ट

1	2	3	4
5.	Construction of Office Building for Block Development Office at Kolayat.	18,862	Completed.
6.	Construction of quarter for B. D. O. at Kolayat.	5,707	—do—
7.	Construction of Extension Officer's quarters at Kolayat.	34,005	—do—
8.	Construction of Class IV Servants quarters at Kolayat.	4,737	—do—
9.	Construction cf Sheep Breeding Farm at Jodbeed Bikaner.	54,281	—do—
10.	Construction of Bikaner-Bap gravelled road :—		
	(a) From Kolayat Kotri to end 30/2	14,828	Expected to be completed in the current year.
	(b) From mile 28/0 to 30/6	14,828	
	(c) From mile 30/6 to 32/6	14,828	Completed.
	(d) From mile 40/6 to 44/6	18,224	Expected to be completed during the current financial year.

परिशिष्ट

1	2	3	4
11.	Construction of Sheep Breeding Research Station JodBeed, Bikaner.	48,193	Completed.
12.	Construction of I. C. A. R. Shearing Shed at :—		
	1. Kolayat	7,659/-	Work completed upto sanctioned cost of Rs. 7,000/-
	2. Ridmalsar.	8,152	
	3. Nokha.	7,112	
	4. Mahajan.	8,152	Contract with-drawn due to non settlement of site for construction.
	5. Lunkaransar.	8,152	

List of works required to be completed in Churu District during the Current Financial Year 1959-60

Sl. No.	Name of work.	Estimate.	Whether completed or not. If not. why.
1	2	3	4
1.	Construction of Tehsil seed stores at Sadulpur.	Rs. 13,427/-	Work completed.
2.	Construction of Tehsil seed stores at Sardarshahar.	Rs. 13,667/-	The work is expected to be completed during the current financial year.
3.	Construction of an approach road from Rly. station Sardarshahar to Town.	Rs. 31,332/-	—do—
4.	Construction of B.D.O. quarter at Rajgarh.	Rs. 6,769/-	The work has been completed.
5.	Construction of 3 servants quarters at Rajgarh.	Rs. 6,131/-	—do—
6.	Construction of Information Centre at N.E.S. Block at Sardarshahar.	Rs. 5,027/-	Work will be completed during the current year.

परिशिष्ट

1	2	3	4
7.	Construction of additional quarters for 9 Extension Officers quarter at Sardarshahar.	Rs. 28,252/-	Work will completed during the current year.
8.	Construction of B. Type Bungalow for Collector at Churu.	Rs. 42,370/-	Work completed.
9.	Construction of C Type Bungalow for Superintendent Police at Churu.	Rs. 38,920/-	—do—
10.	Construction of Kitchen and Urinals at Lohia College, Churu.	Rs. 9,674/-	—do—
11.	Construction of seed Multiplication Farm at Churu.	Rs. 35,908/-	—do—
12.	Construction of 12 Extension Officers quarters at Rajgarh.	Rs. 40,364/-	—do—
13.	Construction of office building for B.D.O. at Rajgarh.	Rs. 26,551/-	—do—

1	2	3	4
14.	Construction of servants quarter and compound wall in Dak Bungalow at Churu.	Rs. 9,099/-	Work completed.
15.	Construction of Taranagar-Sahwa Road miles 6 to 12.	Rs. 75,000/-	In addition to other difficulties there has been delay on the part of the contractor against whom peualty has been imposed.

परिशिष्ट ३

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ३२६ का उत्तर देखिए)

नवम्बर, १६५६ से लेकर जनवरी, '६० तक पाली जिलाधीश (वर्तमान) द्वारा निम्नलिखित बैठकों का आयोजन किया गया।

कुल बैठकें:--८

१. दिनांक १७-११-५६

जल उपभोग समिति की बैठक में उपस्थित सरकारी अधिकारीगण:

१. श्री आनन्दमोहनलाल, आई. ए. एस. समाहर्ता, पाली।

२. श्री एस. के. गुप्ता, अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई, जवाई नहर खण्ड एरिनपुरा रोड

३. सहायक अभियन्ता, सिंचाई, पाली।

४. सहायक अभियन्ता, सिंचाई, जवाई।

५. गोपालसिंह, सचिव, जिला परिषद्, पाली व समाहर्ता पाली के सहायक (पंचायत व विकास के मामलों में)

२. दिनांक ३-१२-१६५६ से ४-१२-५६

जिला स्तर अधिकारियों की बैठक में उपस्थित सरकारी अधिकारीगण:

१. श्री आनन्दमोहनलाल, आई. ए. एस. समाहर्ता, पाली।

२. श्री मनोहरसिंह हीरण, आई. पी. एस. सुपरिन्टेंडेंट ऑफ पुलिस, पाली।

३. सेटलमेंट ऑफिसर, पाली (मुख्यावास जोधपुर)

४. एस. डी. ओ., पाली।

५. असिस्टेंट कमिश्नर, एक्साइज़ एण्ड टैक्सेशन, पाली।

६. इन्सपेक्टर ऑफ स्कूल्स, पाली।

७. अधिशासी अभियन्ता, जवाई नहर खण्ड, एरिनपुरा रोड डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर आफिस पाली।

८. डिस्ट्रिक्ट एनिमल हस्बैंड्री ऑफिसर, पाली।

Page No.126

६. डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चरल ऑफिसर, पाली।

१०. डिविजनल फोरेस्ट ऑफिसर, जोधपुर।

११. एसिस्टेंट रजिस्ट्रार, कोओपरेटिव सोसाइटीज़, पाली।

१२. एसिस्टेंट इन्जिनियर, जी. एण्ड आर., पाली।

१३. इन्डस्ट्रीज़ ऑफिसर, पाली।

१४. एसिस्टेंट इन्जिनियर, सिंचाई। (भारत सेवक समाज) माइनर इर्रिगेशन वर्क्स, अजमेर।

१५. सोइल कन्जर्वेटिव ऑफिसर, जोधपुर।

१६. डिस्ट्रिक्ट सोशियल एजुकेशन ऑफिसर, पाली।

१७. डिस्ट्रिक्ट पब्लिक रिलेशन्स ऑफिसर, पाली।

१८. एम्पलॉयमेंट एक्सचेंज ऑफिसर, पाली।

१९. लेबर ऑफिसर, जोधपुर।

२०. सुपरिंटेंडेंट शीप एण्ड वूल एक्सटेन्शन, जोधपुर।

२१. फैक्ट्री इन्सपेक्टर्स, जोधपुर।

२२. विकास अधिकारी, सोजत।

२३. विकास अधिकारी, पाली।

२४. विकास अधिकारी, खारची।

२५. विकास अधिकारी, रायपुर।

२६. विकास अधिकारी, रानी।

२७. विकास अधिकारी, सुमेरपुर।

२८. तहसीलदार-कम-विकास अधिकारी, जैतारण।

२९. तहसीलदार-कम-विकास अधिकारी, रोहट।

३०. तहसीलदार-कम-विकास अधिकारी, पाली।

३१. डिस्ट्रिक्ट ऑर्गेनाइज़र स्मॉल सेविंग्स स्कीम, पाली।

३२. एसिस्टेंट इन्जिनियर हैल्थ, इन्जीनियरिंग डिपार्टमेंट, पाली।

३३. सोशियल वैलफेयर वर्कर, पाली।

३. मजिस्ट्रेट्स और पुलिस अधिकारियों की बैठक :

दिनांक ११-१२-५६ को उपस्थित अधिकारी वर्ग:

१. श्री आनन्दमोहनलाल, आई. ए. एस. जिला दण्डनायक, पाली।
२. श्री मनोहरसिंह हीरण, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, पाली।
३. एस. डी. एम., पाली।
४. एस. डी. एम., सोजत।
५. एस. डी. एम., जैतारण।
६. एस. डी. एम., वाली।
७. प्रोसीक्युटिंग इन्सपेक्टर, पाली।
८. सर्कल इन्सपेक्टर, सोजत।
९. सर्कल इन्सपेक्टर, जैतारण।
१०. सर्कल इन्सपेक्टर, पाली।
११. सर्कल इन्सपेक्टर, सुमेरपुर।
१२. प्रोसीक्युटिंग इन्सपेक्टर, एक्साइज डिपार्टमेंट।

४. राजस्व अधिकारियों की मासिक बैटक : दिनांक १२-१२-५६ पर निम्नलिखित सरकारी अधिकारीगण उपस्थित थे।

१. श्री आनन्दमोहनलाल, आई. ए. एस, समाहर्ता, पाली।
२. एस. डी. ओ., पाली।
३. एस. डी. ओ., सोजत।
४. एस. डी. ओ., जैतारण।
५. एसिस्टेंट कलेक्टर, सोजत।
६. तहसीलदार, पाली।
७. तहसीलदार, सोजत।
८. तहसीलदार, रायपुर।
९. तहसीलदार, वाली।

१०. तहसीलदार, देसुरी।

११. ट्रेज़री ऑफ़िसर, पाली।

१२. लैंड एक्विज़ीशन ऑफिसर, जोधपुर।

१३. डिप्टी कलेक्टर–जागीर, पाली।

१४. नायब तहसीलदार, खारची।

१५. नायब तहसीलदार, जैतारण।

५. ज़िलास्तर अधिकारियों की बैठक: दिनांक ४–१–६० के अवसर पर निम्न-लिखित अधिकारी उपस्थित थे :

१. श्री आनन्दमोहनलाल, आई० ए० एस., जिला विकास अधिकारी, पाली।

२. श्री मनोहरसिंह हिरण, आई० पी० एस० सुपरिन्टेंडेन्ट ऑफ पुलिस पाली।

३. श्री मोहनलाल शर्मा, जिला चिकित्सा व स्वास्थ्य अधिकारी, पाली।

४. असिस्टेंट कमीशनर एक्साईज एण्ड टैक्सेशन, पाली।

५. इन्सपेक्टर्स ऑफ स्कूल्स, पाली।

६. डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर, पाली।

७. डिस्ट्रिक्ट एनीमल हस्बेंडरी ऑफिसर, पाली।

८. असिस्टेंट रजिस्ट्रार, कॉपरेटिव सोसाइटीज, पाली।

९. डिस्ट्रिक्ट इन्डस्ट्रीज़ ऑफिसर, पाली।

१०. एसिस्टेंट इन्जिनियर, माइनर इरीगेशन वर्क्स (ब्लॉक), जोधपुर।

११. एसिस्टेंट इन्जिनियर, इरीगेशन, भारत सेवक समाज, अजमेर।

१२. सोइल कन्जरवेटिव ऑफिसर, जोधपुर।

१३. डिस्ट्रिक्ट सोइल एजुकेशन ऑफिसर, पाली।

१४. पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, पाली।

१५. लेबर ऑफिसर, जोधपुर।

१६. इन्सपेक्टर ऑफ आयुर्वेदिक औषधालय, पाली।

१७. विकास अधिकारी, सुमेरपुर।

१८. विकास अधिकारी, बाली।

१९. विकास अधिकारी, देसूरी।

२०. विकास अधिकारी, रानी।

२१. विकास अधिकारी, खारची।

२२. विकास अधिकारी, सोजत।

२३. विकास अधिकारी, रायपुर।

२४. विकास अधिकारी, जैतारण।

२५. विकास अधिकारी, पाली।

२६. विकास अधिकारी, रोहट।

२७. एक्युटिव इन्जिनियर, माइनर इर्रिगेशन (भारत सेवक समाज), जयपुर।

६. सिंचाई की सुविधा के लिए कार्यकारिणी बैठक

दिनांक ११-१-६० को निम्नलिखित अधिकारीगण उपस्थित थे :

१. श्री आनन्दमोहनलाल, आई० ए० एस., जिला विकास अधिकारी, पाली।

२. श्री एस० के०, गुप्ता अधिशासी अभियन्ता सिंचाई, जवाई नहर खण्ड, एरिनपुरा रोड।

३. श्री पी० सी० माथुर, अधिशासी अभियन्ता, भूमीक्षण और अनुसन्धान खण्ड, सिंचाई सुमेरपुर।

४. श्री जगन्नाथप्रसाद, सहायक अभियन्ता-सिंचाई, पाली।

५. श्री गोपालसिंह आर० ए० एस, सचिव, जिला परिषद् पाली व जिला विकास अधिकारी, पाली के सहायक व पंचायत अधिकारी, पाली के सहायक।

७. मजिस्ट्रेट्स और पुलिस अधिकारियों की बैठक

दिनांक १२-१-६० को निम्नलिखित अधिकारीगण उपस्थित थे।

१. श्री आनन्दमोहनलाल, पाली, आई० ए० एस० जिला दण्डनायक।

२. श्री मनोहरसिंह हिरण, आई० पी० एस अधीक्षक आरक्षी, पाली।

३. श्री जे० पी० टण्डन, आई० पी० एस०, सहायक अधीक्षक आरक्षी, पाली।

४. श्री बृजबल्लभसिंह मेहता, आर० ए० एस०, उप जिला दण्डनायक, पाली।

५. श्री मोहनसिंह आर० ए० एस०, उप ज़िला दण्डनायक, सोजत ।

६. श्री जसराज जोशी, आर० ए० एस०, उप जिला दण्डनायक, जैतारण ।

७. श्री डी० सी० जैन, प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट, सोजत ।

८. श्री हजारीचन्द शर्मा, आर० ए० एस०, एस० डी० एम०, बाली ।

८. राजस्व अधिकारियों की मासिक बैठक

दिनांक १२-१-६० १२-१-६० से १४-१-६० तक निम्नलिखित अधिकारीगण उपस्थित थे:-

१. श्री आनन्दमोहनलाल, आई० ए० एस०, जिलाधीश, पाली ।

२. श्री बृजवल्लभसिंह मेहता, आर० ए० एस०, उप जिलाधीश, पाली ।

३. श्री हजारीचन्द शर्मा, आर० ए० एस०, उप जिलाधीश, बाली ।

४. श्री मोहनसिंह आर० ए० एस०, उपजिलाधीश, सोजत ।

५. श्री जसराज जोशी, आर० ए० एस०, उपजिलाधीश, जैतारण ।

६. श्री गोरीवल्लभ मुक्तिपाल, पाली ।

७. श्री कानसिंह, मुक्तिपाल, देसुरी ।

८. श्री तिलकराज मुक्तिपाल, सोजत ।

९. श्री गणपतसिंह मुक्तिपाल, खारची ।

१०. श्री मोहनलाल, नायब मुक्तिपाल, सोजत ।

११. श्री मनपतराज, नायब मुक्तिपाल, जैतारण ।

१२. श्री रामचन्द्र, नायब मुक्तिपाल, रायपुर ।

१३. श्री एस० डी० वोहरा, एसिस्टेंट रजिस्ट्रार, को-ऑपरेटिव सोसाइटीज, पाली ।

———

परिशिष्ट ४

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ३२६ का उत्तर देखिए)

जोधपुर जिले में सन् ५७-५८, ५८-५६ और ५६-६० में जो छात्रवृत्ति वितरित की गई उसकी सूची 'अ'

क्रमांक	जिले का नाम	५७-५८				५८-५६				५६-६०			
		अनुसूचित जाति	अनुसूचित जन जाति	डिनोटिफाइड ट्राइब्स	अन्य पिछड़ी जाति	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जन जाति	डिनोटिफाइड ट्राइब्स	अन्य पिछड़ी जाति	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जन जाति	डिनोटिफाइड ट्राइब्स	अन्य पिछड़ी जाति
१	२	३	४	५	६	७	८	६	१०	११	१२	१३	१४
१.	जोधपुर	१२,३८२	११०	–	६,६१८	२२,७७२	२५४	६३८	११,०३०	१०,२१२	१,७८०	१२०	४,६८२
२.	पाली	१०,०४२	७१८	–	३,६६८	१८,६७८	१,८०८	१,५६०	२१,५७२	६,०१८	५,१०८	३६४	–
३.	नार्नोर	५,४६६	७४	–	३,६८२	८,२०६	६६	३६८	१०,७६२	४,५५२	२,३३२	८४	६४
४.	जालोर	१३,३०	२१६	–	१,४०२	३,५३०	४६८	४००	४,३५२	१,४५४	६३८	६२	–

परिशिष्ट

१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४
५.	सिरोही	६,१८६	८२०	—	९५२	६,६१६	२,३४०	१२६	५,४३०	४,८४०	३,४७२	२२८	७८
६.	बाडमेर	२,८१४	३६	—	८२०	४,५८०	१६२	५२	३,६२२	३,३२४	८६२	१०	३०
७.	जैसलमेर	६८	—	—	३८	३५२	१२	४	४५२	२८०	६४	२	—
	योग	३८,२८८	१९७९	—	२०,७८०	६८,०३४	५,१७०	३,४८४	७७,२२०	३०,६८०	१४,५८६	६००	५,१८४

———

पिछले तीन सालों में कुल जितनी जोधपुर डिविजन में वितरीत की गई हैं उसके जिलेवार मद सहित आंकड़ों की सूची 'ब'

क्रमांक	नाम जिला	वर्ष	अनुसूचित जन जाति मकान सहायता	अनुसूचित जन जाति कुंए खोदने	अनुसूचित जन जाति अग्नि कष्ट निवारण	केन्द्र द्वारा संचालित स्कीम बैल खरीदने	केन्द्र द्वारा संचालित स्कीम मकान सहायता	केन्द्र द्वारा संचालित स्कीम कुंआ खोदने	अनुसूचित जाति मकान सहायाता	अनुसूचित जाति कुंए खोदने	अनुसूचित जाति जल व प्रकाश निमित्त	अनुसूचित जाति अग्नि व बाढ कष्ट निवारण	मेडिकल एड	केन्द्र द्वारा संचालित स्कीम मकान सहायता	केन्द्र द्वारा संचालित स्कीम कुंआ खोदने	मकान सहायता	ओ. बी. सी. डेवलपमेंट अग्नि व बाढ़ कष्ट निवारण	ओ. बी. सी. डेवलपमेंट सड़क बनाने	ओ. बी. सी. डेवलपमेंट तालाब व बांध बनवाने	ग्राम विकास	केन्द्र द्वारा संचालित स्कीम मकान सहायता	विमुक्त जाति मकान सहायता	विमुक्त जाति कुंआ खोदने	गाडिया लोहार मकान सहायता	गाडिया लोहार ग्राम विकास	गाडिया लोहार कुंआ खोदने	अन्डर डेवलप्ड एरिया स्कीम
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४		१६	१७	१८	१९	२०	२१	२२	२३	२४	२५	२६	२७	२८
१.	जोधपुर	५७-५८	–	–	–	–	–	–	–	१,०००	६४०	१६६	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	५००	१५,७५०	११,०००	२,०००	–
		५८-५९	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	=
		५९-६०	–	–	८३	–	१०,४००	–	–	–	३,०००	–	१००	५००	४,०००	–	८,६००	–	–	–	–	–	–	–	–	–	७,४७०
२.	पाली	५७-५८	–	–	–	–	–	–	–	१,०००	२,०००	–	–	–	–	३८,०००	–	–	७,०००	–	–	–	५००	–	–	–	–
		५८-५९	५८,०००	–	–	–	–	–	७,१००	१,५००	–	१०८	–	–	–	१६,६००	–	६,४८०	३,०००	–	–	१०,७००	–	–	–	–	–
		५९-६०	–	–	–	–	–	–	–	८००	१,५००	–	–	–	३,०००	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
३.	नागोर	५७-५८	–	–	–	–	–	–	–	४,०००	४,५००	११७	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	६,१००	–	–	–
		५८-५९	–	–	–	–	=	–	–	१,८००	–	१,७५६	–	–	–	–	–	–	–	–	११,१००	–	–	३,६००	–	–	–
		५९-६०	–	–	–	–	–	–	–	–	८,५००	–	–	१८,०००	२,०००	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
४.	बाडमेर	५७-५८	–	–	–	–	–	–	–	–	२५०	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	२,८००	–	–	–
		५८-५९	–	–	–	–	–	–	–	–	–	१५७	–	–	–	२,५००	–	–	–	–	–	–	–	२,८००	–	–	–
		५९-६०	–	–	–	१,२५०	८,८००	–	–	६,०००	–	३८३	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
५.	जालोर	५७-५८	–	–	–	–	–	–	–	३४०	८८०	११,०७३	–	–	–	–	४३३	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		५८-५९	–	–	–	–	–	–	–	–	–	५४२	–	–	४,०००	–	८४१	–	६,४३०	–	–	–	–	–	–	–	–
		५९-६०	–	२,०००	–	–	–	५,०००	–	२,८००	–	४६	–	३३,०००	| –	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

परिशिष्ट ५

(कृपया स्थगित प्रश्न संख्या ५२ का उत्तर देखिये)

DISTRICTWISE LIST SHOWING THE NAMES OF THE APPLICANTS WHO APPLIED FOR LEGAL-AID AND DATES ON WHICH THEY FIRST APPLIED

S. N.	Names of the applicants.	Caste.	Distt.	First date applied for.
1	2	3	4	5
1.	Shri Bijya, village of Baroni, Tehsil Kishanganj.	Sharia	Kota.	25-7-1960
2.	Shri Ram Chand, village of Baroni, Tehsil Kishanganj.	Sharia	Kota.	25-7-1960
3.	Shri Nawal, village of Baroni, Tehsil Kishanganj.	Sharia	Kota.	25-7-60
4.	Shri Maharam s/o Sewa, village Dolpur, Tehsil Begun.	Chamar.	Chittor-garh.	25-6-60
5.	Shri ManroopRam s/o KaiswRam	Bhambi.	Nagaur.	4-6-60
6.	Shri Khiya Ram s/o Santa Ram, village Jasar.	Bhil.	,,	26-2-60
7.	Shri Gopi-village of Hingorian Tehsil Kapasin.	Chamar-	Chittor-garh.	8-8-60
8.	Shri Bhagirth-village of Hingorian Tehsil Kapasin.	,,	,,	8-8-60
9.	Shri Kalu village of Hingorian, Tehsil Kapasin.	,,	,,	8-8-60
10.	Shri Uda-village of Hingorian Tehsil Kapasin.	,,	,,	8-8-60
11.	Shri Ganga Ram-Village of Nokena.	Bhil.	Dungarpur.	26-10-59

1	2	3	4	5
12.	Bhils of Kukawas, Tehsil Amet.	Bhil	Udaipur.	10-1-60
13.	Widow Badami, Hudi and Nani of village Benkhdi, Tehsil Bladesar.	Meghwal	Chittor-grah.	Dec., 1959
14.	Shri Lala, village of Thithri, Tehsil Ahor.	Mina.	Jalore.	3-8-60
15.	Regar of Mavali.	Regar.	Udaipur.	July, 1960

परिशिष्ट ६

(कृपया स्थगित प्रश्न संख्या १८६ का उत्तर देखिये)

मैट्रिक ग्रेड में काम कर रहे हैं

क्रम सं०	नाम	वर्तमान स्थान	योग्यता	वेतन 31 मार्च, १६५०
१	२	३	४	५
१.	श्री शंकरलाल	प्र०व० प्रा० अ० ओदीचवाड़ा	विशारद बी.टी.सी.	४०–६०
२.	श्री जगन्नाथ	प्र.अ० हा० स्कूल, कुशलगढ़	मैट्रिक आई.जी. डी	४०–६०
३.	श्री रेवाशंकर	एस. डी. आई, आसीन्द	मैट्रिक वि. टी. सी.	४०–६०
४.	श्री देवीलाल	स. अ. मि० स्कूल घारोदिया	विशारद	४०–६०
५.	श्री मगनलाल	स. अ. मि० स्कूल ,,	मैट्रिक ट्रेण्ड	४०–६०
६.	श्री नाथूलाल	प्र. अ. मि० स्कूल बासवाड़ा	संस्कृत मध्यमा	४०–६०
७.	श्री जोसरजीमल	प्र. अ. ,, ,,	मैट्रिक	४०–६०
८.	श्री जयशंकर	प्र. अ. ,, ,,	विशारद ट्रेण्ड	४०–६०
९.	श्री विनयसिंह	प्र. अ. मि० स्कूल खाघेरा	मैट्रिक	४०–६०
१०.	श्री रेवादेवी	प्र. अ. मि० स्कूल बांसवाड़ा	मैट्रिक	४०–६०
११.	श्री रतनसिंह	प्र. अ. मि० स्कूल ,,	मैट्रिक	४०–६०
१२.	श्री इच्छाशंकर	प्र. अ. मि० स्कूल मोगामा	मैट्रिक	४०–६०
१३.	श्री नभागिशंकर	प्र. अ. मि० स्कूल बांसवड़ा	मैट्रिक	४०–६०
१४.	श्री रेमनलाल	प्र. अ. मि० स्कूल सोदान	मैट्रिक	४०–६०
१५.	श्री श्रीलाल	प्र. अ. मि० स्कूल खोदान	मैट्रिक	४०–६०
१६.	श्री जयन्तीलाल	प्र. अ. मि० स्कूल भुंगाला	मैट्रिक	४०–६०
१७.	श्री दौलजी जोशी	एस. डी. आई. कुशलगढ़	मैट्रिक	४०–६०

१	२	३	४	५
१८.	श्री चन्द्राकान्त	प्र. अ. मि० स्कूल कालीनअली	मैट्रिक	४०-६०
१६.	श्री रमेशचन्द्र	अ. ट. हाई स्कूल कुशलगढ़	मैट्रिक	४०-६०
२०.	श्री नारायणलाल	प्र. अ. मि० स्कूल नारोली	मैट्रिक	४०-६०
२१.	श्री नारायणलाल	प्र. अ. मि० स्कूल तालबेड़ा	संस्कृत मध्यमा	४०-६०
२२.	श्री नरवदा शंकर	एस. डी. आई. पीपलमूंट	मैट्रिक	४०-६०
२३.	श्री कान्तीलाल	प्र. अ. हाई स्कूल गढ़ी	मैट्रिक आई. जी, डी.	४०-६०
२४.	श्री विजयशंकर	मि० स्कूल बांसवाड़ा	मैट्रिक	४०-६०
२५.	श्री प्रभाशंकर	प्र० मि० स्कूल भीमपुर	मैट्रिक	४०-६०
२६.	श्री प्रेश्तरलाल	एस. डी. आई. गढ़ी	मैट्रिक	४०-६०
२७.	श्री किशोरीलाल	प्र. अ. मि० स्कूल सजनगढ़	मैट्रिक	४०-६०
२८.	श्री मोहनलाल	स. अ. प्र. स्कूल बांसवाड़ा	मैट्रिक	४०-६०
२६.	श्री दीनदयाल	प्र. अ. उच्चतर मि० ,,	मैट्रिक	४०-६०
३०.	श्री मोहनलाल	प्र. अ. मि० स्कूल खदान	मैट्रिक	४०-६०
३१.	श्री प्रेमअदीब	प्र. अ. मि० स्कूल परतापुर	मैट्रिक	४०-६०

————

परिशिष्ट ७

(कृपया अतारांकित प्रश्न संख्या १११'आर.एम. का उत्तर देखिये)

देवस्थान विभाग द्वारा सन् १९५९-६० के भरण-पोषण हेतु दी गई सहायता का विवरण

क्रम० संख्या	नाम जिला	रकम वितरण हुई
१	२	३
१	उदयपुर	६७,८२०
२	चित्तौड़गढ़	५,४०६
३	भीलवाड़ा	४,२७६
४	बांसवाड़ा	५,३५०
५	कोटा	१६,५५८
६	बून्दी	५,४९७
७	झालावाड़	६,५२१
८	डूंगरपुर	८,५९२
९	जोधपुर	६४,४३४
१०	बाड़मेर	३,९५०
११	नागौर	२८,६३०
१२	जालोर	१,१२५
१३	पाली	१०,४१७
१४	जैसलमेर	२,१००
१५	सिरोही	९४०
१६	बीकानेर	२,७७०
१७	चूरू	४,५५०

१	२	३
१८	गंगानगर	५,३८०
१६	जयपुर एवं अजमेर	८६,५५६.३२
२०	झुंझुनूं	३,११६
२१	सीकर	२,८१३.६६
२२	सवाई माधोपुर	२२,२७१.६७
२३	भरतपुर	३०,०७७.३४
२४	अलवर	१८,३७८.१८
२५	टोंक	७,५०४.६२
	योग :-	४,४८,०३७.३६

———

बीकानेर डिविजन की सूची

क्र० सं०	नाम पायन्दगान	रकम माहवारी
१	२	३
१	श्री महेन्द्रनाथजी की औरत	५)
२	उसका लड़का नरेन्द्र	३)
३	उसका लड़का विरेन्द्र	३)
४	उसकी लड़की सुशीला	३)
५	श्री राजकुमारी देवी बेवा शिवराम	४)
६	हरिश्चन्द्र लड़का उसका	२)
७	श्यामजी उसका लड़का	२)
८	शशिकान्ता उसकी लड़की	२)
९	शिवरत्न वल्द नथमल	८)
१०	उसके दो लड़के और दो लड़कियां ३) माहवार से	१२)
११	रूपा बेवा रत्नलाल	१०)
१२	किसनी बेवा सालगराम	८)
१३	उसका लड़का सतनारायण	४)
१४	उसका लड़का विष्णु	४)
१५	डाका बेवा देवीसिंह	१०)
१६	सुश्री राजकुमारी देवी	१५)
१७	उसका लड़का	१०)
१८	उसकी लड़की रीता	७)
१९	पेमाबाई	७)
२०	दुनीबाई	१०)

१	२	३
२१	उसके लड़के के	५)
२२	लक्ष्मी बाई बेवा नथमल	८)
२३	रामलाल पुत्र मानाराम	१०)
२४	रामलाल की मां अणची	८)
२५	गवरा देवी बेवा प्रेमरत्न	१०)
२६	गवरादेवी बेवा मोहनलाल	१०)
२७	सोनीबाई बेवा बन्सीलाल	१०)
२८	छोटी बेवा शिवकरण	७)
२९	फतेकंवर बेवा दुर्गाशंकर	१०)
३०	राजाबाई बेवा सिवाराम	१०)
३१	गवरा बेवा लादूराम	७)
३२	उसका लड़का लक्ष्मीनारायण	४)
३३	उसका लड़का सत्नारायण	४)
३४	उसका लड़का शिवरत्न	४)
३५	बिरजू बेवा किस्तूरचन्द	१०)
३६	प्रभुलाल	१०)
३७	गंगादेवी बेवा मोहनलाल	७)
३८	तीजा बेवा लादूराम	७)
३९	भगी बेवा सादोजी	७)
४०	जेठी बेवा भैरू रत्न	१०)
४१	घनश्याम	५)
४२	श्यामू	५)
४३	केसर बेवा चेतनदास	७)

१	२	३
४४	पदमाराम पुत्र कसुराम	७)
४५	चुनी बेवा कुमाराम	७)
४६	गुडकी बेवा जगुराम	७)
४७	जसोदादेवी बेवा चुनीलाल	७)
४८	आणदीबाई बेवा हेमराज	५)
४९	लक्ष्मी बेवा जमनादास	५)
५०	सरधाराम पुत्र मंगलाराम	१०)
५१	मंघा बेवा भीमकचन्द	८)
५२	नथुराम पुत्र दुलाराम	८)
५३	सुगनी बेवा बालकृष्ण	८)
५४	मूलचन्द पुत्र राधाकिशन	१०)
५५	मैंताबाई बेवा लूणोजी	८)
५६	गोपी बेवा जागीदास	७)
५७	रायली बेवा मुकनाराम	८)
५८	पिचीबाई गोविन्दलाल के दो पौत्र प्रत्येक को ४) से	८)
५९	पिचीबाई बेवा गोविन्दलाल	८)
६०	श्रीराम पुत्र रामनारायण	७)
६१	लक्ष्मीबाई बेवा रुघनाथ	१०)
६२	पारू बेवा चांदमल	७)
६३	उदीदेवी बेवा किसन	१०)
६४	तारादेवी बेवा हरकाराम	७)
६५	मूलीदेवी बेवा बनाराम	१०)
६६	तुलछी बेवा मनाराम	७)

Page No.143

१		२
६७	रुकमण बेवा बद्रीदास	५)
६८	मुनालाल पुत्र गुलाबचन्द	५)
६९	कृष्णानन्द पुत्र भूरामल	१०)
७०	लक्ष्मीदेवी बेवा भीकमचन्द	७)
७१	मनोहरी बेवा मोहनलाल	७)
७२	कौड़ी बेवा चीरदाराम	७)
७३	मिडाबाई बेवा शिवदास	७)
७४	डालुबाई बेवा दुरगाराम	७)
७५	मूलीबाई बेवा अगरचन्द	७)
७६	गुलाब कंवर बेवा प्रेमसिंह	१५)
७७	दिगर इसके बाल बच्चों को	२०)
७८	मगाराम पुत्र पुसलाराम	१०)
७९	बेनची बेवा जेठाराम	१०)
८०	बीराम पुत्र हरचन्द	१०)
८१	हन्दु बेवा रामसिंह	७)
८२	मगरा पुत्र सगरासन	१०)
८३	आडुसिंह पुत्र बगतावरसिंह	७)
८४	दीगर बाल बच्चों को	२०)
८५	मोटाराम पुत्र गंगाराम	७)
८६	गुमानसिंह पुत्र भोजराजसिंह	१०)
८७	छोगी बेवा जादुराम	७)
८८	सावताराम पुत्र भीकाराम	८)
८९	नानुबाई बेवा पनजी	८)

१	२	३
९०	हीरा पुत्र नन्दा	८)
९१	मोतीराम पुत्र मंगाराम	७)
९२	सुन्दरी बेवा शिवलाल	७)
९३	गोपालराम	१०)
९४	अगरकंवर बेवा गुलसिंह	७)
९५	मंगी	८)
९६	धापी	१०)
९७	नन्दा	१०)
९८	तखी	८)
९९	मदन पुत्र चुनीलाल	७)
१००	लिछमन पुत्र चुनीलाल	७)
१०१	किसुरी बेवा गनपतसिंह	७)
१०२	बखतावरी बेवा तनसुखदास	८)
१०३	रामचन्दरी बेवा मेवाराम	८)
१०४	आनन्द कंवरी बेवा भगतसिंह	७)
१०५	रकमकंवरी बेवा भैरूसिंह	७)
१०६	गंगा बेवा लखाराम	१०)
१०७	कौसल्या बेवा नरसिंहदास	५)
१०८	गवरा बेवा आसराम	१०)
१०९	मानाराम पुत्र हुक्माराम	५)
११०	किस्तूरी बेवा सुखदेव	५)
१११	हजारीमल पुत्र गंगाराम	१०)
११२	मानाबाई बेवा लामुजी	७)

१	२	३
११३	जगन्नाथदास पुत्र हरीदास	८)
११४	मीरा बेवा सिरदास	५)
११५	सिरदारी बेवा हीरा	७)
११६	कालीदेवी बेवा गंगाराम	७)
११७	तकबाई बेवा हजराजी	५)
११८	लक्ष्मी बेवा नन्दलाल	५)
११९	जानकी बेवा पन्ना	७)
१२०	गोपीराम पुत्र लखाराम	८)
१२१	कालीदास पुत्र सरदाराराम	७)
१२२	बख्तावरी बेवा जवाहरसिंह	५)
१२३	केसर बेवा अनरजी	५)
१२४	गवराबाई बेवा चिमनजी	७)
१२५	केसर बेवा राजसिंह	७)
१२६	जेसजी पुत्र चन्दाजी	७)

परिशिष्ट ८

(कृपया अतारांकित प्रश्न संख्या ६६/पी. डब्ल्यू. एम. का उत्तर देखिये)

The position of the roads in the list is as under:-

Road from Lunkaransar to Ramsinghpur or Bijaynagar Via Kumbhana:-

The alignment of this road crosses the desert area and there are no villages with a population of more than 3500 persons. only part length of the road from Head of proposed Low-Level Branch Canal to Bijeynagar has been included in the draft III Plan, under Rajasthan Canal Area Roads Scheme.

2. Road from Lunkaransar to Sardarshahr via Kalu:-

This proposal has not been included in the draft III Plan. However, road from Lunkaransar to Shri Dungargarh via Kalu has been included in the draft III Plan. Shri Dungargarh is already beingconnected to Sardarshahar under a road sanction in II Plan.

3. Road from Malkishar Rly. Station (50 miles South of Suratgarh) to Garbdesar Via, Kapuri, Shekhasar:-

The population of all the villages proposed to be connected is less than 3500 persons and hence not included in III Plan.

4. Road from Bikaner to Punrasar Via Runia bas Sereran:-This road runs parallel to Bikaner-Shri Dungargarh road, already under construction, and at a distance of about 8 miles only & the road is superfluous.

5. Road from Bikaner to Karmisar-Approach Roads:-

As this is an approach road, the construction should be taken up by the Panchayat Samitis to whom some of the funds are proposed to be transferred, during III Plan period.

6. Road from Mahajan Rly. Station (39 miles from Suratgarh towards Bikaner) to Mahajan Village:-

This office has received no demand for the construction of the road hence not proposed in any scheme.

7. Road from Bikaner to Pugal:-

Part length of this road from Bikaner to Jalwali (18 Miles) forms the part of the road from Bikaner to Chhatargarh already sanctioned in II Five Year Plan.

The remaining length (30 miles) from Jalwali to Pugal cannot be provided due to paucity of funds.

शुद्धि-पत्र

(सोमवार, १२ सितम्बर, १९६०)

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
१	२	३	४
३४७८	७	३०.८	३०८
,,	८	क्या मार्वजजिक	क्या सार्वजनिक
३४८१	४	के प्रकार	प्रकार के
३४९३	१६	दर्वास्तें थी	दर्ख्वास्तें थीं
३५०५	अन्तिम से ४	Mho are there prefo	who are there prior to
३५०७	५	tresspassers	trespassers.
३५०९	७	आधारों पर	आधारों पर भुगतान
३५३२	प्रथम	मनीराम	श्री मनीराम
३५३६	शीर्ष	(प्री दामोदरलाल	(श्री दामोदरलाल
३५४०	शीर्षक	३४५०	३५४०.
,,	१०	Msnadar.	Manadar.
३५४१	११	Cousideration	consideration
३५४३	१	सड़क का क	सड़क का
३५४६	६	सूची अति	(सूची अति
३५४८	३	३५२	५२
,,	१४	in a istrict	in a district.
,,	२२	from bivisional	from divisional
३५५२	अन्तिम से ३	(ख) झोटवाड़ा,	झोटवाड़ा
३५५३	ऊपर से ३	(ग) प्रश्न	(ख) प्रश्न
,,	१३	इन बीड़ों	(ग) इन बीड़ों
३५५४	५	(ग) किसी	किसी
३५५५	अन्तिम	Details enclosed	—
३५५६	१६	की गई । "अनुपस्थिति	की गई
३५६१	अन्तिमसे२-१	हेतु अनुमति"	
३५६४	२७	water aupply	water supply
३५६७	२५	अनसटेबल नहीं	अनसूटेबल नहीं
३५७४	प्रथम	कम्पलसटिली	कम्पलसरिली
३५७५	११	intoconeideration	into consideration
३५८६	१३	समिति होंगी	समिति में होंगी,

१	२	३	४
३५९९	२१	अन ऑफिशियलरी	अनऑफिशियली
३६००	११	प्रस्तान स्वीकार	प्रस्ताव स्वीकार
३६०१	२३	motion moved	Motion moved
,,	अन्तिम पंक्ति	मैं इसका	मैं इसको
३६०४	१३	विधेययक को	विधेयक को
,,	२६	जनता कि	जनता की
३६०५	५	बिना नये कि	बिना कि नये
३६०६	५	कायमाकर दी है	कायम कर दी है
३६०८	शीर्ष	सुलाणियां)	(श्री लादूराम सुलाणियां)
३६१२	४	उसका में	उसका मैं
३६१४	१५	संशोधन गिर गया ।	संशोधन गिर गया । (विराम)
३६१६	शीर्षक	(श्री दामोदरलाल व्यास)	(श्री दामोदरलाल व्यास)
,,	१४	महोदय,	महोदय....
३६१७	८	What No	what is
३६१९	२१	and he	and be
,,	अन्तिम से ३	rights, liablties	rights and liabilities
३६२१	७	i sthe	is the
३६२२	शीर्षक	बिस्वेदारी उत्सादन	बिस्वेदारी उत्सादन
३६२३	१५	Chair its'	Chair is
३६३०	१२	than you	then you
,,	२२	खातेदार हैं He comes	खातेदार हैं
३६३२	७	इन्ट्रोड्यू की	इन्ट्रोड्यूस की
,,	२० व २२	स्टेंड	स्टेड
३६३४	१६	बिश्वेदारी	बिस्वेदारी
३६३५	६	नौकरी मालिक	नौकर । मालिक
३६४०	२	होकर दर्वे	होकर दबें
३६४३	३	की । कोशिश की	की कोशिश की
३६४९	२	नेननल पलिसी	नेशनल पॉलिसी
३६५२	११	पाट है ।	पार्टी है ।
३६५३	१४	membert othat	member to that
३६५६	२२	हैं, विलेज़	है, उनमें विलेज
,,	अन्तिम से ४	एक्ससाइज़	एक्सर्साइज़

(३)

१	२	३	४
३६५६	४	Parsing	Pressing
३६६०	२०	ahaut	about
३६६१	२७	I doint' think	I don't think
३६६२	अन्तिम से ३	subs-ection	sub-section
३६६३	२	areement	agreement
३६६४	६	Presist, Sir.	Persist, Sir.
,,	१५	8 stand	8 stands
३६६५	अन्तिम से ३	क्लॉज़ेज ,१०,११	क्लॉज़ेज ६,१०,११,
३६६७	१२	(२) में	(२) (a) में
३६६८	२१	ड ०वहादुरसिंह	डॉ० बहादुरसिंह
,,	अन्तिम से ३	सजा के ३	सजा का ३
३६६६	अन्तिम से ३	रु ५	रु०
३६७४	१३-१४	Subtitute	Substitute
३६७५	१३	yous support	your support
३६७८	६०	that it i	that it is
,,	११	the srrious	the serious
३६७६	२	exercire	exercise
३६८३	२०	(स्वकृत)	(स्वीकृत)
,,	अन्तिम से २	uou want	you want
३६६१	२१	६५६२	३५६२
	स्कम्भ संख्या		
३६६५	१८	—	३६८५
३७००	१२	अमीरवक्स	अमीरचन्द
३७०१	शीर्षक	परिशिप्ट	परिशिष्ट
,,	१२	of ol	of lo
३७०२	१५	veternary	veterinary
३७०३	६	ten shed	tin shed
,,	१०	of Brooder	of Breeder
३७१२	४	जी एन्ड आर	बी एन्ड आर
३७१४	१६	इर गेशन	इर्रिगेशन
३७१५	१६	भूमीक्षरण और	भूमि क्षरण और

१	२	३	४
,,	२३	श्री आनन्दमोहनलाल, पाली.... दण्डनायक,	श्री आनन्दमोहनलाल..... दण्ड नायक, पाली।
अन्तिम	,,	उप जिला	जिला उप
३७१७	१०	नार्नोर	नागोर
३७१८	५-कॉलमसं.४	१६७६	१६७४
३७२०	१	स्थगिन प्रश्न	स्थगित प्रश्न
३७२२	१	,,	,,

अनुपूरक शुद्धि-पत्र

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
१	२	३	४
३५११	१२	३११. श्री	३२१. श्री
३५५४	२२	२. श्री	२. (१११ आर. एम.). श्री
३५५५	५	परिशिष्ट ८	परिशिष्ट ७
,,	६	३. श्री	३. (६६ आर. एम.). श्री
,,	अन्तिम ३ पंक्तियें	(उत्तर अधिक विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया) Details enclosed.	Details enclosed. (कृपया परिशिष्ट ८ देखिये)